मध्यप्रदेश
राज्य खाद्य आयोग
भोपाल

वार्षिक प्रतिवेदन
2020-2021

जिला दण्डाधिकारी
(म.प्र.)

मध्यप्रदेश
राज्य खाद्य आयोग
भोपाल

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2020-2021

सतपुड़ा भवन बी-विंग, अपर बेसमेंट, भोपाल
दूरभाष क्रमांक : 0755-2556761, 2556762
E-mail: foodcommission@mp.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.	विषयवस्तु	पृ.क्र.
1	आयोग का गठन, उद्देश्य और कार्यप्रणाली का विवरण	1–6
2	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के विवरण	7–8
3	स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी	9–9
4	वर्ष 2019–2020 एवं 2020–2021 में प्राप्त बजट आवंटन और व्यय	10–14
5	प्राप्त शिकायतें एवं उनके निराकरण की स्थिति	15–25
6	प्रचार–प्रसार	26–28
7	आयोग की जिला स्तरीय बैठकों एवं निरीक्षण के विवरण	29–29
7.1	मंदसौर	30–31
7.2	उज्जैन	32–33
7.3	शाजापुर	33–34
7.4	रतलाम	34–35
7.5	देवास	35–35
7.6	नीमच	35–36
7.7	आगर मालवा	36–36
8	राज्य शासन को प्रेषित अनुशंसाओं पर पालन की स्थिति	36–37
8.1	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	38–59
8.2	महिला एवं बाल विकास विभाग	60–74
8.3	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	75–80

vk;kx dk xBu] mnn'; vkj dk;li.kkyh

vk;kx dk xBu

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन से राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ–7–35–2013–उन्तीस–1, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 40 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक एफ 7–12/2016/उन्तीस–1, दिनांक 17 मई, 2017 द्वारा ''मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017'' जारी किये हैं। इस नियम के खण्ड 2 (च) में ''मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग'' को परिभाषित किया गया है। आयोग ने दिनांक 22 जुलाई, 2017 से भोपाल में कार्य करना प्रारम्भ किया।

कार्यालय – आयोग का कार्यालय ''बी''–विंग, अपर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल में स्थित है। आयोग के कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 0755–2556761, 2556766 तथा 2556762 है। आयोग का e-mail पता foodcommission@mp.gov.in है। खाद्य आयोग के कार्य दिवस एवं कार्यालय की समयावधि राज्य सरकार के कार्य दिवस एवं कार्यालयों की समयावधि के अनुरुप ही है।

vk;kx d xBu dk mnn';

राज्य खाद्य आयोग को प्रदेश में संचालित चार मुख्य योजनाओं यथा– 1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, 3. मध्यान्ह भोजन एवं 4. मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के मूल्यांकन एवं समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। आयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों और स्व–प्रेरणा से भी शिकायत की जांच कर सकता है। इन योजनाओं को और बेहतरीन ढंग से संचालन के लिये राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों को सलाह देना भी आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। योजनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या हितग्राही जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होता है, तो वह आयोग को अपील कर सकता है।

jk"Vh; [kk| lj{kk vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 3] 4] 5] 6 d vrxr fgrxkfg;k dk [kk| lj{kk d fy; fuEukulkj vf/kdkj fn;s x;s g %&

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र परिवारों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार,
- गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों तथा कुपोषित बच्चों को पोषाहार सहायता,
- 14 वर्ष से कम उम्र के विद्यालय जाने वाले बालकों को पोषणीय सहायता–मध्यान्ह भोजन,
- xHkorh L=h dk ekrRo dY;k.k ;ktuk (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विहित प्रसूति लाभ के रुप में रुपये 6000/– दिये जाने का प्रावधान।

- mDr ;k tukvk ls cPpk ,o efgykvk dk fuEukuqlkj ykHkkfUor fd;k tk jgk g %&

yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

- अन्त्योदय अन्न योजना के प्रत्येक सात सदस्य तक के परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, सात सदस्य से अधिक प्रत्येक सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार के मान से अतिरिक्त रुप से दिया जाने की व्यवस्था है।
- प्रत्येक प्राथमिकता श्रेणी के परिवार जिसमें बीपीएल श्रेणी भी सम्मिलित है, को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न देने की व्यवस्था है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक पात्रताधारी परिवार को गेहूँ, चावल, मोटा अनाज एवं नमक एक रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है।
- dkfoM & 19 अवधि में पात्र हितग्राहियों को मार्च, अप्रैल एवं मई माह के लिये 3 माह का अग्रिम खाद्यान्न प्रदाय किया गया। बेसहारा प्रवासी परिवारों को भोजन प्रदाय करने के लिये जिला प्रशासन को आवंटन उपलब्ध कराया गया। माह अप्रैल में हितग्राहियों को प्रति सदस्य 05 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान कराया गया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को अप्रैल, मई एवं जून, 20 माह के लिये प्रति सदस्य 05 किलो चावल एवं प्रति परिवार 01 किलो दाल निःशुल्क प्रदाय करायी गयी। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को माह मई एवं जून में प्रति सदस्य 05 किलो गेहूँ एवं प्रति परिवार 01 किलो चना निःशुल्क प्रदाय किया गया। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को प्रति माह 15 किलो खाद्यान्न सशुल्क प्रदाय किया गया।

e/;kUg Hkkstu dk;Zde

e/;kUg Hkkstu dk;Zde ds rgr ikFkfed ,oa ek/;fed 'kkyk ds Nk=@Nk=kvksa dks fuEukuqlkj xeZ Hkkstu nsus dk izko/kku gS %&

Ø-	'kkyk dk Lrj	[kk|kUu dh ek=k izfr Nk=	ÅtkZ ¼dSyksjh eas½	Hkkstu idkus dh ykxr jkf'k izfr fnol ¼jkf'k #i;s esa½		dqy ¼24-6-19 ls ykxw½
				dsUnzka'k	jkT;ka'k	
1	प्राथमिक	100 ग्राम	450	2.69	1.79	4.48
2	माध्यमिक	150 ग्राम	700	4.03	2.68	6.71

ukscy dksjksukok;jl ¼COVID-19½ esa e/;kUg Hkkstu dk;Zde &

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार माह मार्च, 20 के 11 एवं अप्रैल, 20 के 22 शैक्षणिक दिवस के लिये खाद्यान्न प्राथमिक शाला के प्रति छात्र 3300 ग्राम तथा माध्यमिक शाला के प्रति छात्र 4950 ग्राम प्रदाय किया गया एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता निम्नानुसार दिये जाने के निर्देश दिये गये :–

dz-	'kkyk dk uke	Hkkstu idkus dh jkf'k #- izfrNk=	[kk|kUu ¼xsgw@pkoy½ xzke izfr Nk=	dqy fnol	dqy ins; jkf'k #@Nk=
1	2	3	4	5	6
1	प्राथमिक	4.48 प्रति दिन	100 प्रति दिन	33	147.84
2	माध्यमिक	6.71 "	150 "	33	221.43

इस प्रकार 33 दिवस का खाद्य सुरक्षा भत्ता (भोजन पकाने की राशि) प्राथमिक शाला के प्रति छात्र को रु. 148 एवं माध्यमिक शाला के प्रति छात्र को रु. 221 के मान से राशि छात्र या उसके पालक/माता पिता के बैंक खाते में राज्य स्तर से एनआईसी के माध्यम से प्रदाय की गयी ।

माह मई, 20 के 24 दिवस तथा माह जून, 20 के 13 दिवस कुल 37 दिवसों का खाद्य सुरक्षा भत्ता निम्नानुसार दिये जाने के निर्देश जारी किये गये :–

dz-	'kkyk dk uke	Hkkstu idkus dh jkf'k #- ifrNk=	[kk|kUu ¼xsgw@pkoy½ xzke ifr Nk=	dqy fnol	dqy ins; jkf'k #-@Nk=	dqy ins; [kk|kUu
1	2	3	4	5	6	7
1	प्राथमिक	4.97 प्रतिदिन	100 प्रति दिन	37	183.89	3700 ग्राम
2	माध्यमिक	7.45 "	150 "	37	275.65	5550 ग्राम

इस प्रकार 37 दिवस का खाद्य सुरक्षा भत्ता (भोजन पकाने की राशि) प्राथमिक शाला के प्रति छात्र को रु. 184 एवं माध्यमिक शाला के प्रति छात्र को रु. 276 के मान से राशि छात्र या उसके पालक/माता पिता के बैंक खाते में राज्य स्तर से एनआईसी के माध्यम से प्रदाय की गयी ।

माह 16 जून, 20 से जून माह के 11 दिवस तथा माह जुलाई, 20 के 27 दिवस कुल 40 दिवसों का खाद्यान्न तथा खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने के निर्देश जारी किये गये।

उपरोक्तानुसार खाद्यान्न वितरण निरन्तर करने के निर्देश दिये गये।

भारत सरकार के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश की 81382 प्राथमिक शालाओं में दर्ज छात्र 3988130 एवं 31623 माध्यमिक शालाओं में दर्ज छात्र 2578796 कुल 6566926 छात्रों को अगस्त, 20 के 23, सितंबर के 26, अक्टूबर, 20 के 24 दिवस कुल 73 दिवस हेतु प्राथमिक शाला के प्रति छात्र रु. 362.81 एवं माध्यमिक शाला के प्रति छात्र रु. 543.85 के मान से भोजन पकाने की राशि के समतुल्य दाल क्रमशः 2 किलो, 3 किलोग्राम व तेल 525 ग्राम, 783 ग्राम प्रति छात्र के मान से वितरण कराने के निर्देश जारी किये गये। इस व्यवस्था को निरन्तर रखने के निर्देश दिये गये।

iwjd iks"k.k vkgkj dk;Zde

- 01 अप्रैल 2018 से आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिका योजनांतर्गत किशोरी बालिकाओं को प्रदायित पूरक पोषण आहार की मात्रा एवं दर निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :–

dz-	oxZ	fu/kkZfjr nj	Hkkstu dk izdkj	izksVhu ¼xzke esa½	dSyksjh ¼fd- dSyksjh esa½
1.	बच्चे (06 माह से 03 वर्ष तक)	रु. 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	टेक होम राशन	12–15 ग्राम	500 कैलोरी
2.	बच्चे (03 वर्ष से 06 वर्ष तक)	रु. 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	आंगनवाड़ी केन्द्र पर नाश्ता व गर्म भोजन	12–15 ग्राम	500 कैलोरी
3.	गंभीर कुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रु. 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	टेक होम राशन (थर्ड मील के साथ)	20–25 ग्राम	800 कैलोरी

d-	iox	iujhf{kr nj	Hkktu dk idkj	ikVhu ¼xke e½	dyjh ¼fd- dyjh e½
4.	गर्भवती/धात्री माताएं	रु. 9.50 प्रति महिला प्रतिदिन	टेक होम राशन	20–25 ग्राम	600 कैलोरी
5.	किशोरी बालिका योजनान्तर्गत	रु. 9.50 प्रति महिला प्रतिदिन	आं. केन्द्र पर नाश्ता व गर्म भोजन	15–20 ग्राम	500 कैलोरी

ekrRo dY;k.k ¼i/kkue=h ekr onuk½ ;ktuk

सम्पूर्ण प्रदेश में 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की गयी है, योजना अतर्गत परिवार में प्रथम प्रसव के लिये गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति, गर्भावस्था के दौरान अच्छे खान–पान एवं सुरक्षित प्रसव के लिये योजनांतर्गत रुपये 5000/– तीन किश्तों में दिये जाने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी केन्द्र में गर्भवस्था के पंजीयन के तत्काल बाद फार्म 1A में आवेदन करने पर प्रथम किस्त के रुप में रुपये 1000/–, प्रथम प्रसव पूर्व जांच होने एवं गर्भावस्था के 6 माह पश्चात फार्म 1B में आवेदन करने पर द्वितीय किस्त के रुप में रुपये 2000/– तथा प्रसव के पश्चात शिशु के जन्म का पंजीकरण होने एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर रुपये 2000/– तृतीय किश्त के रुप में दिये जाने का प्रावधान है। यह राशि महिलाओं के बैंक/पोस्ट आफिस के खाते में जमा कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त संस्थागत प्रसव कराने पर tuuh lj{kk dk ykHk #- 1000 iFkd l n; होता है।

ukcy dkjkuk ok;jl ¼COVID-19½ e iljd ik"k.k vkgkj dk;Øe

महिला एवं बाल विकास आयुक्त के परिपत्र क्रमांक 4354 दिनांक 14.3.2020 से राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च, 2020 तक बन्द रखने के निर्देश दिये गये। आंगनवाड़ी बंद रहने के दौरान पूरक पोषण आहार निर्बाध रुप से प्रदाय करने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

- 06 माह से 03 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं को आगामी 3 सप्ताह का टेक होम राशन एक साथ प्रदाय करना।
- 03 से 06 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रेडी–टू–ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय करना।
- 06 माह से 06 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों हेतु सत्तू/लडडू चूरा प्रति दिवस 200 ग्राम के मान से एक सप्ताह हेतु 1200 ग्राम तथा 03 सप्ताह हेतु 3600 ग्राम,
- गर्भवती/धात्री माताओं हेतु सत्तू/लडडू चूरा प्रति दिवस 250 ग्राम के मान से एक सप्ताह हेतु 1500 ग्राम तथा 03 सप्ताह हेतु 4500 ग्राम, अथवा
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उपयुक्त विकल्प में से रेसीपी का निर्धारण जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर यथाशीघ्र पात्र हितग्राहियों को सुनिश्चित करना।
- पलायन से लौटे परिवारों के हितग्राहियों को पंजीकृत कर उन्हें भी पात्रता अनुसार पूरक पोषण आहार 15–15 दिवस के अंतराल में एक बार में 15 दिवस हेतु पूरक पोषण आहार प्रदाय करना।

06 ekg l 06 o"k vk;q oxl d cPpk gr; jMh&V&bV ijd ik"k.k vkgkj dk fuËkkj.k &

lRr 200 xke ifr fgrxkgh ifr fnu &

d	lkexh	dPph lkexh l ikIr ek=k ifr 100 xke@m.l.		lRr			
		dlykjh	ikVhu	lkexh dh ek=k xke e	vuekfur 0;; #-	dlykjh	ikVhu
1	गेहूँ	341	12.1	90	0.26	307	10
2	भुना चनादाल	369	22.5	75	4.50	277	17
3	शक्कर	398	0	35	1.75	139	0
4	ईधन व्यय/परिवहन व्यय/रसोईया भत्ता				1.30		
	प्रति दिन हेतु			200 ग्राम	7.81	723	27
	प्रति सप्ताह (6 दिवस) हेतु			1200 ग्राम	46.86	4338	162

yMM pjk 200 xke ifr fgrxkgh ifr fnu &

d	lkexh	dPph lkexh l ikIr ek=k ifr 100 xke@m.l.		yMM pjk			
		dlykjh	ikVhu	lkexh dh ek=k xke e	vuekfur 0;; #-	dlykjh	ikVhu
1	गेहूँ	341	12.1	45	0.13	153	6
2	भुना चनादाल	369	22.5	70	4.20	258	16
3	चावल मुरमुरा	341	7.5	45	0.17	157	4
4	गुड़	383	0	30	1.35	115	0
5	तेल उस	900	0	10	0.80	90	0
6	ईधन व्यय/परिवहन व्यय/रसोईया भत्ता				1.30		
	प्रति दिन हेतु			200 ग्राम	7.95	774	26
	प्रति सप्ताह (6 दिवस) हेतु			1200 ग्राम	47.70	4644	156

xHkorh@/kk=h ekrkvk gr; jMh&V&bV ijd ik"k.k vkgkj dk fu/kkj.k &

lRr 250 xke ifr fgrxkgh ifr fnu &

d	lkexh	dPph lkexh l ikIr ek=k ifr 100 xke@m.l.		lRr			
		dlykjh	ikVhu	lkexh dh ek=k xke e	vuekfur 0;; #-	dlykjh	ikVhu
1	गेहूँ	341	12.1	115	0.33	392	12
2	भुना चनादाल	369	22.5	100	6.00	369	22

d	lkexh	dPph lkexh ls ikIr ek=k ifr 100 xke@m.l.		lRr			
		d|ykjh	ikVhu	lkexh dh ek=k xke es	vuekfur 0;; #-	d|ykjh	ikVhu
3	शक्कर	398	0	35	1.75	139	0
4	ईधन व्यय/परिवहन व्यय/रसोईया भत्ता				1.30		
	प्रति दिन हेतु			250 ग्राम	9.38	900	35
	प्रति सप्ताह (6 दिवस) हेतु			1500 ग्राम	56.28	5400	210

yMMw pjk 250 xke ifr fgrxkgh ifr fnu &

d	lkexh	dPph lkexh ls ikIr ek=k ifr 100 xke@m.l.		yMMw pjk			
		d|ykjh	ikVhu	lkexh dh ek=k xke es	vuekfur 0;; #-	d|ykjh	ikVhu
1	गेहूँ	341	12.1	60	0.17	205	7
2	भुना चनादाल	369	22.5	90	5.40	332	20
3	चावल मुरमुरा	341	7.5	55	0.21	192	5
4	गुड़	383	0	35	1.58	134	0
5	तेल ml	900	0	10	0.80	90	0
6	ईधन व्यय/परिवहन व्यय/रसोईया भत्ता				1.30		
	प्रति दिन हेतु			250 ग्राम	9.46	953	32
	प्रति सप्ताह (6 दिवस) हेतु			1500 ग्राम	56.76	5718	192

dk;Zi.kkyh

[kk| lqj{kk vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 16 ¼6½ ds vrxr jkT; [kk| vk;ksx fuEufyf[kr dR;ks dk viuk gkFk es yxk] vFkkr

(क) राज्य के सबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना,

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबन्धित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्व–प्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना,

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार को सलाह देना,

(घ) व्यक्तियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिये समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देना,

(ङ.) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना,

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

vk;kx d v/;{k ,o lnL;k dh fu;fDr

राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20) की धारा 16 की उपधारा (1) एवं (2) सह पठित मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के अध्याय 5 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव एवं प्रशासकीय अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि के लिये नियुक्त किया गया है :–

[kk| vk;kx d lnL;k dk dk;{k= dk vkoVu

d	inkf/kdkjh dk uke ,o irk	inuke	'kklu }kjk tkjh fu;fDr vkn'k d- ,o fnukd	inxg.k fnukd
1	13.8.20 से रिक्त	अध्यक्ष	(नियुक्ति प्रक्रियाधीन है)	
2.	श्री किशोर खण्डेलवाल, म.नं. ए–108 शंकराचार्य फलॉवर सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल	सदस्य	एफ 7–35–2013 –29–1, दिनांक 20 जुलाई, 2017	25 जुलाई, 2017 से निरंतर
3.	श्री गोरेलाल अहिरवार, बी–5, लक्ष्मी परिसर, नियर बेस्ट प्राइज, मेन रोड, करोंद, भोपाल	सदस्य	एफ 7–35–2013–29–1, दिनांक 31.07.2017	03 अगस्त, 2017 से निरंतर
4.	श्री बीरसिंह चौहान, म.नं. ए–121 शंकराचार्य फलॉवर सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल	सदस्य	एफ7–35–2013–29–1, दिनांक 29.07.2017	03 अगस्त, 2017 से निरंतर
5.	श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय, म.नं. ए–107 शंकराचार्य फलॉवर सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल	सदस्य	एफ7–35–2013–29–1, दिनांक 29.07.2017	09 अगस्त, 2017 से निरंतर
6.	श्रीमती दुर्गा डावर, एचआईजी 1/9, कनुप्रिया नगर, राऊ, इंदौर	सदस्य	एफ 7–35–2013 –29–1, दिनांक 20 जुलाई, 2017	25 सितंबर, 2017 से निरंतर
7.	श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भा.प्र..से. भोपाल	सदस्य सचिव	E-1/141/20/5/1, दिनांक 18 मई, 2020	01 अगस्त, 2020 से निरंतर
8.	श्री अनिल तिवारी, जी–14/28, नार्थ टीटीनगर, जवाहर चौक, भोपाल	प्रशासकीय अधिकारी	आदेश क्र. 2704/स्थापना /20, दिनांक 09 जून, 2020	15 जून, 2020 से निरंतर

मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग का कार्य प्रदेश में संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) की सतत् समीक्षा एवं मूल्यांकन करने का है। इन कार्यक्रमों से संबंधी शिकायतों का निराकरण करना एवं जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित हितग्राही की अपील सुनना एवं उसका निराकरण करना भी आयोग के प्रमुख कर्तव्यों में शामिल हैं। योजना के सफल संचालन में राज्य शासन के अलावा जन प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं स्थानीय निकायों के प्रतिानिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पात्र हितग्राही की पहचान तथा उन्हें अधिनियम द्वारा दिए गए कानूनी हक दिलाने के लिए उपरोक्त सभी स्टेक होल्डर्स

का सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। ग्रामों एवं शहरी बस्तियों में सेवा प्रदाय करने वाले शासकीय अधिकारी की समझ एवं उनकी तत्परता पर भी कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। योजना के मूल्यांकन के समय हितग्राहियों की संतुष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चूंकि ये सभी कार्यक्रम व्यापक स्तर के हैं और प्रदेश के सभी ग्रामों एवं शहरी बस्तियों में संचालित हो रहे हैं, इसलिये योजनाओं का निरीक्षण किए बिना, हितग्राहियों तथा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा किए बिना योजनाओं का मूल्यांकन होना संभव नहीं है। इस उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए आयोग द्वारा कार्यालयीन आदेश क्र 288/खाद्य आयोग/2017, दिनांक 16.11.2017 के द्वारा राज्य खाद्य आयोग में पदस्थ पांच सदस्यों के मध्य संभाग एवं जिलों का आवंटन निम्नानुसार किया गया है :–

Ø-	lnL; dk uke	vkofVr lHkkx	vkofVr ftys dk uke
1.	श्रीमती दुर्गा डावर	जबलपुर, होशंगाबाद	tcyiqj, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी तथा gks'kaxkckn, बैतुल एवं हरदा।
2.	श्री किशोर खण्डेलवाल	उज्जैन, चम्बल	mTtSu, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच तथा eqjuk, भिण्ड एवं श्योपुरकलां
3.	श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय	इंदौर, ग्वालियर	bUnkSj, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, तथा Xokfy;j, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी एवं दतिया
4.	श्री गोरेलाल अहिरवार	सागर, शहडोल	lkxj, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना तथा 'kgMksy, उमरिया एवं अनूपपुर
5.	श्री बीरसिंह चौहान	भोपाल, रीवा	Hkksiky, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा तथा jhok, सतना, सीधी, एवं सिंगरौली

jkT; [kk| vk;kx d Lohd`r ,o Hkj inka dh tkudkjh

d	inuke	Lohd`r inka dh l[;k	Hkj inka dh l[;k	fjekd
1.	अध्यक्ष	1	0	अपर मुख्य सचिव स्तर के सेवा निवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
2.	सदस्य	5	5	एक–से.नि. सत्र न्यायाधीश, एक पूर्व विधायक तथा तीन–अन्य सामाजिक कार्यकर्ता।
3.	सदस्य सचिव	1	0	म.प्र. सामान्य प्रशाासन विभाग से पदस्थ सचिव स्तर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।
4.	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	म.प्र. शासन, खाद्य विभाग से सहायक संचालक स्तर के अधिकारी।
5	निज सचिव	6	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि कर्मचारी।
6	निज सहायक	6	0	–
7	स्टेनोग्राफर	4	0	–
8	लेखापाल	1	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी।
9	असिस्टेन्ट	2	0	–
10	स्टेनोटायपिस्ट	1	0	–
11	रीडर	2	0	–
12	रिकार्ड कीपर	1	0	–
13	सहायक ग्रेड 3	10	3	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी
14	वाहन चालक	05	0	–
15	भृत्य	15	3	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी
	;kx	61	14	

ukV %& jkT; 'kklu d vkns'k dekd ,Q 7&35¼3&2½@2013@29&1] fnukd 14 fnlcj] 2018 }kjk iol l Lohd`r v/;{k ,o lnL;k dk NkMdj mDr in lftr fd; x; gA

;kstuk d- 1921&e-i- jkT; [kk| vk;ksx dk xBu

o"kZ 2019&20 esa 31 ekpZ] 2020 rd izkIr ctV & vkoaVu ,oa 0;; rFkk o"kZ 2020&21 esa izkIr ctV ,oa fn- 31 tuojh] 2021 rd 0;; dh tkudkjh

ekax la[;k 39& estj gsM&2408] lcestj gsM&01] ekbuj gsM&001] Ldhe ¼;kstuk½ 1921] flxesaV 0101] pktZ okmpj] vkWCtsDV dksM&11]12]16]21]22]31]63 ,oa flxesaV 9999 esa vkWCtsDV dksM 16 ,oa 21

foRrh; o"kZ 2019&20

ctV en ,oa ;kstuk dk uke				foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vks- dks miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy 0;; 31-03-2020
Ø-	11 osru HkRrs		vkoaVu			
1	2	3	4	5	6	7
1	001	वेतन	6807000	0	6807000	1559500
2	003	मंहगाई भत्ता	1018000	0	1018000	62400
3	004	वाहन भत्ता	45000	0	45000	0
4	006	मकान किराया भत्ता	680000	0	680000	0
5	007	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	0	0	0	0
6	008	अन्य भत्ते	2000	0	2000	0
7	009	चिकित्सा व्यय	150000	0	150000	9825
8	010	अवकाश यात्रा सुविधा	0	0	0	0
9	011	त्योहार अग्रिम	0	0	0	0
10	016	अनाज अग्रिम	0	0	0	0
11	018	चिकित्सा अग्रिम	150000	0	150000	0
12	028	मंहगाई वेतन (ग्रेड पे)	1000	0	1000	0
13	;ksx	mn~ns'; 11	8853000	0	8853000	1631725
14		12& etnwjh	25000	0	25000	0
		16 osru HkRrs				
	001	वेतन	1242000	241200	1482600	1482600
	003	मंहगाई भत्ता	186000	89000	274968	274968
	006	मकान किराया भत्ता	189000	−119000	70000	0
	009	चिकित्सा व्यय	60000	0	60000	23348
		;ksx mn~ns'; &16	1677000	211200	1888200	1780916

ctV en ,oa ;kstuk dk uke				foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vkbZ- dk miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy O;; 31-03-2020
Ø-	11 osru HkRrs		vkoaVu			
1	2	3	4	5	6	7
		21 ;k=k HkRrk				
16	001	यात्रा भत्ता	109000	90000	199000	154848
17	002	स्थानांतरण यात्रा हेतु	102000	0	102000	0
		;kssx mnns'; &21	211000	90000	301000	154848
18		22 dk;kZy; O;;				
19	001	Mkd ,oa rkj O;;	10000	0	10000	2600
20	002	njHkk"k O;;	175000	0	175000	91697
21	003	QuhZpj ,oa midj.k	3597000	0	3597000	3487901
22	004	iqLrdsa ,oa fu;rdkyhu if=dk,a	20000	0	20000	210
23	005	fctyh ,oa ty iHkkj	250000	0	250000	168960
24	006	ofnZ;k	7000	0	7000	0
25	007	ys[ku lkexzh ,oa QkeZ	270000	0	270000	47644
26	008	अन्य आकस्मिक व्यय	250000	0	250000	100949
27	009	पेट्रोल, तेल आदि	250000	–90000	160000	55459
28	010	आतिथ्य व्यय	250000	0	250000	10517
29	013	कार्यालय उपकरणों काक्रय	400000	0	400000	20000
30		;kssx mnns'; &22	5479000	&90000	5398000	3985937
		23&001 uohu okgu dk dz;	1000	0	1000	0
32		31 O;kolkf;d lsokvksa gsrq vnk;xh				
33	002	ijke'kZ lsok,a	23000	0	23000	0
34	003	vfHkHkk"kdksa dh Qhl	23000	0	23000	0
35	004	fo'ks"k lsokvksa ds fy;s ekunss;	6500000	0	6500000	4314069
36	006	lQkbZ O;oLFkk	125000	0	125000	16500
37	007	ifjogu O;oLFkk	900000	0	900000	502885
38	010	vU;	205000	0	205000	125423

ctV en ,oa ;kstuk dk uke				foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vks- dks miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy 0;; 31-03-2020
Ø-	11 oru HkRrs		vkoVu			
1	2	3	4	5	6	7
39		;kstuk mnns'; &33	7776000	0	7776000	4958877
		63&001 e'khu vkSj l;=	1000	0	1000	0
40		;kstuk ;kstuk &1921	2]40]23]000	$211200	24234200	1]25]12]303
		flxeasV dksM 9999				
		16&001 oru	828000	&211200	616800	616800
		16 &003 esgxkbZ HkRrk	124000	0	124000	86352
		16&006 edku fdjk;k	126000	0	126000	98688
		16&009 fpfdRlk0;;	40000	0	40000	7674
		21&002 LFkkukUrj.k ij 0;;	80000	0	80000	0
		;kstuk 9999	1198000	&211200	986800	809514
		egk;ksx ;kstuk 1921	25221000	0	25221000	13321817

ekx la[;k 39& eqt j gM&2408] lceqt j gM&01] ekbuj gM&001] Ldhe ¼;kstuk½ 1921] flxesV 0101] pkftl okWVM] vkWCtsDV dkM&11]12]16]21]22]31]63 ,oa flxesV 9999 esa vkWCtsDV dkM 16 ,oa 21

o"kZ 2020&21 esa ikIr ctV & vkoaVu ,oa 31-01-2021 rd O;; dh tkudkjh&

ctV en ,oa ;kstuk dk uke				foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vkj- dks miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy O;; 31-01-2021
Ø-	11 osru HkÙks		vkoaVu			
1	2	3	4	5	6	7
1	001	वेतन	1606000	0	1606000	1454774
2	003	मंहगाई भत्ता	273000	0	273000	78000
3	004	वाहन भत्ता	48000	0	48000	0
4	006	मकान किराया भत्ता	720000	0	720000	6885
5	007	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	0	0	0	0
6	008	अन्य भत्ते	2000	0	2000	0
7	009	चिकित्सा व्यय	100000	0	10000	0
8	010	अवकाश यात्रा सुविधा	0	0	0	0
9	011	त्योहार अग्रिम	0	0	0	0
10	016	अनाज अग्रिम	0	0	0	0
11	018	चिकित्सा अग्रिम	100000	0	100000	0
12	028	मंहगाई वेतन (ग्रेड पे)	0	0	0	0
13	;ksx	mnns'; 11	2849000	0	2849000	1539659
14		12& etnwjh	1000	0	1000	0
		16 osru HkÙks				
15	001	वेतन	2545000	0	2545000	1251355
16	003	मंहगाई भत्ता	611000	0	611000	212731
17	006	मकान किराया भत्ता	410000	0	410000	0
18	009	चिकित्सा व्यय	60000		60000	0
		;ksx mnns'; &16	3626000	0	3626000	1464086
		21 ;k=k HkÙkk				
19	001	यात्रा भत्ता	200000	0	200000	0
20	002	स्थानांतरण यात्रा हेतु	102000		102000	0

ctV en ,o ;kstuk dk uke				foRrh; o"k e fd, x, iufofu;kstu	foRrh; o"k e ch-lh-vk- dk miyC/k dy ctV	foRrh; o"k e dy 0;; 31-01-2021
Ø-	11 oru HkRr		vkoVu			
1	2	3	4	5	6	7
		;kx mnn'; &21	302000	0	302000	0
		22 dk;ky; 0;;				
21	001	Mkd ,o rkj 0;;	10000	0	10000	0
21	002	njHkk"k 0;;	240000	0	240000	65410
22	003	Quhpj ,o midj.k	3777000	0	3777000	3021600
23	004	iLrd ,o fu;rdkyhu if=dk,	20000	0	20000	0
24	005	fctyh ,o ty iHkkj	250000	0	250000	168160
25	006	ofn;k	7000	0	7000	0
26	007	y[ku lkexh ,o Qke	270000	0	270000	58715
27	008	अन्य आकस्मिक व्यय	160000	0	160000	66360
28	009	पेट्रोल, तेल आदि	250000	−175000	75000	11000
29	010	आतिथ्य व्यय	200000	0	200000	19150
	012	मुद्रण एवं प्रकाशन	200000	+350000	550000	154160
30	013	कार्यालय उपकरणों का कय	425000	−175000	350000	0
		;kx mnn'; &22	5809000	0	5809000	3564555
31		23&okgu d;	1000	0	1000	0
32		31 0;kolkf;d lokvk gr vnk;xh				
33	002	ijke'k lok,	23000	0	23000	0
34	003	vfHkHkk"kdk dh Qhl	23000	0	23000	0
35	004	fo'k"k lokvk d fy; ekun;	5000000	0	5000000	2947587
36	006	lQkbl 0;oL?Fkk	100000	0	100000	10500
37	007	ifjogu 0;oLFkk	950000	0	950000	406370
38	010	vU;	100000	0	100000	22500
		;kx mnn'; &33	6196000	0	6196000	3386957
		35&foKkiu ,o ipkj ilkj	1000	0	1000	0
		63 &001 e'khu vkj l;=	1000	0	1000	0
		;kx ;kstuk &1921	1]96]86]000	0	1]96]86]000	99]55]257

o"k 2020&21 e vk;kx dk ikIr f'kdk;r ,o fujkdj.k dh fLFkfr&

ykdMkmu d nkjku ikIr f'kdk;rk dh fLFkfr &

Ø	f'kdk;r dk fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk x;k	dh x;h dk;okgh
1	2	3	4	5	6
1	28.04.2020	म.प्र. लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल।	उमरिया जिले के करकेली ब्लाक की पंचायत धरवईझर के 3 गांव जंगेला, धरवईझर एवं सूरजपुरा में लोगों को राशन प्राप्त नहीं हुआ है, इनमें में ज्यादतर परिवार आदिवासी हैं जो लगभग 132 परिवार है स्थानीय निकाय के प्रयास से इनमें 30 लोगों को राशन वितरित किया गया है, शेष को नहीं मिला।	कलेक्टर जिला उमरिया को लिखा गया	कलेक्टर उमरिया के पत्र क्र. 719 खाद्य 2020, उमरिया, दि. 29.04.2020 के पत्र अनुसार ग्राम पंचायत धरवईझर जनपद पंचायत करेली के 129 उपभोक्ताओं की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए खाद्यान सामग्री का वितरण कराकर शिकायत का निराकरण किया गया।
2	07.04.2020	म.प्र. लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल।	शिवपुरी जिले के पोहरी ब्लाक के 3 गांव के 46 परिवारों का खाद्यान उपलब्ध न होने के संबंध में।	कलेक्टर जिला शिवपुरी को लिखा गया	जि.आ.अधि. शिवपुरी के पत्र क्र. 199 दि. 11.04.2020 के अनुसार पात्रताधारी परिवारों को खाद्यान प्राप्त हो चुका है शेष परिवार जिनकी पात्रता पर्ची नहीं है उनको शासन के कोविड 19 के तहत शासन से प्राप्त खाद्यान आवंटन में से 10–10 किलो खाद्यान उपलब्ध करा दिया गया है एवं शेष 4 परिवार निवासरत न होने तथा परिवार सम्पन्न होने से स्वयं के द्वारा राशन लेने से मना कर दिया है।
3	04.04.2020	म.प्र. लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल।	रीवा जिले के जवा ब्लाक के 6 गांव के लगभग 309 हितग्राहियों को खाद्यान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में	कलेक्टर जिला रीवा को लिखा गया	कलेक्टर, रीवा द्वारा शिकायत की जांच कराई गई। जांच में अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विक्रेता एवं संस्था के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी रीवा की पंजी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विक्रेता से खाद्यान्न, नमक, शक्कर का बाजार मूल्य से राशि रू. 3,17,295/– वसूली जाने एवं अभियोजन की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

Ø	f'kdk;r dk fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap dj fy, Hkstk x;k	dh x;h dk;Zokgh
1	2	3	4	5	6
4	04.04.2020	श्री लवकुश साकेततनय रामसखा साकेत जिला रीवा	उचित मूल्य दुकान बम्हनी अजमेर के विरूद्ध की गई शिकायत की जाचं कराये जाने के संबंध में।	कलेक्टर जिला रीवा को लिखा गया	कलेक्टर रीवा के पत्र 490 रीवा, दिनांक 27.04.2020 के अनुसार उक्त शिकायत की जाचं नायब तहसीलदार सेमरिया एवं श्री सत्यनारायण तिवारी नापतौल अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के संयुक्त रूप से कराई गई जिसमें दुकान में रखे स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर स्टाक पंजी/ ऑनलाईन स्टाक अनुसार स्टाक सही पाया गया एवं कोई अनियमितता नहीं पाई गई तथा शिकायत निराधार पाई गई।
5	29.05.2020	सचिन जैन, विकास संवाद जिला सतना	सतना जिले के मझगंवा ब्लाक के 30 गांवों में 179 ऐसे परिवार हैं जो वर्तमान में एनएफएसए सूची में शामिल नहीं है किन्तु जिन्हे राशन दिया जाना है उस सूची में इनका नाम शामिल नहीं हुआ है। कृपया राशन दिलाने की मदद करें।	कलेक्टर जिला सतना को लिखा गया	कलेक्टर, सतना एवं शिकायतकर्ता द्वारा जानकारी दी गई कि मझगंवा ब्लाक के 179 परिवारों को राशन दिलाया गया है।
6		सचिन जैन, विकास संवाद जिला सतना	रीवा जिले के जवा ब्लाक के 11 गांव के 105 ऐसे परिवार है जो एनएफएसए की सूची में शामिल नहीं है लेकिन कोरोना महामारी में इन्हे राशन की आवश्यकता है कृपया राशन दिलाने की मदद करें।	कलेक्टर जिला सतना को लिखा गया	कलेक्टर, रीवा एवं शिकायतकर्ता द्वारा जानकारी दी गई कि जवॉ ब्लाक के 105 परिवारों को कोरोना महामारी में राशन दिलाया गया है।
7	14.05.2020	म.प्र. लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल।	रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत के 10 परिवारों को कोविड–19 आपदा राहत निःशुल्क दिलाये जाने के संबंध में।	जिला रीवा को लिखा गया	जिला आपूर्ति नियंत्रक रीवा के पत्र क्रमांक 568 रीवा दिनांक 15.05.2020 के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत कोटा 10 हितग्राहियों को 230 किलो खाद्यान का वितरण सीएफटी पंचायत की उचित मूल्य दुकान डभौरा से कराया जा चुका है।

Ø	f'kdk;r dk fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdldks tkap dj fy, Hkstk x;k	dh x;h dk;Zokgh
1	2	3	4	5	6
8	14.05.2020	रामनरेश यादव समाज चेतना अधिकार मंच	रीवा के जवा ब्लाक के गांव नष्टिगवां, लोहरउहीं ग्राम पंचायत नष्टिगवां एवं ग्राम डभोरा ग्राम पंचायत डभोरा में अति गरीब वंचित 113 परिवारों ऐसे है जिनके पास राशन कार्ड एवं पात्रता पर्ची नहीं है कुल 548 सदस्य है जिन्हें राशन दिलाये जाने की शिकायत के संबंध में।	जिला रीवा को लिखा गया	कलेक्टर रीवा, के पत्र क्रमांक 630 दिनांक 02.06.2020 के अनुसार 113 परिवारों की सूची में से 83 परिवारों को खाद्यान प्रदाय हो चुका है, शेष 30 परिवारों में से ग्राम डभौरा के 11 तथा ग्राम घूमन के 3 कुल 14 परिवार अन्य पात्रता श्रेणी में योजना का लाभ ले रहे हैं, ग्राम पंचायत नष्टिगवा के 16 परिवारों की पात्रता का परीक्षण कराया जा रहा है।
9	19.05.2020		ग्राम कान्हासैया, बायपास रोड, भोपाल द्वारा बेघर एवं प्रवासी मजदूरों को राशन दिलाये जाने के संबंध में।	जिला भोपाल को लिखा गया	जिला आपूर्ति नियंत्रक, भोपाल के पत्र क्र 700 दिनांक 21.05.2020 के अनुसार शिकायत की जांच सहायक आपूर्ति अधिकारी से कराई गई जाचं प्रतिवेदन में उल्लेखित परिवारों को दिनांक 16.05.2020 को 10 किलो गेंहू, 02 किलो चावल के मान से कुल 120 किलो गेंहू एवं 24 किलो चावल का वितरण रोजगार सहायक ग्राम पंचायत कान्हासैया की उपस्थिति में किया गया।
10	19.05.2020	श्री संजीव शर्मा, कनिष्ठ आ.अधि. कैलारस जिला मुरैना	मुरैना जिले के कैलारस विकासखण्ड में राशन वितरण में गंभीर अनियमितता की शिकायत के संबंध में।	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं कलेक्टर रीवा को लिखा गया	कलेक्टर जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 1502 दिनांक 16.06.2020 के अनुसार दुकान क्रमांक 206025 को निलंबित कर अन्य दुकान क्रमांक 206014 पर अटेच कर राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की गई तथा संस्था के संचालक एवं विक्रेता के विरूद्ध प्र.सू.रि.सं. 0227 दिनांक 09.06.2020 से एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है।
11	30.05.2020	सुश्री अंवता मालवीय, आशा कार्यकर्ता, ग्राम बिछोली, इछावर जिला सीहोर	ग्राम बिछोली, ब्लाक इछावर, जिला सीहोर के 04 परिवारों को राशन की आवश्यकता है इनमें से 3 परिवारों के पात्र पात्रता पर्ची है लेकिन शा. उ. मू. दुकान 2903001 पर अनेको बार चक्कर लगाने के बाद भी राशन नहीं मिला।	जिला सीहोर को लिखा गया है।	कलेक्टर सीहोर के पत्र क्रमांक 2006 दिनांक 08.06.2020 के अनुसार जाचं के दौरान पंचायत सचिव को पोर्टल पर उपरोक्त परिवारों को पात्रता श्रेणी में सत्यापित किये जाने हेतू निर्देशित किया गया एवं परिवारों को राशन सामग्री की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 03 जून 2020 को राहत पहुंचाने हेतु राहत मद (SDRF) से राशन सामग्री प्रदाय की गई।

Ø	f'kdk;r dk fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk x;k	dh x;h dk;Zokgh
1	2	3	4	5	6
12	07.06.2020	म.प्र. लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल।	रीवा जिले के ग्राम पचांयत पनवार, जनपद पंचायत जवा, में 16 परिवारों को कोविड–19 का खाद्यान का कूपन जारी होने के बाद भी खाद्यान प्रदाय नहीं किया जाना की शिकायत के संबंध में	जिला रीवा को लिखा गया है।	जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला रीवा के पत्र क्रमांक 646 रीवा दिनांक 08.06.2020 के अनुसार 16 परिवारों में से 14 परिवारों को राशन दिया गया शेष 2 परिवार दुकान पर राशन प्राप्त करने नहीं आए हैं।
13		श्री सचिन जैन, सीमा कुरूप एवं सचिन श्रीवास्तव भोपाल	सूखी सेवनिया के एकता नगर जिला भोपाल के 420 परिवारों को माह मार्च अप्रैल एवं मई 2020 का कोविड 19 महामारी का आंवटित राशन वितरण नहीं किये जाने की शिकायत के संबंध में।	कलेक्टर भोपाल को लिखा गया।	अपर कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक 832 / खाद्य / 2020 भोपाल दिनांक 18.06.2020 के द्वारा शिकायत के निराकरण होने का लेख किया गया है जिसमें हितग्राहियों को राशन का वितरण ग्राम पंचायत सूखी सेवनिया एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित सूची में दर्ज हितग्राही एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर किया गया है।
14	04.09.2020	म.प्र. लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल।	शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत करहिया दुकान क्रमांक 01 रीवा द्वारा राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत	जि.आ. नियंत्रक रीवा को पत्र क्रमांक 565 दिनांक 04.09.20 से लिखा गया	जिला आपूर्ति नियंत्रक, रीवा के प्रतिवेदन अनुसार उ.मू. दुकान करहिया नं. 1 से पात्रताधारी परिवारों को माह जुलाई, अगस्त एवं सितं. 20 में पात्रतानुसार पीओएस मशीन से रेग्युलर खाद्यान्न, नमक, शक्कर, केरोसीन निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में वितरण हुआ है। पीएमगरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न व चना निःशुल्क जुलाई, अगस्त, 20 का वितरण हुआ है। जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी।
15.	05.10.2020	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर दिनांक 25.09.20, जिला सतना	''एसडीएम को शपथ पत्र दिया फिर भी नहीं मिला राशन, बुजुर्ग की मौत''	कलेक्टर सतना को पत्र क्रमांक 651 दिनांक 05.10.2020 को लिखा गया	मृतक के नाम बीपीएल राशन कार्ड जारी होकर उसके नाती नामिनी प्रदीप आदिवासी द्वारा माह अगस्त, 20 में 33 किलो खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। मृतक को लकवा था जिससे वह चलफिर नहीं पाता था। जिला आपूर्ति अधिकारी सतना के पत्र क्रमांक 939 दिनांक 22.09.20 के अनुसार श्री रामजीवन आदिवासी की मृत्यू भूख तथा राशन न मिलने से होना परिलक्षित नहीं होता है। का निराकरण दर्ज किया गया।

Ø	f'kdk;r dk fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdldk tkp dk fy, Hkstk x;k	dh x;h dk;okgh
1	2	3	4	5	6
16	07.10.2020	राज एक्सप्रेस समाचार पत्र अनूपपुर दिनांक 05.10.2020	प्राईवेट गौदाम पर छापा खाद्य विभाग द्वारा 135 गेहूं बोरी खाद्यान बरामद।	कलेक्टर अनूपपुर को पत्र क्रमांक 678 दिनांक 13.10. 2020 से लिखा गया	जिला आपूर्ति अधिकारी अनूपपुर के पत्र जांच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 125 बोरी वजन 68.79 क्विंटल गेहूँ अवैध रुप से भण्डारित पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रेषित। कलेक्टर के पत्र क्रमांक 614 दिनांक 13.10.2020 के अनुसार व्यवसायी सिद्धार्थ जैन एवं राजेश महतेले को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है एवं प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है। आयोग स्तर से कार्यवाही शेष नहीं है। निराकृत।
17	16.11.2020	दैनिक भास्कर भोपाल दिनांक 08.11.2020 जिला श्योपुर	गरीबों के लिए भेजा 106 मैट्रिक टन चना बोरी खोली तो निकले कीड़े।	कलेक्टर श्योपुर को पत्र क्रमांक 780 दिनांक 18.11.2020 से लिखा गया।	कलेक्टर ने जानकारी दी है कि जॉच में चना खराब होने की पुष्टि नहीं हुई है। दुकानों को प्रदाय चना अच्छी हालत में प्रदाय हुआ है।
18	16.11.2020	पीपुल्स समाचार दिनांक 11.11.2020 जिला भोपाल	चांदबड़ में राशन दुकान के सेल्समैंन के घर छापा, अफसरों के दस्तखत वाले 400 कोरे राशन कार्ड जप्त	कलेक्टर भोपाल को पत्र क्रमांक 782 दिनांक 18.11.2020 से लिखा गया।	कलेक्टर की जानकारी अनुसार कोरे राशन कार्ड जप्ती की पुष्टि हुई। संबंधित दोनो अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
19	19.11.2020	दैनिक भास्कर भोपाल दिनांक 11.11.2020 जिला खण्डवा	सर्वे में खुलासा खण्डवा में 22 हजार फर्जी गरीब परिवार, राशन मिलना बंद	कलेक्टर खण्डवा को पत्र क्रमांक 807 दिनांक 20.11. 2020 से लिखा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक 598 दिनांक 28.11.2020 के अनुसार शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में अपात्र परिवारों/सदस्यों को विलोपित करने एवं पात्र परिवारों/ सदस्यों को जोड़ने की सतत् प्रक्रिया जारी है जिसके तहत जिले में कुल 23023 परिवारों को पोर्टल से विलोपित किया गया एवं नवीन 10233 परिवारों को जोड़ा जाकर नवीन पात्रता पर्ची जारी की गयी। इस प्रकार प्रकाशित समाचार तथ्यहीन है।

Ø	f'kdk;r dk fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap dj fy, Hkstk x;k	dh x;h dk;Zokgh
1	2	3	4	5	6
20	19.11.2020	पत्रिका समाचार भोपाल दिनांक 05.11.2020 जिला कटनी	गरीबों के राशन पर 5 साल में रूपये 39 लाख की हेरा–फेरी	कलेक्टर कटनी को पत्र कमांक 811 दिनांक 20.11.20 से लिखा गया	कलेक्टर ने जानकारी दी कि दोषी पाये गये 11 कर्मचारियों को निलंबित कर अपयोजित राशि रु. 39,73,158 में से रुपये 26,46,993 की वसूली कर शेष राशि रु. 13,26,165 की वसूली प्रकियाधीन है। तत्कालीन लीड प्रब्रंधक एवं समिति प्रबंधक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
21	19.11.2020	दैनिक जागरण भोपाल दिनांक 11.11.2020 जिला अनूपपुर	अमानक चावल को राशन की दुकानों में खपाने की तैयारी	कलेक्टर अनूपपुर को पत्र कमांक 809 दिनांक 20.11.2020 से लिखा गया	कलेक्टर के पत्र अनुसार जिले में 0408.2 मै.टन भण्डारित चावल बी.आर.एल. हुआ था जिसको संबंधित मिलों को अपग्रेडेशन हेतु वापिस किया जाकर उनसे अपग्रेड किया गया चावल शासकीय उचित मूल्य दुकानों को वितरित किया गया। जिले में अमानक स्तर/गुणवत्ताविहीन चावल उचित मूल्य दुकानों में प्रदाय नहीं किया गया।
22	11.12.2020	नई दुनिया समाचार, मेघनगर दिनांक 10.12.2020 जिला झाबुआ	निजी गोदाम में खाली हो रहा था सरकारी अनाज, विधायक ने पकड़ा	कलेक्टर झाबुआ को पत्र कमांक 871 दिनांक 17.12.2020 से लिखा गया	जांच में ट्रक कमांक जीजे 20 यू 4331 श्री भैराजी बिल्डिंग मैटेरियल्स गणेश मंदिर के पास, मेघनगर में खड़ा पाया जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूँ 297 कटटे, चावल 12 कटटे, 22 किलो शक्कर पाये जाने से जप्त किया जाकर प्रकरण निर्मित, आईपीसी की धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही जारी है। विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है।
23	11.12.2020	दैनिक भास्कर भोपाल दिनांक 08.12.2020 जिला शहडोल	शहडोल में कुल 16 हजार बच्चे कुपोषित, इनमें भी 1328 गंभीर, घर तक नहीं बांट रहे पोषण आहार	कलेक्टर शहडोल को पत्र कमांक 873 दिनांक 17.12.2020 से लिखा गया	कलेक्टर ने जानकारी दी कि शहडोल जिले में वर्तमान में गम्भीर कुपोषित तथा मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या 6450 है जो कि 5 वर्ष तक के दर्ज बच्चों की संख्या का 6.68 प्रतिशत है। जिले में महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अमले द्वारा बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लाभ नियमित रुप से मिले, इस हेतु प्रतिदिन मानीटरिंग व्यवस्था की जा रही है एवं कुपोषण से निपटने हेतु यथा संभव समस्त प्रयास प्रशासन द्वारा किय गये है।

Ø	f'kdk;r dk fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdldk tkp d fy, Hkstk x;k	dh x;h dk;okgh
1	2	3	4	5	6
24	16.12.2020	पत्रिका समाचार भोपाल दिनांक 16.12.2020 जिला शहडोल	कुपोषित व्यवस्था का दंड भोग रहे मासूम, हड्डियों से चिपक गया था मांस, धंस गई थी आंखे, अब सांसे भी छोड़ गई साथ।	कलेक्टर शहडोल को पत्र क्रमांक 877 दिनांक 18.12. 2020 से लिखा गया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार बच्ची की मृत्यु Sever Hypothemia with shock with sepsis से होना बताया है।
25	18.12.2020	पत्रिका समाचार, भोपाल दिनांक 16.12.2020 जिला शहडोल	एक महिने की बच्ची का वजन डेढ़ किलो, हाथ तक अकड़ गये भोपाल पत्रिका दिनांक 18.12.2020 के संबंध में।	कलेक्टर शहडोल को पत्र क्रमांक 887 दिनांक 21.12. 2020 से लिखा गया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार बच्ची की मृत्यु Sever Hypothemia with shock with sepsis से होना बताया है।
26	23.12.2020	पत्रिका समाचार, भोपाल दिनांक 21.12.2020 जिला शहडोल	शहडोल में दो और बच्चों की मौत भोपाल पत्रिका दिनांक 21.12.2020 के संबंध में।	कलेक्टर शहडोल को पत्र क्रमांक 893 दिनांक 28.12. 2020 से लिखा गया	कलेक्टर ने जानकारी दी कि शहडोल जिले में वर्तमान में गम्भीर कुपोषित तथा मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या 6450 है जो कि 5 वर्ष तक के दर्ज बच्चों की संख्या का 6.68 प्रतिशत है। जिले में महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अमले द्वारा बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लाभ नियमित रुप से मिले, इस हेतु प्रतिदिन मानीटरिंग व्यवस्था की जा रही है एवं कुपोषण से निपटने हेतु यथा संभाव समस्त प्रयास प्रशासन द्वारा किय गये है।
27	26.12.2020	नव दुनिया समाचार भोपाल दिनांक 24.12.2020	बी.पी.एल. सूची में नहीं जोड़ रहे नाम पीड़ितों ने कलेक्टर से लगाई गुहार, नव दुनिया समाचार दिनांक 24.12.2020 के संबंध में।	कलेक्टर भोपाल को पत्र क्रमांक 891 दिनांक 28.12.2020 से लिखा गया	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
28.	12.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भेपाल दि. 11. 01.2021	सड़ गई कैप में भण्डारित की गयी 01 लाख टन धान के संबंध में	कलेक्टर, कटनी को पत्र क्रमांक 67–68 दिनांक 18.01.2021 से लिखा गया	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dk fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk x;k	dh x;h dk;Zokgh
1	2	3	4	5	6
29	12.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भेपाल दि. 11.01.2021	सड़ गई कैप में भण्डारित की गयी 01 लाख टन धान के संबंध में	कलेक्टर, रीवा को पत्र क्रमांक 65–66 दिनांक 18.01.2021 से लिखा गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
30	12.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भेपाल दि. 11. 01.2021	सड़ गई कैप में भण्डारित की गयी 01 लाख टन धान के संबंध में	कलेक्टर, सतना को पत्र क्रमांक 63–64 दिनांक 18.01.2021 से लिखा गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
31	12.01.2021	राज एक्सप्रेस समाचार, भेपाल दि. 11. 01.2021	सड़ गई कैप में भण्डारित की गयी 01 लाख टन धान के संबंध में	कलेक्टर, सिवनी को पत्र क्रमांक 61–62 दिनांक 18.01.2021 से लिखा गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
32	12.01.21	नवदुनिया समाचार, भोपाल दिनांक 12.01.21	गरीबों तक पहुंचने से पहले ही सड़ गया गेहूँ	कलेक्टर, बालाघाट को पत्र क्रमांक 59–60 दिनांक 18.01.2021 से लिखा गया।	कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गयी कि जॉच में गेहूँ सेग्रीगेंशन किये बिना वितरण न किये जाने की स्थिति पायी गयी। फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं में गेहूँ के वितरण पर रोक लगा दी गयी हैं।
33	13.01.2021	राज एक्सप्रेस, भोपाल दि. 12.1.2021 एवं हरिभूमि समाचार, भोपाल, दि. 13.01.2021	बीपीएल कार्डो एवं खाद्यान्न को लेकर गैस पीड़ितों का प्रदर्शन एवं पात्रता पर्ची नहीं मिलने पर महिलाओं ने कलेक्टोरेट में किया हंगामा।	कलेक्टर, भोपाल को पत्र क्रमांक 69–70 दिनांक 18.01.2021 से लिखा गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

vk;kx e nt l idj.k ,o mudk fujkdj.k dh fLFkfr

jk"Vªh; [kk| lqj{kk vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 20 d vUrxr jkT; [kk| vk;kx d le{k fopkjk/khu idj.k

l-d-	idj.k d-	idj.k dh fo"k;oLrq	dh x;h dk;okgh
01	01/2020	मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग द्वारा दिनांक 15.10.19 को नीमच जिले की समीक्षा बैठक एवं मैदानी भ्रमण तथा विकास खण्ड जावद, जिला नीमच में आयोजित जनसुनवाई शिविर में Jherh pUnkckb iRuh Loxh; Jh dyk'k nkl] xke ljknk] rg- tkon] ftyk uhep& vkbMh dekd 25248524] okM dekd 07 [kkrk dekd 77& u dgk fd mudk chih,y dkM cuk gA io e ifr&iRuh nkuk dk gj ekg jk'ku ikIr gkrk FkkA mud ifr dh eR;q ,d o"k io gk x;h FkhA ifr dh eR;q d ckn tc Jherh pUnk ckb u dkM e ef[k;k dk uke lËkkjdj viuk uke fy[kuk pkgk rk mldk dkM gh cUn gk x;kA bl dkj.k l fiNy ,d o"k l bl jk'ku dkM ij mUg [kk|kUu ugh fey jgk gA mld NkV&NkV cPp gA dbl ckj vkonu nu d ckn Hkh dkbl fujkdj.k ugh gvk gA	(1) श्रीमती चंदा बाई बीपीएल श्रेणी में नहीं पाई गयी। त्रुटिपूर्ण नाम जोड़ने के लिये पंचायत सचिव को चेतावनी दी गयी तथा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।
02	02/2020	मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अलीराजपुर जिले में 53 विद्यालयों में पिछले दो वर्षों में माह में पांच दिन या लगातार तीन दिन तक मध्यान्ह भोजन नहीं मिलने की जानकारी प्रकाश में आई थी। आयोग के निर्देश पर सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अलीराजपुर द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कहा गया कि उनके द्वारा दोषी संस्था/व्यक्ति से रू. 1,62,354=00 (रू. एक लाख बासठ हजार तीन सौ चौवन मात्र) का खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूली कर लिया गया है और उक्त राशि हितग्राहियों के खाते में जमा करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।	(2) खाद्य आयोग के निर्देश पर दोषी संस्था/ व्यक्ति से रू. 1,62,354 खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूल किया जाकर हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा करा दिया गया है।

03	03/2020	जिला शिवपुरी की समीक्षा बैठक में यह शिकायत प्राप्त हुई कि cMk[kjk xko e fiNy rhu ekg l vukt ugh cV jgk gA fodrk yxkrkj xMcMh dj jgk g] yfdu mld fo#) fyf[kr ,o ekf[kd f'kdk;r dju ij Hkh vkt rd [kk| vfËkdkjh }kjk dkb dk;okgh ugh dh tk jgh gA	(3) प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन के साथ–साथ प्रभावित हितग्राहियों को पिछले तीन माह का राशन उपलब्ध कराते हुए दोषी व्यक्ति/संस्था से खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा उनके विरूद्ध अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी, शिवपुरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कलेक्टर स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।
04	04/2020	''साझा मंच'' संगठन द्वारा राज्य खाद्य आयोग के ध्यान में यह शिकायत लाई गई कि सतना जिले के मझगवां ब्लाक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पात्र 49 महिलाओं को उनकी हकदारी नहीं दिलाई गई है। पात्र 49 महिलाओं के आवेदन, आधार कार्ड नंबर और बैंक खाता का विवरण भी उपलब्ध कराया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सतना को प्रकरण की जांच कर हितग्राहियों को उनकी हकदारी दिलाने के लिए निर्देश भेजे गए थे, लेकिन पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।	(4) जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सतना के अनुसार 49 में से 45 महिला आवेदकों को योजना का लाभ दिया गया है। शेष 04 आवेदकों द्वारा वांछित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने से भुगतान नहीं हो सका है।
05	05/2020	जिला बैतूल की समीक्षा बैठक में यह तथ्य जानकारी में आया था कि xfjek Lo lgk;rk leg] ulhjkckn] Cykd fppkyh }kjk Ldy d 150 cPpk d fy; Hkkstu cuk;k tkrk gA mDr lLFkk dk mfpr eY; ndku ulhjkckn l xke ulhjkckn] ckjckMh o nf/k;k d fo|ky;k d e/;kUg Hkkstu d fy, vxLr] 2018 dk xgw vHkh rd ikIr ugh gvk gA ukxfjd vkifr fuxe }kjk xgw ink; fd;k x;k g] tcfd fodrk }kjk lLFkk dk xgw miyC/k ugh djk;k tk jgk gA	(5) संस्था को जून, 18 एवं जुलाई, 18 का गेहूँ क्रमशः 171.6, 363 किग्रा. गेहूँ व 28.6, 66 किग्रा. चावल प्रदाय किया गया। परिवहनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रु. 5000 अर्थदण्ड आरोपित किया गया। सेवा सह. संस्था के विक्रेता के विरुद्ध रु. 1000 अर्थदण्ड आरोपित कर विक्रेता पद से हटाया गया।

06	06/2020	मण्डला जिले में जनसुनवाई शिविर में Jh fd'kkj vxoky] ekgxko_u f'kdk;r dh fd jk'ku lph l 54 lEiUu ykxk dk uke] ftle fd mudk Lo;a dk uke 'kkfey g] dkVu gr lph rRdkyhu rglhynkj dk nh xbZ Fkh] yfdu M< lky d ckn Hkh uke ugh gVk;k x;kA blh idkj 68 ,l 0;fDr tk fd er gk pd g] mud uke Hkh lph l gVku d fy, rglhynkj dk;ky; e yfcr gA bu er@vik= ykxk dk uke lph l gVk;k tk,A idj.k dh tkp dj ,d ekg d Hkhrj ikyu ifronu iLrr djus gr dk;okgh fooj.k e dyDVj dk funf'kr fd;k x;k FkkA ikyu ifronu e uk;c rglhynkj] ekgxko }kjk 93 vik= 0;fDr;k dk uke gVku dh tkudkjh iLrr dh xbA	(6) जिला आपूर्ति अधिकारी, मण्डला के पत्र दिनांक 14.4.20 अनुसार नायब तहसीलदार, मोहगांव, जिला मण्डला के आदेश दि. 07.03.2019 से 93 अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाया गया तथा एक व्यक्ति पात्र पाया गया।
07	07/2020	lyxko ipk;r e e/;kUg Hkkstu ,o vkxuokMh e Hkkstu dk dk;l xHkhj vfu;ferrk gku dh f'kdk;r gA fiNy rhu o"k l lyxko {k= dh vkxuokfM;k vkj fo|ky;k e fu;fer #i l uk'rk ,o Hkkstu ugh fey jgk gA nfud HkkLdj lekpkj i= e bl lc/k e lekpkj idkf'kr gvk FkkA o"k 2016 l vkxuokMh dUn e lk>k pYgk d ek/;e l Hkkstu forj.k ugh fd;k tk jgk gA bldh f'kdk;r gku ij ijkuh Lo lgk;rk leg dk cn dj 01 tuojh] 2020 dk ek uenk Lo lgk;rk leg dk Hkkstu cuku dk dk;l lkik x;kA ek uenk Lo lgk;rk leg }kjk Hkh vHkh rd ek= rhu ckj Hkkstu fn;k x;k gA f'kdk;r d ckn Hkh Lo lgk;rk leg d fo#) dkb dk;okgh ugh dh x;hA cPpk dk fu;fer #i l Hkkstu ugh fey jgk gA	(7) प्रकरण की जांच कर दोषी व्यक्ति/संस्था से उपरोक्त अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूल कर हितग्राहियों के खाते में जमा कराने एवं परियोजना अधिकारी के द्वारा पिछले तीन वर्षों से अनियमितता के संबंध में कार्यवाही नहीं करने के लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला बड़वानी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ipkj&ilkj

- आयोग द्वारा प्रदेश में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी जिसका समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया गया। आयोग द्वारा जिले में तीनों विभागों – (खाद्य, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास की (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) – योजनाओं की समीक्षा की गयी।

समीक्षा बैठक एवं आंगनवाड़ी में हितग्राहियों से चर्चा जिला नीमच

समीक्षा बैठक एवं आंगनवाड़ी में हितग्राहियों से चर्चा जिला नीमच

समीक्षा बैठक जिला शाजापुर

जिला शाजापुर – समीक्षा बैठक

vk;kx dh ftyk Lrjh; cBd ,o fujh{k.k

- राज्य खाद्य आयोग ने निश्चय किया कि योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर बैठकें एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण के पीछे आयोग के निम्न उद्देश्य थेः–
  - (अ) अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देना एवं उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाना।
  - (ब) कार्यक्रमों के संचालन के संबंध में जन प्रतिनिधियों का अब तक का अनुभव साझा करना तथा सुझाव प्राप्त करना,
  - (स) जिला प्रशासन के अधिकारी तथा निकायों के प्रतिनिधि, जिन्हें पात्र हितग्राही को चिन्हित करने, लाभ दिलाने, शिकायत का निराकरण करने एवं योजनाओं की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया हैं, के द्वारा कितनी सक्रियता से कार्य सम्पादन किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना,
  - (द) धरातल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राशन विक्रेता एवं महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा दी जा रही सेवा की गुणवत्ता का आंकलन करना, तथा
  - (न) आमजन एवं हितग्राहियों की संतुष्टि, जो कि योजनाओं की सफलता को नापने की सही कसौटी हैं, की स्थिति ज्ञात करना।
- भ्रमण के पहले दिन जिले के माननीय सांसद, माननीय विधायक या उनके प्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष, स्थानीय पार्षद, स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि एवं आम नागरिकों के साथ उनकी शिकायत एवं सुझाव प्राप्त करने के लिये बैठकें आयोजित की गई। जिले के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं तीनों विभागों के जिला अधिकारियों तथा सहयोगी निगम मण्डल के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भ्रमण के दूसरे दिन आयोग द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया तथा क्षेत्र के हितग्राहियों के साथ चर्चा की गई एवं संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझाव, विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विभाग प्रमुख एवं जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये।

Ok"k 2020&21 e jkT; [kk| vk;kx }kjk vk;kftr leh{kk cBd ,o fd, x, Hke.k ,o fujh{k.k

- वर्ष 2020–21 में (31 जनवरी, 2021 तक) राज्य खाद्य आयोग द्वारा प्रदेश के 07 जिलों का भ्रमण किया गया। आयोग द्वारा इस अवधि में जिन जिलों का भ्रमण किया गया, वे जिले निम्नानुसार हैंः–
- उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास व आगर मालवा।
- प्रत्येक जिले में एक दिवसीय निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भ्रमण के प्रथम दिवस में दो चरणों में चर्चा एवं बैठक आयोजित की गई। प्रथम चरण में स्थानीय सांसद/विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के सरपंच, महिला सरपंच, नगरपालिका के अध्यक्ष, पार्षद, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि, स्व सहायता समूह के प्रतिनिधि एवं हितग्राहियों के साथ बैठक आयोजित की गई एवं उनके सुझाव प्राप्त किए गए। द्वितीय चरण में कलेक्टर,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के साथ–साथ खाद्य, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य भण्डार गृह निगम के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। तत्पश्चात् भ्रमण में उ.मू.दु., इश्यू सेन्टर/भण्डारगृह, पोषण पुनर्वास केन्द्र का निरीक्षण किया गया।

- जिलों में पाई गई स्थिति एवं सुधारात्मक उपाय के बारे में आयोग के सुझाव एवं निर्देश को समावेश कर विस्तृत कार्यवाही विवरण संबंधित जिला अधिकारियों एवं राज्य शासन को भेजा गया है। निरीक्षण एवं समीक्षा बैठकों का विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :–

1- ftyk enlkj

v- yf{kr lkotfud forj.k i.kkyh

आयोग की जनप्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा उपरांत जिला प्रशासन ने बताया कि मंदसौर जिले में आई बाढ़ के कारण मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार बाढ़ पीड़ित परिवारों को राशन दिये जाने की जानकारी दी गयी। बायोमैट्रिक प्रणाली से हितग्राहियों को सत्यापन नहीं होने की स्थिति में हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिले को प्राप्त खाद्यान्न के गुणवत्ता की जांच करने के पश्चात् ही प्रदाय करने के निर्देश दिये गये जिससे हितग्राहियों को अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न प्राप्त हो।

समीक्षा में पाया गया कि जिले में e-PDS व्यवस्था जुलाई, 2019 से लागू है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की स्थिति संतोषप्रद है।

जिले की ग्रामीण जनसंख्या का कवरेज 70 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का कवरेज 49 प्रतिशत है। जिले में अ.जाति/अ.ज.जाति परिवारों को शहरी क्षेत्र में 86 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रो में 93 प्रतिशत परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। सम्पन्नता एवं पलायन आदि के कारण योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक 7924 अपात्र परिवारों को सूची से हटाया गया है। सतर्कता समिति के गठन के मामले में कार्यवाही हुई है। विकास खण्ड स्तरीय 05 सतर्कता समितियॉ गठित हैं, पिछले छः माह में 03 बैठक हुई हैं। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की 01 बैठक हुई हैं। जिले में पीओएस मशीन की स्थिति अच्छी है। सभी दुकानों में विजनटेक कंपनी की पीओएस मशीन लगी हुई हैं, जो कि अच्छा काम कर रही है एवं द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत सभी दुकानों में अग्रिम उठाव हो रहा है, जो कि अच्छी बात है।

पिछले 06 माह में कोविड–19, लॉकडाउन, निर्वाचन आदि कारणों से नियमित बैठके संपन्न नही हो सकी। जिले में 457 उ.मू. दुकानों में से 457 उ.मू. दुकानों में दुकान स्तरीय सतर्कता समिति गठित हैं। उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिये गये। जिले में कुल 440 पंचायतें है। इनमें से 47 पंचायतों में उचित मूल्य दुकान नहीं है। आयोग ने दुकान विहीन पंचायतों में नवीन दुकान शीघ्र खोलने हेतु निर्देशित किया।

c- ijd ik"k.k vkgkj dk;Øe

जिले की समीक्षा में पाया गया कि परियोजना में कुल ग्रामों की संख्या 934, आंगनवाडी केन्द्रो की संख्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1735 है। आंगनवाडी केन्द्रो के हितग्राहियों की संख्या 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 55523, 3 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 59234, गर्भवती महिलाओं की संख्या 12423, धात्री महिलाओं की संख्या 11814, टीएचआर वितरण की हितग्राहियों की संख्या 767720 पैकेट संख्या 306880 है। जिले में पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या–79760, टीएचआर प्राप्त हितग्राहियों की संख्या–76720, टीएचआर से वंचित हितग्राहियों की संख्या–3040 है। जिले में कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या 107393, मध्यम

कुपोषित बच्चों की संख्या 6112, अति कुपोषित बच्चों की संख्या 588, एनआरसी में भेजे गए बच्चों की संख्या 258 गोद लिए गए बच्चों की संख्या 549 है। जिलें में कुल पात्र गर्भवती माताओं की संख्या 37951, प्रथम किश्त प्राप्त माताओं की संख्या 36918, द्वितीय किश्त प्राप्त माताओं की संख्या 36146, तृतीय किश्त प्राप्त माताओं की संख्या 29224 है।

आयोग द्वारा 66 अति कुपोषित बच्चो को जो कि एनआरसी मे भर्ती होने के पश्चात स्वस्थ्य होकर अपने घर चले जाते है, जिनके अभिभावको द्वारा बच्चो को सही खानपान नही देने से बच्चे पुनः कुपोषित हो जाते है। इसलिये ऐसे कुपोषित बच्चो का 5 माह तक नियमित फालोअप लिये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही ऐसे बच्चो को आंगनवाड़ी केन्द्रो मे उपलब्ध पूरक पोषण आहार भी दिये जाने के निर्देश दिये गये।

जनप्रतिनिधियों की मांग पर आयोग ने नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के शासन को भेजे गये प्रस्ताव की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। आयोग ने विभाग के अधिकारियों को, आंगनवाड़ी केन्द्र के बारे में समाज में उसकी छवि को सुधारने हेतु निर्देशित किया गया। मंदसौर जिले में कुल 6112 मेम बच्चे 588 सेम बच्चे के बारे आयोग ने स्थिति संतोषजनक पाया। आयोग ने कहा कि कुपोषण के कलंक को समाप्त करने हेतु सर्वप्रथम किशोरी बालिकाओं को समझाईश दी जाये। गर्भवती माताओं को भी गृहभेंट के माध्यम से सही पालन पोषण हेतु सही आहार लेने की समझाईश दी जाये। सभी मेम एवं सेम बच्चो के परीक्षण हेतु आगामी 6 माह मे करने के निर्देश दिये गये। सभी बच्चो की ट्रेकिंग करना एवं सेम बच्चो की लगातार दो माह तक मानिटरिंग करने के निर्देश दिये गये। ताकि सेम बच्चे मेम में एवं सामान्य श्रेणी में आ सके। आयोग ने प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को केवल अपने केन्द्र पर ही शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने हेतु मानसिक रूप से तैयार करने के निर्देश दिये। जिले मे संचालित ‘‘ऑचल अभियान’’ एवं ‘‘उड़ान अभियान’’ के बारे में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। ^^,d ekfy'k&nl ykHk^^ पर विशेष अभियान के रूप मे चलाने के निर्देश दिये गये एवं आंगनवाड़ी मे आयरन सीरप, दूध आदि की उपलब्धता है उन्हे मेम एवं सेम बच्चो को देने के निर्देश दिये गये। सरजना पत्ती के चूर्ण के महत्व के बारे मे जानकारी दी एवं इसका सेवन प्रतिदिन बच्चो को दूध के साथ या सीधे एक चम्मच देने के एवं गर्भवती माताओं को 2 चम्मच सुबह एवं शाम देने के सुझाव दिये गये। ^^,dkRe vfHk;ku&dqiks"k.k ls lqiks"k.k^^ अभियान चलाने हेतु निर्देश दिये गये।

l- e/;kUg Hkkstu ;kstuk

मध्यान्ह भोजन की समीक्षा में पाया गया कि जिले में मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत संलग्नीकरण प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के कुल 87399 छात्रों को माह अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक कुल 2003755 कि. ग्रा. खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

जिले में मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत संलग्नीकरण प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के कुल 87399 छात्रों को माह अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक कुल रू. 451 लाख का खाद्यान्न भत्ता सीधे छात्रों के खातों में शासन स्तर हस्तांतरित किया गया है। मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत जिले के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2018–19 में कुल 12 किचनशेड स्वीकृत किये गये जिनकी राशि संबंधित क्रियांवयन एजेंसी का जारी की जाकर समस्त 12 किचनशेडों का कार्य पूर्ण कर लिया है।

जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर जिले में छात्रों की संख्या के मान से खाद्यान्न आवंटन प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने की सलाह आयोग द्वारा की गयी। आयोग ने अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन योजना में प्रदाय करने के निर्देश दिये। जिले के मदरसों के लिये मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत खाद्यान्न आवंटन की मांग करने का सुझाव दिया गया।

2- ftyk mTtlu &

v- yf{kr lkoltfud forj.k il.kkyh

1. जिले की समीक्षा में पाया गया कि सर्वर डाउन होने की स्थिति में पीओएस मशीन समग्र मोड मे होने पर हितग्राही को बिना आधार प्रमाणिकरण से समग्र आईडी से राशन वितरण की व्यवस्था शासन द्वारा प्रदान की गई है, जिससे राशन सामग्री वितरण बाधित नही होती है। जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि उचित मूल्य दुकान के तुलावटी को मानदेय दिया जावे तथा खाद्यान्न सामग्री पर हुई क्षति की पूर्ति शासन स्तर से करायी जावे। पंचायत स्तर पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित करने वाले स्व–सहायता समूह को रु. 8400 प्रति दुकान के मान से कमीशन दिलाये जाने की मांग पर आयोग ने खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि वे इस संबंध उचित कार्यवाही करें एवं शासन द्वारा निर्धारित मानदेय व कमीशन दिलाने की कार्यवाही करें।
2. समीक्षा में पाया गया कि जिले में सक्षम लोगो द्वारा बीपीएल श्रेणी के राशनकार्ड बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री का लाभ ले रहे है, ऐसे सक्षम लोगो की जॉच कर उनके राशनकार्ड निरस्त किये जाने के संबंध में आयोग ने कहा कि ऐसे अपात्र लोगो की जॉच की जावे तथा जॉच में अपात्र पाये जाने पर उनके द्वारा जो खाद्यान्न सामग्री शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त की गयी है, उसकी शासन निर्देशानुसार वसुली की जावे। जिले में राशन सामग्री प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के डेटाबेस में अभी तक 95 प्रतिशत उपभोक्ताओं के डेटाबेस में आधार सीडिंग की गई है शेष परिवारो के डेटाबेस में आधार सीडिंग की कार्यवाही की जा रही है।। डूप्लीकेट तथा मृत हितग्राहियों की जॉच परीक्षण कर ऐसे हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपित करने, सक्षम परिवारों से स्वेच्छा से राशनकार्ड समर्पित करने की अपील उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शित करने तथा नवीन सदस्यो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने हेतु आयोग द्वारा निर्देश दिये गये।
3. आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि नये प्रावधान के तहत दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन शतप्रतिशत करने तथा सतर्कता समिति के सदस्यों की सूची, मोबाईल नंबर शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शित करने, दुकान स्तर पर दुकान स्तरीय समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित करने, जिले में रोस्टर जारी कर खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों तथा मध्यान्ह भोजन विभाग के संयुक्त अधिकारियों दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों को उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य के बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जावे।
4. जिले में खाद्यान्न की गुणवत्ता की जॉच उपरांत ही उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न प्रदाय करने की व्यवस्था की जावे। ऐसे परिवार जो निरन्तर 4 माह से राशन सामग्री प्राप्त नही कर रहे है, की जॉच कराकर पोर्टल से हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर आयोग ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों पर सामग्री समय से पहुॅचाई जावे। जिले में 354 विक्रेता द्वारा एक उचित मूल्य की दुकान, 96 विक्रेताओं द्वारा दो, 39 विक्रेताओं तीन तथा 4 विक्रेताओं द्वारा चार उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा है। आयोग द्वारा उपायुक्त, सहकारिता को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिये पृथक–पृथक विक्रेता की नियुक्ति करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रतिदिन उचित मूल्य की दुकान खुल सके। जिले की समस्त उचित मूल्य की दुकानों की रंगाई पुताई करवाकर दुकान की दीवारों पर उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता, क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी के मोबाइल नंबर तथा सीएम हेल्पलाइन नंबर एवं अन्य आवश्यक सूचना पटल इत्यादि प्रदर्शित करने की कार्यवाही की सूचना आयोग को दी गयी। आयोग ने इस पर संतोष व्यक्त किया।

c- i|jd ik"k.k vkgkj dk;|de &

1. आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों से अपील की गई कि वे अपनी जिम्मेदारी समझे तथा ग्राम के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित करें। जिले में एकात्म नाम से कुपोषण के विरूद्ध अभियान चलाने का सुझाव दिया गया। आयोग ने कहा कि गृह भेंट एवं अन्नप्रासन कार्यक्रम से कुपोषण दूर करने में मदद मिलती है, यदि बच्चें के मध्यम कुपोषण होने पर ही ध्यान दिया जाए तो बच्चा अति कुपोषित होने से बच सकता है। आयोग ने कहा कि पर्यवेक्षक अपने निरीक्षण के दौरान गर्भवती एवं धात्री माताओं से अनिवार्य रूप से चर्चा/भेंट करें तथा उनकी बैंठके ले। आयोग ने कहा कि सतर्कता समिति के सदस्यों को जानकारी के पम्पलेट बनवाकर दिये जावें ताकि वे और अधिक जागरुक हों।
2. आयोग ने सुझाव दिया कि परियोजना अधिकारियों को एक–एक ग्राम का चयन कर वहां से कुपोषण दूर कराने का प्रयास किया जावे।
3. आयोग ने सहजन की पत्ती के उपयोग का सुझाव दिया। आंगनवाडी केन्द्र से वितरित होने वाला दूध व आयरन सिरप तथा बच्चों की मालिश घर पर उपलब्ध तेल से कराने से कुपोषण में कमी लाई जा सकती है। पर्यवेक्षक अपने गृह भेंट के दौरान माताओं को सलाह दें कि वे बच्चों को फल, दूध, चना, गुड़ आदि का सेवन करायें तथा बच्चों को बाहरी चीजें जैसे कुरकुरें, बिस्कीट आदि के सेवन से बचायें।
4. आयोग ने जिले की आवश्यकता अनुसार टी.एच.आर. की मांग शासन से करने का सुझाव दिया।

3- ftyk 'kktkiqj &

v- yf{kr lko|tfud forj.k i|.kkyh&

(1) आयोग द्वारा समीक्षा करने पर पाया गया कि कई हितग्राहियों को पीओएस मशीन की खराबी होने से समय पर खाद्यान्न, नमक आदि प्राप्त नहीं हो पाया है, निर्देश दिये गये कि ऐसे हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें खाद्यान्न दिलाने की व्यवस्था करायी जावे। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को कम कमीशन मिलने के संबंध में निर्देशित किया गया कि निर्धारित दर पर उन्हें कमीशन दिया जावे। उचित मूल्य दुकान पर सामग्री तौल कर देने के निर्देश दिये गये। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्व सहायता समूहों को सामग्री तौल कर देने के निर्देश दिये गये। पुराने तौल कांटों की जांच कराकर सील लगवाने के निर्देश दिये गये। कम राशन कार्ड वाली उचित मूल्य दुकान पर राशन कार्डो का संलग्नीकरण शासन निर्देशानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये। सतर्कता समिति के सदस्यों को उनके कर्त्तव्य एवं अधिकार के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिये गये। आयोग द्वारा जिले में माह दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार 10,056 ऐसे परिवार है जिनके द्वारा राशन सामग्री प्राप्त नहीं की गई हैं, इनमें अनुमानित 40,000 सदस्य होगे, ऐसे परिवार की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी ग्राम पंचायत जहॉ अभी तक शा.उ.मू. दुकान नहीं खोली गई है वहॉ शासन निर्देशानुसार दुकान आवंटन की कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।

c- i|jd ik"k.k vkgkj dk;|de &

जिले में अतिकम एवं कम वजन के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के सम्बंध में चिन्हित गम्भीर एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों के श्रेणी सुधार हेतु परिवार को परामर्श देने के सम्बन्ध में उपस्थित पर्यवेक्षकों से जानकारी ली एवं सन्तुष्टी व्यक्त की। आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित किये जा रहे पूरक पोषण आहार के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित स्व सहायता समुहों, जन प्रतिनिधियों, उचित मुल्य दुकान के संचालकों ने बतलाया कि सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का पोषण आहार प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करने पर पाया गया कि निर्धारित लक्ष्य के विरूध्द 95 प्रतिशत लक्ष्य की

पूर्ति कर ली गयी है। आयोग द्वारा प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। आयोग व्दारा निर्देशित किया गया कि टी.एच.आर 100 प्रतिशत सभी पात्र हितग्रहियों को वितरित करना सुनिश्चित करें ,टी.एच.आर. से कोई भी हितग्राही वंचित नहीं रहे।

l- e/;kUg Hkkstu dk;Zdze &

विकासखण्ड मो. बड़ोदिया के विकासखण्ड स्रोत समन्वयक से प्राप्त जानकारी अनुसार मा.वि. गुलाना में खाद्यान्न वितरण दिनांक तक 219 बच्चों की Maping समग्र पोर्टल पर की गई थी। जिनको सूखा राशन प्राप्त हो चुका हैं। उक्त शाला में 226 बच्चों की मैपिंग हुई अर्थात् 07 बच्चों की मैंपिंग बाद में हुई हैं, जिनको सूखा राशन प्रदाय होना शेष हैं। सूखा राशन प्राप्त होने के उपरांत मैपिंग हुए बच्चों की जानकारी एकत्रित कर शासन से मांग की जावेगी एवं आवंटन प्राप्त होने के उपरांत वितरण किया जावेगा। लाकडाउन अवधि में शासन द्वारा माह मई एवं अगस्त 20 में रसाईयों का पारिश्रमिक प्रदाय किया गया हैं तथा शेष माह के रसोईयों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु राज्य शासन को मांग पत्र तैयार किया गया हैं।

4- ftyk jryke &

v- yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जिले के माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि जिले में सर्वर की समस्या के कारण समय पर उपभोक्ताओं को सामग्री वितरण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उचित मूल्य दुकान विहीन पंचायतों में दुकान आवंटन की मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी। आयोग ने जिला अधिकारियों को सर्वर की समस्या का निराकरण कराने एवं दुकान विहीन पंचायत में उचित मूल्य दुकान आवंटन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का सुझाव दिया गया। खाद्यान्न प्रदाय होने के पूर्व उसकी एनालिसिस करने के निर्देश दिये गये।

2. जिले की समीक्षा में आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि पात्र सदस्यों का आधार सीडिंग का कार्य अभियान चलाकर पूर्ण कराया जावे। ऐसे पात्रता पर्चीधारी जो गत 06 माह से खाद्यान्न लेने नहीं आ रहे हैं, उनकी अभियान चलाकर जांच करायी जावे एवं अपात्र पाये जाने पर नियमानुसार पोर्टल से हटाने की कार्यवाही की जावे। शासन के नवीन निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान एवं विकास खण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया जाकर सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जावे तथा समय पर उनकी बैठकें आयोजित की जावें। उचित मूल्य दुकानों के सूचना पटल पर आवश्यक जानकारी अद्यतन स्थिति में प्रदर्शित करायी जावे। ऐसे परिवार जिनकी अंगूठा निशानी पीओएस मशीन में नही आ रही है, उनके नामिनी बनाकर उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

c- iwjd iks"k.k vkgkj dk;Zdze &

जिले की समीक्षा में पाया गया कि विभागीय आंगनवाड़ी भवन में मुनगा के पौधों का रोपण करवाया गया है। अति कम वचन के बच्चों को 21 दिवसीय विशेष कैम्प आयोजित करवाया गया है। बच्चों की मालिश प्रतिदिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा परिजनों को सिखाकर करवाई गयी, जिसके बेहतर परिणाम आये है। जिले के अधिकारियों द्वारा घर–घर जाकर अति कम वजन के बच्चों को सुपुष्टी चूर्ण एवं तेल वितरित कराया गया। आयोग ने निर्देशित किया कि कुपोषण को कम करने के लिये गर्भवती महिलाओं की काउन्सिलिंग करना आवश्यक है ताकि गर्भकाल के दौरान फल, दूध एवं हरे पत्तेदार सब्जियों को दैनिक भोजन में शामिल करने की प्रेरणा मिले। आयोग ने कहा कि पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा समुदाय की प्रभावी काउन्सिलिंग की जाए ताकि बच्चों को एनआरसी में रेफर करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

l- e/;kUg Hkkstu ;kstuk &

जिले की समीक्षा में पाया गया कि शाला के कुछ बच्चों के खातों में राशि नहीं पहुंची है। आयोग ने निर्देशित किया कि मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता एवं समूह द्वारा बच्चों को वितरित खाद्यान्न की सतत् मानीटरिंग की जावे। ऐसे बच्चे जिनके खाते सही नहीं होने से भत्ते की राशि उनके या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में नहीं पहुंची है, ऐसे बैंक खातों में सुधार करवाकर हितग्राही के खाते में राशि जमा करायी जावे।

5- ftyk nsokl &

v- yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

समीक्षा में पाया गया कि जिले की शहरी जनसंख्या का 53 प्रतिशत एवं ग्रामीण जनसंख्या का 64 प्रतिशत जनसंख्या को योजना का लाभ मिल रहा है। जिले के सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय सतर्कत समिति एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की बैठकें कराने के निर्देश दिये गये। जिले में माह में 16704 परिवारों द्वारा सामग्री प्राप्त नहीं की जाने पर जांच कराने के निर्देश दिये गये। जिले में दो या दो से अधिक दुकान चलाने वाले 83 विक्रेता है। आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक दुकान एक विक्रेता का मापदण्ड अपनाया जावे। जिले में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसका निराकरण किया गया है।

c- iwjd iks"k.k vkgkj dk;Zdze &

जिले की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनमानस से जीवन्त सम्पर्क स्थापित करने का सुझाव दिया गया। समीक्षा में जानकारी दी गयी कि एक सेक्टर की 22 आंगनवाड़ियों में 21 बच्चे कुपोषित हैं। इस पर आयोग ने मध्यम श्रेणी के कुपोषित बच्चों को अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया ताकि कुपोषण में कमी आ सके। कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान दिये जाने का सुझाव दिया गया।

l- e/;kUg Hkkstu ;kstuk &

जिले की समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 2074 शालाओं में कुल 1,08,516 बच्चे दर्ज हैं। जिले को प्राप्त कुल 2421.44 मै.टन खाद्यान्न के विरुद्ध 2373.47 मै.टन का वितरण बच्चों को किया गया। शाला के बच्चों को तुअर दाल एवं खाद्य तेल का भी वितरण किया जाना पाया गया।

6- ftyk uhep &

v- yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

आयोग ने जिले में जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि जिन स्व सहायता समूह की उचित मूल्य दुकानों में 200 से कम राशन कार्ड संलग्न हैं, उन्हें केवल रु. 2400 कमीशन प्राप्त होता है, इससे दुकान का संचालन करना कठिन होता है, अतः दुकान का कमीशन अन्य दुकानों के समान रु. 8400 प्रति माह किया जावे। विभाग ने अवगत कराया कि संचालक, खाद्य को इस संबंध में उचित निर्णय लेने हेतु लिखा गया है।

2. आयोग की समीक्षा में पाया गया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन श्रेणी के 5274 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की गयी है। आयोग द्वारा सुझाव दिया गया कि उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों को उनके कर्त्तव्य एवं अधिकार के संबंध में जानकारी दी जावे। जिले के पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची दिलवाने हेतु निर्देश दिये गये। विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि ऐसे स्थानों पर जहां पर सर्वर प्राप्त नहीं होता है, उन स्थानों की उचित मूल्य दुकानों की समस्या से संचालक, खाद्य को जानकारी

दी गयी हैं ताकि समस्या का निराकरण हो सके। उचित मूल्य दुकान विहीन पंचायतों में दुकान आवंटन करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

7- ftyk vkxj ekyok

अ. आयोग द्वारा दिनांक 06.01.2021 को पूरक पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की गयी। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से पूरक पोषण हेतु विशिष्ट अभियान संचालित हो रहा है। जिले में कुपोषण की दर में कमी आई हैं। जिले में रिक्त पर्यवेक्षकों के पदों को भरा जाना चाहिए ताकि योजनाएं और अधिक गति से संचालित होगी।

ब. कोविड–19 की महामारी को देखते हुए शासन ने शालाओं को बंद किया है परन्तु शासन निर्देशानुसार छात्र/छात्राओं को सूखा खाद्यान्न का वितरण उनके परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है।

स. जिले में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियॉ गठित करने की प्रक्रिया चल रही है। जिले में 6630 परिवारों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जिले में संचालित 249 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं का अग्रिम प्रदाय सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में खाद्य विभाग के पद रिक्त हैं, जिन्हें शीघ्र भरा जाए।

8- jkT; 'kklu dk dh x;h egRoi.k vu'kl k,ı %&

8.1 आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 में आयोग के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 16.02.2018, वर्ष 2018–19 में आयोग के पत्र क्रमांक 72 दिनांक 30.01.19 तथा वर्ष 2019–20 में आयोग के पत्र क्रमांक 133 दिनांक 18 फरवरी, 2020 से महत्वपूर्ण अनुशंसाएं शासन को भेजी गयी हैं । विभागवार स्थिति निम्नानुसार है :–

'kklu dk Hkth xbl ie[k vu'kl k,ı &

म.प्र. राज्य खाद्य आयोग का गठन खाद्य विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 7–35–2013 उन्तीस–1, दिनांक 11.4.2017 के तहत किया गया है। गठन के दिनांक से खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए आयोग सतत प्रयत्नशील रहा है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा संभाग, जिला एवं विकासखण्ड का नियमित दौरा किया जाता है। भ्रमण के समय निरीक्षण के साथ–साथ विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के साथ चर्चा एवं बैठकें आयोजित की जाती है। बैठक एवं निरीक्षण के आधार पर कठिनाइयों को दूर करने तथा कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य शासन को अपने सुझाव प्रेषित किये जाते हैं।

1. वर्ष 2017–18 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में समेकित अनुशंसाएं राज्य शासन को पत्र क्र.130 दिनांक 16.2.18 द्वारा भेजी गई। वर्ष 2018–19 में इन्हीं योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में कुछ और सुझाव/अनुशंसाएं अपने पत्र क्र. 72 दिनांक 30.1.19 के द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किए गए हैं (परिशिष्ट 'ख')। उपरोक्त अनुशंसाएं शासन के समक्ष विचाराधीन है। अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिए समय–समय पर खाद्य, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास विभाग को स्मरण कराया गया है। दिनांक 14.5.19, दिनांक 15.5.19 एवं दिनांक 16.5.19 को इन विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर अनुशंसाओं पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए अनुरोध किया गया।

2. वर्ष 2019–20 में पाया गया कि योजनाओं को लाभकारी एवं परिणाममूलक बनाने के लिए विभागों द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन महत्वपूर्ण निर्णयों को निम्नानुसार समेकित किया जा सकता हैः–

(i) वास्तविक हितग्राही की पहचान कर उसे अधिप्रमाणित आधार पर राशन देने के लिए सभी जिलों में ए.ई.पी.डी.एस. व्यवस्था लागू की गई है।

(ii) कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर प्रोटिनयुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य दुकान से दाल का विक्रय प्रारंभ किया गया।

(iii) प्रत्येक पंचायत में राशन दुकान खोलने के लिए निर्णय लिया गया है।

(iv) वृद्ध, अशक्त एवं अंगूठा घिस जाने वाले हितग्राहियों को अपने नजदीकी व्यक्ति को नामिनी नियुक्त कर उनके माध्यम से राशन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

(v) योजना लागू होने के बाद पहली बार घर–घर सर्वे कर अपात्र परिवारों की पहचान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

(vi) डी.एस.के. कंपनी की मशीन को बदलकर सभी राशन दुकानों में विजनटेक कंपनी की मशीन की स्थापना की गई है, जिसके कारण राशन वितरण का कार्य सुगम हुआ है।

(vii) मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए अधिकांश विद्यालयों के किचन शेड में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष विद्यालयों में गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा क्रय करने के लिए राशि निर्गमित की गई है।

(viii) मध्यान्ह भोजन एवं पूरक पोषण आहार के लिए विभागाध्यक्षों द्वारा अनाज का अग्रिम आवंटन जारी किया जा रहा है, जिसके कारण स्व सहायता समूहों को समय पर अनाज प्राप्त हो रहा है।

(ix) पिछले वर्ष की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर अगले माह के लिए आवंटन जारी होने से कम अनाज मिलने की शिकायत बहुत हद तक दूर हुई है।

चालू वित्तीय वर्ष में आयोग द्वारा 07 जिलों का भ्रमण कर खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया। समस्याओं को रेखांकित कर विस्तृत कार्यवाही विवरण यथा समय जिला प्रशासन एवं शासन को भेज दिए गए है।

v-[kk| ukxfjd vkiifr ,o miHkkDrk lj{k.k foHkkx & yf{kr lkoltfud forj.k i.kkyh &

[kk| vk;kx d i= dekd 130] fnukd 16-2-18 }kjk 'kklu dk Hkth x;h vu'klk,a &

d-	o"kZ 2017&18	[kk| foHkkx
	lefdr vu'klk,a	'kklu }kjk ikyu
1.	1- ik=rk iph %& 1.1 प्रदेश के सभी जिलों में अभी भी अनेक पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित है। जांच करने पर पाया जाता है कि कई अपात्र परिवारों का नाम प्रारंभ से सूची में शामिल हो जाने के कारण जनसंख्या के कवरेज के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को प्राप्त कर लिया गया, जबकि काफी संख्या में पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को उनके हकदारी उपलब्ध कराने के लिए अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से पृथक किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में ठोस पहल करने की आवश्यकता महसूस होती है। आयोग अनुशंसा करता है कि सभी जिलों में तीन माह के भीतर हितग्राही सूची की जांच का कार्य पूरा कर लिया जाये। बोगस आधार एवं मिसमैच आधार कार्डधारी के अलावा अनुचित रूप से लाभ प्राप्त कर रहे सम्पन्न परिवार की भी जांच के दायरे में लाया जाए। अपात्र परिवारों को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उनका नाम सकारण सूची से हटाया जाना चाहिए।	1.1 वर्तमान में प्रदेश स्तर पर सत्यापन अभियान उपरांत माह सितंबर, 2020 से नवीन हितग्राहियों को जोड़े जाने की कार्यवाही सतत् रुप से जारी है। माह सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि में कुल 28.81 लाख नवीन हितग्राहियों को जोड़ा जाकर लाभान्वित किया जा चुका है। मृत्यु/दुहरे/बोगस /अपात्र चिन्हांकित अपात्र लगभग 95 लाख हितग्राहियों को पोर्टल से अस्थाई रुप से स्थगित किया गया है। इनमें से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले परिवार को पुनः नवीन आवेदन कर जोड़े जाने की सुविधा भी की गयी है। सत्यापन अभियान में प्रदेश के कुल 11740426 परिवारों में से 1073307 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है।
	1.2 सम्पन्न व्यक्तियों को राशन कार्ड समर्पित करने के लिए जन–जागरण अभियान चलाया जाना उचित होगा। कार्ड समर्पण करने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने से इसका अच्छा प्रभाव दूसरे परिवारों पर भी पड़ेगा। साथ ही सम्पन्न होने के बाद भी गरीब व्यक्तियों का हक का राशन हड़पने वाले गंभीर प्रकरणों में राशन की कीमत ब्याज सहित वसूली करने की कार्यवाही की जा सकती है, जिससे इस प्रकार की मनोवृत्ति पर अंकुश लग सकती है। 1.3 वर्तमान में लागू केन्द्रीयकृत व्यवस्था में परिवर्तन कर अपात्र परिवारों को हटाने एवं पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का अधिकार जिला कलेक्टर्स को प्रत्योजित किया जाना चाहिए, ताकि शीघ्रता से कार्य का निष्पादन किया जा सके। 1.4 हितग्राहियों की प्रमुख शिकायतों में एक शिकायत यह भी है कि बी.पी.एल एवं अन्य प्राथमिकता श्रेणी के सत्यापन हेतु उन्हें नगर निगम, तहसील, एस.डी.एम. कार्यालय के साथ–साथ प्राथमिकता श्रेणी निर्धारण करने वाले विभागों के कार्यालयों से बार–बार संपर्क करना पड़ता है। आयोग का सुझाव है कि खासकर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर	1.2 वर्तमान में प्रदेश स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कार्य घर–घर जाकर किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में कुल 11740426 परिवारों में से 1073307 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। 1.3 जिलों में ग्राम पंचायत/वार्ड/ स्थानीय निकाय खाद्य कार्यालय के अमले को हितग्राहियों का चिन्हांकन/ सत्यापन एवं स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं। जिलों द्वारा स्वीकृति उपरांत भारत सरकार के निर्देशानुसार हितग्राहियों को आधार सीडिंग एवं डि– डुप्लीकेशन कर एनआईसी के माध्यम से पात्रता पर्ची एवं राशन आवंटन आन –लाईन जारी किया जाता है। पात्र को जोड़ने एवं अपात्र को हटाने का अधिकार स्थानीय निकाय जिला स्तर पर है। 1.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्रता श्रेणी के वैध दस्तावेज के आधार पर स्थानीय निकाय (पंचायत/वार्ड) कार्यालय में आवेदन कर सत्यापन करने की सुविधा दी गयी है।

	एवं उज्जैन जिलों के कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर/सी.ई.ओ. जिला पंचायत के प्रत्यक्ष देखरेख में समस्या के निवारण हेतु सिंगल–विण्डो प्रणाली चालू की जाए। सिंगल विण्डो सेल में संबंधित विभागीय अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक निर्दिष्ट दिन उपस्थित रहकर आपसी समन्वय से राशन कार्ड के सत्यापन संबंधी शिकायतों का निराकरण करेंगे। यह कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाए, ताकि तीन माह के भीतर अपात्रों की छंटाई और पात्रों के नाम जोड़ने का काम पूरा हो सके। 1.5 किसी भी आबादी में जन्म, मृत्यु, विवाह एवं स्थाई रूप से अन्यत्र पलायन/विस्थापन आदि के कारण राशन कार्ड में नामों का समय–समय पर संशोधन किया जाना एक स्वाभाविक एवं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार से लम्बे समय से राशन नहीं लेने वाले परिवार की जांच कर फर्जी अथवा स्थाई रूप से अन्यत्र विस्थापित व्यक्तियों का नाम सूची से हटाने की कार्यवाही किया जाना भी जिला प्रशासन से अपेक्षित रहता है। विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के कारण हो रहे विस्थापन, वार्ड के परिसीमन तथा आवास परियोजनाओं के अन्तर्गत एक वार्ड से दूसरे वार्ड में विस्थापन के मामले में राशन कार्ड का निकटस्थ राशन दुकान में संलग्नीकरण करने की आवश्यकता रहती हैं। ऐसे मामलों में जांच कर, यथास्थिति, नाम जोड़ने, हटाने तथा कार्ड को उपयुक्त राशन दुकान के साथ संलग्न करने का अधिकार भी जिला आपूर्ति नियंत्रक को प्रत्यायोजित किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर के अनुमोदन से आपूर्ति नियंत्रक ऐसे आवश्यक संशोधन जिला स्तर पर कर सकते हैं, जिससे हितग्राहियों की शिकायत का तुरन्त निपटारा हो सकता है।	 1.5 हितग्राही के परिवार में जन्म/ मृत्यु/विवाह के कारण सदस्यों में कमी /वृद्धि तथा स्थाई रुप से अन्यत्र पलायन/विस्थापन आदि के कारण समग्र आईडी में सदस्यों का संशोधन का अधिकार स्थानीय निकाय को दिया गया है। छः माह से अधिक समय से राशन न लेने वाले परिवारों को एनआईसी के स्तर से पात्रता से विमुक्त किया जाता है एवं पात्र हितग्राही द्वारा पुनः आवेदन करने पर जोड़ा जा सकता है। एक वार्ड से दूसरे वार्ड के विस्थापन के मामले में राशन कार्ड का निकटस्थ राशन दुकान में संलग्नीकरण का अधिकार राशन मित्र पोर्टल पर खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दिया गया है। स्थानीय निकाय से समग्र आईडी में नाम जोड़ने हटाने के आधार पर संशोधित पात्रता पर्ची हेतु कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लागइन से स्वीकृति दी जाती है। इस प्रकार परिवार में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर पहले स्थानीय निकाय द्वारा समग्र आईडी अपडेट करने के उपरांत खाद्य विभाग द्वारा ऐसे संशोधन की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है।
2.	2-ih-vk-, l-e'khu बायोमैट्रिक एवं आधार नम्बर के सत्यापन के लिए मध्य प्रदेश के 24 जिलों में विजनटेक कंपनी के और 27 जिलों की डी.एस.के. कंपनी की पी.ओ.एस. मशीन लगाई गई हैं। हालांकि वर्तमान में केवल शहरी क्षेत्रों में ही पीओएस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद मशीन से निकली पर्ची के आधार पर राशन वितरण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आधार नम्बर के सत्यापन के लिए पीओएस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि राशन का वितरण रजिस्टर में नाम एवं आधार नम्बर दर्ज कर किया जा रहा है। समीक्षा एवं निरीक्षण में पाया गया कि डीएसके कंपनी की मशीन प्रायः ठीक से काम नहीं कर रही है। कंपनी के साथ हुए अनुबंध के अनुसार खराब मशीन को 48 घण्टे के भीतर बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी जिले में डीएसके कंपनी द्वारा इस शर्त का पालन नहीं किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में डीएसके कंपनी की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही हैं।	2. पीओएस मशीन खराब होने पर हितग्राहियों को राशन का वितरण माह के प्रारंभ से ही किया जाता है।

	ऐसी उचित मूल्य दुकानों से माह की 25 तारीख के बाद रजिस्टर से आधार कार्ड का नम्बर दर्ज कर हितग्राहियों को राशन देने के निर्देश शासन ने जारी किया है। फलस्वरूप पात्रता होने एवं आधार कार्ड होने के बावजूद भी कई परिवार को राशन लेने के लिए माह के अंतिम सप्ताह तक प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। इस आदेश से कई हितग्राही व्यथित हैं। इस प्रकार के आदेश व्यवहारिक नहीं है और जरूरतमंद परिवारों के खाद्य सुरक्षा पर विपरीत असर डाल सकती है। आयोग अनुशंसा करता है कि जहां एक ओर अनुबंध की समीक्षा कर दोषी कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही की जाए एवं अक्रियाशील मशीन को बदला जाये, वहीं दूसरी ओर निर्देश जारी करने के समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि शासन का मूल उद्देश्य पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा के हकदारी उपलब्ध कराना है। पीओएस मशीन का उपयोग मात्र वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और लक्षित समूह की पहचान के लिए किया जा रहा है। वह मूल उद्देश्य की जगह नहीं ले सकता है। अर्थात् कि सही समय पर पात्र हितग्राही को राशन उपलब्ध कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है और पीओएस मशीन को क्रियाशील बनाए रखना गौण है। इसलिये पीओएस मशीन का खराब हो जाने के कारण लक्षित समूह की हकदारी माह के अंतिम सप्ताह तक स्थगित नहीं किया जा सकता। अतः आयोग अनुशंसा करता है कि मशीन खराब होने की स्थिति में माह की 25 तारीख के बाद राशन वितरण करने के निर्देश पर पुनर्विचार किया जाए और उसे निरस्त करते हुए मशीन बदले जाने तक रजिस्टर से वितरण करने के आदेश प्रसारित किया जाए।	
3.	fuxjkuh lfefr%& 3.1 आयोग अनुशंसा करता है कि सभी जिलों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समितियों का गठन एक माह के भीतर किया जाये। निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी देने के लिए नगरपालिका/जनपद पंचायत स्तर पर अल्प अवधि का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए। जिला आपूर्ति अधिकारी को इस निमित्त पाबंद किया जाये, ताकि हर जिले में निगरानी समिति धरातल पर वास्तविक रूप से क्रियाशील हो सके।	3.1 प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिला एवं विकास खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। सतर्कता समिति की बैठकों की जानकारी http://mpsc.mp. nic.in/ pdsallot/Analysis-Report/ report link PDS.aspx पर अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया है। सतर्कता समिति गठन हेतु शेष जिलों को शीघ्र गठन करने एवं समस्त जिलों को बैठकों का आयोजन कर कार्यवाही विवरण अपलोड करने हेतु निर्देश दिये गये है। साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग में भी इसकी समीक्षा की जा रही है। सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी दुकान पर प्रदर्शित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। सतर्कता समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु 320 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण माह दिसंबर, 2019 से माह जनवरी, 2020 तक चार चरणों में आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में किया गया। कोविड–19 के कारण मैदानी स्तर पर ग्रामीण उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों का आनलाईन प्रशिक्षण वेविनार के माध्यम से दिनांक 18.12.2020 को कराया गया।

	3.2 प्रशिक्षण शिविरों में राशन विक्रेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, पी.ओ.एस. मशीन एवं इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा का इस्तेमाल करना, अंगूठा घिस जाने के प्रकरणों में रजिस्टर से राशन वितरण करने, उपभोक्ता को बिल की प्रति देना, दुकानों में सामग्री का रखरखाव सफाई आदि विषयों पर विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।	3.2 सतर्कता समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु 300 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण माह दिसंबर, 2019 से माह जनवरी, 2020 तक चार चरणों में आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में किया गया। प्रशिक्षण वेविनार के माध्यम से दिनांक 18.12.2020 को सतर्कता समितियों के सदस्यों के साथ साथ उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को भी प्रशिक्षण दिया गया। कतिपय उपभोक्ताओं के अंगूठा घिस जाने से Biometric Authentication न हो पाने की स्थिति में परिवार/सदस्य/उनके नामित व्यक्ति के माध्यम से समग्र के आधार पर/वितरण पंजी से वितरण कराने के निर्देश दिये गये है।
	3.3 आम उपभोक्ता की जानकारी के लिए दुकान के बाहरी दीवाल पर निगरानी समिति के सदस्यों के नाम और उनके मोबाईल नम्बर लिख दिये जाये। निगरानी समिति को एस.एम.एस. के जरिये हर माह आवंटन की जानकारी भेजने की व्यवस्था की जाए। उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ऑन लाईन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाए।	3.3 उचित मूल्य दुकान पर सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं उनके मोबाईल नंबर दुकान पर प्रदर्शित कराने हेतु निर्देश जारी किये गये है। सदस्यों को एसएमएसके माध्यम से जानकारी दिये जाने की व्यवस्था साफटवेयर मे की गयी है। सतर्कता समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण आनलाईन अपलोड किया जा रहा है जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
4.	}kj iznk; ;kstuk & 4.1 जबलपुर एवं रीवा जैसे संभाग में कतिपय स्वार्थी एवं प्रभावशाली परिवहनकर्ताओं द्वारा कई वर्षों से आपसी सांठगांठ से अनियमितता करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने पर उनके द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम पर दूसरी कंपनी बनाकर परिवहन का ठेका लेने का प्रयास किया जाता है। ऐसी कंपनियों को ब्लेक लिस्ट करने के साथ–साथ मूल कंपनी में पंजीकृत वाहनों को अन्य कंपनी में परिवहन के लिए अयोग्य ठहराने की कार्यवाही की जाना चाहिए, ताकि व्यवस्था में सुधार आ सके।	4.1 मे. बलराम केशनवानी द्वारा प्रदाय योजना सेक्टर रीवा जिला रीवा वर्ष 2014–15 में रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जबलपुर द्वारा प्रदाय योजना सेक्टर शाहपुरा ग्रामीण जिला जबलपुर वर्ष 2015–17 में राजेश ट्रांसपोर्ट चाकघाट जिला रीवा द्वारा प्रदाय योजना सेक्टर गंगेव, जवा, जिला रीवा वर्ष 2017 में रमाकांत गुप्ता द्वारा प्रदाय योजना सैक्टर रीवा जिला रीवा वर्ष 2015–17 में मेसर्स एस.एस. रोडवेज जबलपुर द्वारा प्रदाय योजना सेक्टर पाटन/पनागर जिला जबलपुर में वर्ष 2015–17 में सत्यम रोड लाईन्स द्वारा प्रदाय योजना सेक्टर त्योंथर जिला रीवा वर्ष 2019–21.
	4.2 मालवाहक वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम लगाया जाना चाहिए, जिससे कि वाहन का गन्तव्य स्थल पर पहुंचने की मानिटरिंग की जा सके। यह व्यवस्था लागू होने से शासकीय गोदाम एवं राशन दुकान के बीच खाद्यान्न का चोरी होना, रास्ते में मिलावट होना या समान डायवर्ट होने जैसी घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश लग सकेगा।	4.2 मान. मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 23.5.2014 में दिये निर्देशानुसार उक्त विभागीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही का विवरण के बिन्दु क्रमांक 13 में उल्लेखित है कि "मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में से लंबित घोषणा" सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री का परिवहन किये जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाने संबंधी घोषणा प्रासंगिक नहीं होने के कारण विलोपित की जाए।
	4.3 प्रत्येक राशन दुकान में अनाज का सैम्पल रखने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को व्यवस्था करना चाहिए।	4.3 प्रत्येक राशन दुकान पर प्रदाय अनाज का सैंपल रखने की व्यवस्था MPSCSC द्वारा की गयी है।
5.	,d fodzsrk&vusd nqdku dh leL;k& आयोग अनुशंसा करता है कि विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए संविदा भर्ती नियम शीघ्र लागू किया जाए।	5. प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में पृथक–पृथक विक्रेता की नियुक्ति होने के संबंध में म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2015 में आवश्यक प्रावधान करने संबंधी विषय विचाराधीन है। सहकारिता विभाग के स्तर से विक्रेता विहीन दुकानों में पृथक विक्रेता नियुक्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।

6.	rduhdh lg;kx 6-1 lo|j & आयोग अनुशंसा करता है कि खाद्य विभाग इस पर विचार करे और इस वृहद कार्यक्रम के लिए समर्पित सर्वर किराए पर लेने या स्वतंत्र सर्वर स्थापित करने की व्यवस्था की जाए।	6.1 विभाग द्वारा पृथक सर्वर स्थापित किया गया है जिस पर आधारित राशन वितरण (AePDS) का डाटा संधारित किया जा रहा है। इस हेतु अतिरिक्त सर्वर भी लगाए गए है। प्रदेश में माह अक्टूबर, 2019 से NIC हैदराबाद के सहयोग से आधार आधारित राशन वितरण (AePDS) व्यवस्था लागू की गयी है जिससे यह समस्या समाप्त हो गयी है। आधार का सत्यापन त्मंस ज्पउम में किया जाना संभव हो गया है। (AePDS) व्यवस्था के प्रमुख बिन्दुं निम्नानुसार हैं :– ● उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई च्व्ै मशीनों पर हितग्राहियों के राशन की पात्रता प्रति माह डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। ● प्रदेश के सभी जिलों के पात्र परिवार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकते है। ● पीओएस मशीन खराब होने अथवा दुकान बंद होने पर हितग्राही अपना राशन इच्छा अनुसार अन्य दुकान से प्राप्त कर सकता है। ● जिन हितग्राहियों के डाटा बेस में आधार नंबर दर्ज नहीं है या त्रुटिपूर्ण आधार नंबर दर्ज होने के कारण राशन प्राप्त करने हेतु माह की 19 तारीख तक इंतजार करना पड़ता था। अब ऐसे हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर ही केवाईसी होने के बाद राशन प्राप्त करने की सुविधा है। ● निःशक्तजन /वृद्धजन अन्य व्यक्ति को नामित कर बायोमैट्रिक सत्यापन से आनलाईन राशन प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है। ● उचित मूल्य दुकान पर उपलबध राशन सामग्री हितग्राहियों की हकदारी तथा उनको वितरित राशन की जानकारी आनलाईन Real Time में epos.mp.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी हैं जिसे आमजन द्वारा देखी जा सकती है। ● सभी स्तर पर उचित मूल्य दुकान खुलने, राशन वितरण की आनलाईन मानीटरिंग की जा रही है। ● नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने वाली दुकान में आफलाईन राशन वितरण की व्यवस्था पूर्व की भांति लागू है जिस कारण किसी भी हितग्राही को राशन से वंचित नहीं होना पड़ रहा है। ● शेष बोगस आधार नंबर की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाएगी। ● नवीन पात्रता पर्ची डाउनलोड करने में कोई कठिनाई नहीं है। पूर्व में जारी पात्रता पर्ची अद्यतन न होने से प्रदर्शित किया जाना उचित नहीं है। ● अपात्र परिवारों को हटाने के बाद वेबसाईट पर अपात्र परिवारों की सूची नियमित रुप अद्यतन हो रही है।

	6-2 jk'ku dkMZ esa la'kks/ku ,oa osclkbV esa ifof"V djus dk vf/kdkj dk ftyk Lrj ij iR;k;kstu & आयोग का मत है कि चूंकि पात्र हितग्राहियों की मैपिंग लगभग अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है और लाभांवित होने वाले हितग्राहियों की संख्या के लिए ऊपरी सीमा निर्धारित की जा चुकी है। अतः प्रत्येक जिले के लिए पात्र परिवारों की ऊपरी सीमा निर्धारित कर उसे उल्लंघन नहीं करने की शर्त पर संशोधन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के लिए बनाए गए साफ्टवेयर में तद्नुसार परिवर्तन किया जाना वांछनीय है। 6-3 ,l-,e-,l- ds }kjk tkudkjh dk lEizs"k.k अपात्र परिवारों को अपात्रता के कारण सहित उनका नाम हटाए जाने की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए देने के लिए आवश्यक प्रबंध किया जाना चाहिए। नवीन पात्र हितग्राहियों को भी पात्रता पर्ची जारी होने की सूचना एस.एम.एस. के जरिये भेजने की व्यवस्था किया जाना चाहिए। उ.मू.दु.स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हर माह आवंटन की जानकारी एस.एम.एस. से देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए, ताकि निगरानी सार्थक हो सके।	6.2 जिले वर्तमान में सम्मिलित परिवारों में से जितने अपात्र परिवारों को विलोपित किया जाएगा, उतने ही प्रतीक्षारत परिवार जिला स्तर से जोड़ने के पोर्टल पर सुविधा दी गयी है। प्रत्येक जिले के लिये पात्र परिवारों की अधिकतम सीमा निर्धारित किया जाना विचाराधीन है। 6.3 NIC द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
7.	d"f"k ,oa vkfFkZd :Ik ls detksj ftyksa esa NwV gq, ik= ifjokjksa dk uke tksMus esa izkFkfedrk nsuk% आयोग अनुशंसा करता है कि इन जिलों के लिए पात्र परिवारों/जनसंख्या की ऊपरी सीमा निर्धारित करते हुए शेष बचे पात्र व्यक्तियों के नाम प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने की अनुमति दी जाना चाहिए।	इस संबंध में संचालनालय स्तर से कार्यवाही प्रचलित है।
8.	ikjnf'kZrk ,oa tokcnsgh 8-1 आयोग की अनुशंसा है कि जिला मुख्यालय के नगरनिगम/नगरपालिका से प्रारंभ करते हुए चरणबद्ध तरीके से सभी नगरीय क्षेत्रों की राशन दुकानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना चाहिए, जिससे दुकानों की रियल टाईम मानिटरिंग की जा सकती है। 8-2 आयोग का सुझाव है कि 21 तारीख तक राशन वितरण करने के नियम पर पुनर्विचार कर उसे निरस्त किया जाना उचित होगा। 8-3 जनसाधारण की जानकारी के लिए दुकान खोलने का समय, कार्य दिवस, सामग्रियों की दर सूची, शिकायत करने के लिए टोल–फ्री नम्बर, स्टॉक आदि दुकान के बाहर प्रदर्शित करने के लिए स्पष्ट निर्देश है। कई दुकानों में जानकारी मिट गई है या अस्पष्ट एवं अपठनीय हो चुकी है। इन जानकारियों को पुनः स्पष्ट रूप से दुकान की बाहरी दीवाल पर लिखने के लिए सहकारी समिति के प्रबंधन को निर्देश देना चाहिए।	8.1 उचित मूल्य दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के औचित्य एवं उपयोगिता का परीक्षण किया जा रहा है। 8.2 राशन वितरण माह की 01 तारीख से 21 तारीख के स्थान पर पूरे माह वितरण कराया जा रहा है। 8.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2103 के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की अनुशंसा अनुसार उचित मूल्य दुकान पर चार प्रकार के सूचना पटल प्रदर्शित करने के निर्देश संचालक, खाद्य के पत्र क्रमांक 2005, दिनांक 8.1.2021 से दिये गये है।

	8-4 बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के कारण हितग्राहियों की सूची वस्तुतः पी.ओ.एस. मशीन के अन्दर चली गई है। इसके कारण सम्पन्न एवं अपात्र व्यक्ति का नाम आम हितग्राही को सहज में दृष्टिगोचर नहीं होता है। सुझाव है कि हितग्राहियों के नाम हिन्दी लिपि में टाईप एवं लेमिनेट कर उसे दुकान के अन्दर प्रदर्शित किया जाए, जिससे सूची में शामिल सभी नाम सार्वजनिक हो सके और अपात्र व्यक्ति की पहचान हो सके। 8-5 विक्रेता के पास राशन कार्ड जमा नहीं करने के बारे में भी दुकान की बाहरी दीवाल पर लिखा जाए। 8-6 निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक/सहायक एवं कनिश्ठ आपूर्ति अधिकारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर दुकान की बाहरी दीवाल पर लिखा जाए। 8-7 मध्यान्ह भोजन एवं सांझा–चूल्हा के लिए अनाज प्राप्त करने वाले महिला स्व सहायता समूह का नाम भी दुकान में प्रदर्शित किया जाए।	1. उचित मूल्य दुकान से संबंधित जानकारी एवं वन–नेशन–वन–राशन कार्ड के प्रावधान, 2. स्टाक, भाव सूची एवं वितरण मात्रा, 3. अधिनियम अंतर्गत पात्रता पर्ची प्राप्त करने की हकदार श्रेणियॉ, 4. सतर्कता एवं निगरानी समिति सदस्यों के नाम एवं अधिकार.
	8-8 आयोग का सुझाव है कि निरीक्षण के लिए विभाग महत्वपूर्ण घटकों को शामिल कर एक चैकलिस्ट प्रसारित करें, जिससे सार्थक निरीक्षण हो सके। निरीक्षण टीप निरीक्षण पंजी में आवश्यक रूप से दर्ज की जाए तथा पिछले निरीक्षण में पाई गई अनियमितता एवं दिए गए निर्देश के पालन के संबंध में क्या कार्यवाही हुई है, उसकी जानकारी भी टीप में शामिल की जाए। निरीक्षण रिपोर्ट पर पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की व्यवस्था भी जिला स्तर पर की जाए।	8.8 राज्य शासन द्वारा एनआईसी भोपाल के सहयोग से उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण हेतु सा्फटवेयर तैयार किया गया है जिस पर सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने हेतु निरीक्षण साफ्टवेयर में चेकलिस्ट की फील्ड उपलब्ध करायी गयी है। उक्तानुसार उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण पश्चात डाटा प्रविष्टि करने पर रिपोर्ट Real Time में पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। उक्त रिपोर्ट को देखने के पश्चात् आगामी कार्यवाही किये जाने एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकाश में आने पर प्रकरण इत्यादि दर्ज कर एससीएन जारी करने संबंधी तकनीकी प्रावधान सक्षम अधिकारी के लॉगइन से किये जाने हेतु प्रावधान किये जा रहे है।
	8-9 विक्रेताओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया जाना उचित होगा। ग्वालियर जिले में विक्रेताओं को ड्रेस दी गई है एवं दुकान की साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की कार्यवाही सभी जिलों में होना चाहिए।	8.9 उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के लिये ड्रेस कोड निर्धारित करने के औचित्य एवं उपयोगिता का परीक्षण किया जा रहा है।
9.	ekbZxzsV ¼iyk;u½ Jfedksa ds fy, jk'ku dh O;oLFkk& फसल कटाई, बुवाई, निंदाई एवं अवर्षा की स्थिति में रोजगार की तलाश में प्रदेश के कतिपय जिलों से लोग कृषि सम्पन्न जिलों में पलायन (माईग्रेट) कर जाते हैं। ऐसे माईग्रेंट श्रमिकों को उसी जिले के नजदीक की राशन दुकान से खाद्यान देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। जिला कलेक्टर्स से जानकारी प्राप्त कर ऐसे गांव एवं परिवारों को चिन्हित किया जा सकता है। चिन्हित परिवारों को आधार नम्बर के साथ पहचान पत्र बनाकर दिया जा सकता है। आयुक्त, खाद्य द्वारा माईग्रेटेड जिले के आवंटन में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती हैं, जिससे कि श्रमिक परिवार को राशन आसानी से मिल सके।	9. AePDS के अंतर्गत प्रदेश के सभी 52 जिलों के पात्र परिवारों को इन जिलों के किसी भी राशन दुकान से सामग्री प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है। भारत सरकार के निर्देश अनुसार राज्य में जनवरी, 2020 में IMPDS योजना को लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के लागू होने पर परिवार अपने कार्यस्थल की राशन दुकान से सामग्री प्राप्त कर सकेंगें।

10.	xkeh.k ,o 'kgjh {k=k e nqdkuk dk iqujkoVu ,o ;qfDr;qDrdj.k 10-1 शहरी क्षेत्र में वार्ड के परिसीमन के कारण एवं शहरी आवास योजना के विकास के कारण एक वार्ड में निवास करने वाले व्यक्ति का राशन कार्ड दूसरे वार्ड के दुकान में या निवास स्थान से पांच से सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित मूल राशन दुकान में सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में कई हितग्राहियों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला स्तर पर दुकानों का युक्तियुक्तकरण एवं राशन कार्ड का दुकानों में संलग्नीकरण की समीक्षा कर इस प्रकार की विसंगति को दूर किया जाये। 10-2 वर्तमान में कई जिलों में दुकानों में संलग्न कार्ड संख्या में बहुत अधिक अन्तर है। कई दुकानों में 60 से 70 कार्डधारी हैं, जबकि कुछ दुकानों में दो हजार से अधिक कार्डधारी पंजीबद्ध हैं। आवश्यक है कि स्थिति की समीक्षा कर वार्ड्स एवं पंचायतों की सीमा को ध्यान में रखते हुए दुकानवार राशन कार्ड का युक्तियुक्तकरण किया जाए।	10. वर्तमान में वन–नेशन–वन–राशन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था राशन कार्डधारियों की सुविधा को देखते हुए लागू की गयी है। उक्त व्यवस्था लागू होने के पश्चात् किसी राशन हितग्राही के आवास से उसकी दुकान की दूरी अधिक होने पर भी वह अपने पास की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों की युक्तियुक्तकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। एक पंचायत में 800 से अधिक पात्र परिवार होने की स्थिति में अतिरिक्त दुकान खोलने का प्रावधान मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में जारी किया गया।
	10-3 शहरी क्षेत्रों में 800 की आबादी पर एक उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रावधान है। शहरी आबादी में वृद्धि हो जाने के कारण दुकानों की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है। शहरी क्षेत्रों की दुकानों का पुनरावंटन पर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण ऐसा करना संभव नहीं होने की बात खाद्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। आयोग का सुझाव है कि माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आवेदन पत्र दाखिल कर स्थगन खाली करने के लिए प्रार्थना की जाए। स्थगन खाली होने के बाद नवीन दुकानों का आवंटन महिला सहकारी समितियों को करने की कार्यवाही की जाए।	10.3 शहरी क्षेत्र में वर्तमान में संचालित उचित मूल्य दुकानों को यथावत चलते रहने का निर्देश मान. उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। उक्त प्रकरण में जवाब फाईल कर शीघ्र सुनवाई हेतु मान. उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया है।
	10-4 नवीन नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में एक स्वतंत्र राशन दुकान स्थापित होना है। ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों का पुनरावंटन पर लगी न्यायालयीन रोक भी समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश के 22800 पंचायतों में से 5253 पंचायतों में राशन दुकान नहीं है। ऐसी पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए महिला सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को नवीन दुकानों का आवंटन तीन माह के भीतर किया जाना चाहिए।	10.4 वर्ष 2017 से अभी तक 2591 पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की जा चुकी है। शेष पंचायतों में दुकान आवंटन हेतु राज्य शासन से अभियान के रुप में माह फरवरी एवं मार्च, 2021 में उचित मूल्य दुकानें आवंटन करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

11	lkekftd vads{k.k खाद्य सुरक्षा जैसी संवेदनशील, महत्वपूर्ण एवं अधिकार आधारित कार्यक्रम में रियायती दर पर अनाज, गर्म भोजन एवं प्रीमिक्स भोजन प्रदाय करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी की पेटे एक बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है, जिसके सदुपयोग का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उच्च मानक के तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जिनकी क्रियाशीलता का आडिट आवश्यक है। पात्रता निर्धारण में राज्य शासन के अतिरिक्त स्थानीय निकायों एवं जिला प्रशासन की अहम भूमिका है, जिनकी निष्पक्षता एवं भेदभावरहित दृष्टिकोण कार्यक्रम के लिए क्रिटिकल है। इसी प्रकार से खाद्य विभाग के अलावा सहकारिता, राजस्व, पंचायत ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, नागरिक आपूर्ति निगम, भण्डार गृह निगम एवं प्राथमिकता श्रेणी निर्धारण करने वाले मूल विभागों के समन्वय से ही सा.वि.प्र. कार्यक्रम का संचालन संभव है। इन सभी घटकों से ऊपर उठकर हितग्राही की संतुष्टि योजना की सफलता को परखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है, जिसके बारे में जानकारी हासिल किया जाना चाहिए। इन जटिलताओं को देखते हुए आवश्यक है कि योजना के हर पहलू के बारे में प्रशिक्षित एवं दक्ष एजेंसियों/स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए।	जिला खण्डवा में 5 ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के एक वार्ड में सम्पन्न की गयी सामाजिक संपरीक्षा के अनुभव के आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा इकाई के माध्यम से प्रदेश सामाजिक संपरीक्षा क्रियान्वयन के संबंध में कार्य योजना तैयार की जा रही है।

[kk| vk;kx dh i= dekad 72] fnukad 13-01-19 }kjk 'kklu dks Hkst h x;h vuq'kalk,a &

d-	o"kZ 2018&19	[kk| foHkkx
	lefdr vuq'kalk,	'kklu }kjk ikyu
1.	राशन कार्ड की सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम पृथक कर बचे हुए शेष पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जांच में पाए गए अपात्र व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनके नाम पृथक किया जा सकता है। इस मामले में प्रचलित केन्द्रीयकृत व्यवस्था में परिवर्तन कर अपात्र परिवारों को हटाने एवं पात्र परिवारों का नाम जोड़ने का अधिकार कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए, ताकि कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके।	वास्तविक हितग्राही की पहचान कर उसे अधिप्रमाणित आधार पर राशन देने के लिए सभी जिलों में ए.ई.पी.डी.एस. व्यवस्था लागू की गई है।
2.	बोगस आधार नंबर एवं मिसमैच वाले आधार नम्बर की सूची का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। सूची का सत्यापन अधिकतम तीन माह के भीतर किया जाना चाहिए। आधार नम्बर बोगस पाए जाने पर सूची से नाम पृथक कर उनके स्थान पर पात्र हितग्राही/परिवार का नाम जोड़ा जाना चाहिए।	वर्तमान में प्रदेश स्तर पर सत्यापन अभियान उपरांत माह सितंबर, 2020 से नवीन हितग्राहियों को जोड़े जाने की कार्यवाही सतत् रुप से जारी है। माह सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि में कुल 28.81 लाख नवीन हितग्राहियों को जोड़ा जाकर लाभान्वित किया जा चुका है। मृत्यु/दुहरे/बोगस/अपात्र चिन्हांकित अपात्र लगभग 95 लाख हितग्राहियों को पोर्टल से अस्थाई रुप से स्थगित किया गया है। इनमें से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले परिवार को पुनः नवीन आवेदन कर जोड़े जाने की सुविधा भी की गयी है। सत्यापन अभियान में प्रदेश के कुल 11740426 परिवारों में से 1073307 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में प्रदेश स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कार्य घर–घर जाकर किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में कुल 11740426 परिवारों में से 1073307 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। जिलों में ग्राम पंचायत/वार्ड/ स्थानीय निकाय खाद्य कार्यालय के अमले को हितग्राहियों का चिन्हांकन/ सत्यापन एवं स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं। जिलों द्वारा स्वीकृति उपरांत भारत सरकार के निर्देशानुसार हितग्राहियों को आधार सीडिंग एवं डि– डुप्लीकेशन कर एनआईसी के माध्यम से पात्रता पर्ची एवं राशन आवंटन आन–लाईन जारी किया जाता है। पात्र को जोड़ने एवं अपात्र को हटाने का अधिकार स्थानीय निकाय जिला स्तर पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्रता श्रेणी के वैध दस्तावेज के आधार पर स्थानीय निकाय (पंचायत/वार्ड) कार्यालय में आवेदन कर सत्यापन करने की सुविधा दी गयी है।
3.	प्रत्येक जिले में ऐसे कुछ हितग्राही है, जो लगातार पिछले 4–6 माह से राशन लेने नहीं ले रहे हैं। इनकी भी जांच होना चाहिए और यदि बोगस आधार नम्बर या पलायन आदि होना सिद्ध होता है, तो उनके नाम सूची से हटाकर, रिक्त होने वाले स्थान पर प्रतीक्षारत पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ा जाना चाहिए।	
4.	जन्म, मृत्यु, पलायन एवं विवाह आदि की स्थिति में राशन कार्ड में नाम जोड़ना या पृथक करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से वार्ड का परिसीमन, शहरी आवास परियोजना में मकान आवंटन होने के कारण वार्ड में परिवर्तन, विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापन आदि स्थिति में राशन कार्ड को निकटस्थ उचित मूल्य दुकान में संलग्न करने का अधिकार जिला आपूर्ति नियंत्रक को प्रत्यायोजित किया जाना आवश्यक है।	

5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल समस्त योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए पंचायत एवं वार्ड स्तर पर एकीकृत सतर्कता समिति का गठन के लिए शासन द्वारा क्रमशः परिपत्र क्रमांक एफ 7–21/2017/29–1, दिनांक 15.2.18 एवं एफ 7–21/2017/29–1, दि. 7 जून, 2018 को निर्देश जारी किये गये है। कई जिलों में समिति का गठन अभी तक नहीं हो पाया है और जहां समिति का गठन का आदेश जारी भी हुआ है, वहां समिति क्रियाशील नहीं है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जनपद पंचायत/नगरपालिका स्तर पर उनके कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाना चाहिए, ताकि सतर्कता समिति के सदस्य योजनाओं की बारिकिओं को समझ सके और लक्षित समूहों के हितरक्षा के लिए सक्षमता से कार्यवाही कर सके।	खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का पंचायत एवं वार्ड स्तर पर निगरानी हेतु एकीकृत सतर्कता समिति गठन करने के लिए निर्देश एवं परिपत्र जारी किए गए हैं।
6.	सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हर माह राशन आवंटन की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए देने की व्यवस्था नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाए, ताकि सतर्कता समिति आवंटन एवं वितरण की समीक्षा कर सके।	प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिला एवं विकास खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। सतर्कता समिति की बैठकों की जानकारी http://mpsc.mp.nic.in/pdsallot /Analysis-Report/ report link PDS.aspx पर अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया है। सतर्कता समिति गठन हेतु शेष जिलों को शीघ्र गठन करने एवं समस्त जिलों को बैठकों का आयोजन कर कार्यवाही विवरण अपलोड करने हेतु निर्देश दिये गये है। साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग में भी इसकी समीक्षा की जा रही है। सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी दुकान पर प्रदर्शित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। सतर्कता समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु 320 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण माह दिसंबर, 2019 से माह जनवरी, 2020 तक चार चरणों में आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में किया गया। कोविड–19 के कारण मैदानी स्तर पर ग्रामीण उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों का आनलाईन प्रशिक्षण वेविनार के माध्यम से दिनांक 18.12.2020 को कराया गया। सतर्कता समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु 300 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण माह दिसंबर, 2019 से माह जनवरी, 2020 तक चार चरणों में आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में किया गया। प्रशिक्षण वेविनार के माध्यम से दिनांक 18.12.2020 को सतर्कता समितियों के सदस्यों के साथ साथ उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को भी प्रशिक्षण दिया गया। कतिपय उपभोक्ताओं के अंगूठा घिस जाने से Biometric Authentication न हो पाने की स्थिति में परिवार/सदस्य/उनके नामित व्यक्ति के माध्यम से समग्र के आधार पर/ वितरण पंजी से वितरण कराने के निर्देश दिये गये है। उचित मूल्य दुकान पर सतर्कता समिति के सदस्यों
7.	परदर्शिता बनाए रखने एवं अपात्र व्यक्तियों की पहचान के लिए हितग्राहियों की सूची को हिन्दी फोण्ट में टाईप कर उ.मू.दु. के भीतर प्रदर्शित किये जाने का सुझाव है।	
8.	आम हितग्राही की जानकारी के लिए उ.मू.दु. के बाहर सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर लिखा जाना उचित होगा, जिससे कि राशन संबंधी समस्या के निराकरण के लिए उपभोक्ता सतर्कता समिति से संपर्क कर सकता है।	

		के नाम एवं उनके मोबाईल नंबर दुकान पर प्रदर्शित कराने हेतु निर्देश जारी किये गये है। सदस्यों को एसएमएसके माध्यम से जानकारी दिये जाने की व्यवस्था साफटवेयर मे की गयी है। सतर्कता समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण आनलाईन अपलोड किया जा रहा है जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
9.	आदिवासी बाहुल्य जिलों से आयोग को यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि अक्सर गरीब लोग मजदूरी के लिए पास वाले जिलों में कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं। ऐसे मजदूर यदि माह की 21 तारीख तक राशन दुकान पर नहीं आते हैं, तो उनके राशन का कोटा समाप्त कर दिया जाता है। लोगों की मांग थी कि ऐसे लोगों का कोटा समाप्त ना किया जाए और उन्हें अगले माह में राशन देने के निर्देश दिए जाए। आयोग इस मांग को उचित पाता है और अनुशंसा करता है कि मजदूरी पर बाहर गांव जाने वाले व्यक्तियों का राशन का कोटा कम से कम दो माह तक जीवित रखा जाए।	पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् कोई भी परिवार किसी भी दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति किसी माह में राशन सामग्री प्राप्त नहीं कर पाता है तो आगामी माह की 10 तारीख तक वह राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। चूंकि वितरण के आंकड़े भारत सरकार के पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाते हैं। अतः आगामी माह की 10 तारीख के पश्चात् उसकी सामग्री क्लेम करने की पात्रता को जारी रख पाना विधि संगत नहीं है। यदि हितग्राही को ऐसा प्रतीत होता है कि वह 40 दिवस के भीतर राशन सामग्री प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कहीं से भी राशन सामग्री उक्त अवधि के भीतर ले लेना चाहिए। खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015 में भी उस व्यक्ति को अपने किसी विशेष माह की पात्रता का क्लेम न करने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं माना है। यह भी उल्लेखनीय है कि पात्रता के लिए 60 दिवस उपलब्ध कराने पर दुकान के विक्रेताओं द्वारा हितग्राही को केवल एक माह की सामग्री उपलब्ध कराने एवं एक माह की सामग्री का अपयोजन किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
10.	डी.एस.के. कंपनी द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में पी.ओ.एस.मशीन उपलब्ध कराई गई है। इस कंपनी की मशीनें अक्सर खराब रहती है, जिसके कारण अनेक हितग्राहियों को माह की 21 तारीख तक राशन के लिए अपेक्षा करना पड़ता है। अतः इस कंपनी के साथ किए गए अनुबंध पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। साथ ही खराब मशीन को समय सीमा में नहीं बदलने की स्थिति में हितग्राहियों को 48 घण्टे के बाद रजिस्टर से राशन वितरण कराने की व्यवस्था किया जाना चाहिए।	डी.एस.के. कंपनी की मशीन को बदलकर सभी राशन दुकानों में विजनटेक कंपनी की मशीन की स्थापना की गई है, जिसके कारण राशन वितरण का कार्य सुगम हुआ है।
11.	आदिवासी बाहुल्य जिलों एवं वनाच्छादित एवं पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ग्राम की उचित मूल्य दुकान से दूरी पांच किलोमीटर से भी अधिक हैं। इन क्षेत्रों में बस, टैक्सी आदि सार्वजनिक आवागमन की सुविधा अन्य स्थानों की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से कम है। ऐसे गांव में रहने वाले वृद्ध, निःशक्त, एकल महिला परिवार एवं साधनहीन हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यद्यपि ऐसी पंचायतों की संख्या कम है, फिर भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे गांवों में ही सप्ताह में एक दिन राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना चाहिए।	प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में अभी तक 2591 दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में दुकाने खोली जा चुकी हैं। वृद्ध/निःशक्त एवं महिलाओं को राशन सामग्री प्राप्त होने की कठिनाई को देखते हुए इनके लिए AePDS सिस्टम के द्वारा Nomination Policy लागू की गयी है।

12.	शासन द्वारा प्रयोग के तौर पर जिलों की ग्रामीण क्षेत्रों की कुछेक उ.मू.दु. में बॉयोमैट्रिक व्यवस्था लागू की गई है। आयोग ने पाया कि नेटवर्क कनेक्शन की समस्या के कारण इनमें से कुछ स्थान पर पी.ओ.एस. मशीन काम नहीं करती है जिसके कारण बॉयोमैट्रिक सत्यापन और राशन वितरण में दिक्कत आ रही है। सुझाव है कि कलेक्टर से परामर्श कर जिले की जिन ग्राम पंचायतों में नेटवर्क मिलता है, उन ग्राम पंचायतों की दुकानों में इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए।	कतिपय उपभोक्ताओं के अंगूठा घिस जाने से ठपवउमजतपब Authentication न हो पाने की स्थिति में परिवार/सदस्य/उनके नामित व्यक्ति के माध्यम से समग्र के आधार पर/ वितरण पंजी से वितरण कराने के निर्देश दिये गये है।
13.	सीधी, सिंगरौली, रीवा, उज्जैन एवं दमोह जैसे कई जिलों में विक्रेताओं को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशि का मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम दुकान संचालन पर पड़ रहा है। कम मानदेय के कारण दुकान स्तर पर विक्रेता द्वारा कई प्रकार की अनियमितता करने की शिकायत भी प्राप्त हो रही है। सहकारिता विभाग को इस समस्या का रिव्यू कर शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिलाने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करना चाहिए।	समिति को राशि प्राप्त होने के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्धारित कमीशन पासऑन करने के लिए JIT ऑनलाईन प्लेटफार्म का उपयोग कर डिजिटल भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है।
14.	मिलावट रोकने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इश्यू सेन्टर से उ.मू.दु. को खाद्यान्न भेजने के पूर्व अनाज के सेम्पल का परीक्षण कर पंचनामा बनाने का निर्देश है। यह कार्य, खाद्य अधिकारी के प्रतिनिधि, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिनिधि एवं गोदाम प्रभारी की उपस्थिति में एवं उनके हस्ताक्षर से होना चाहिए। आयोग ने पाया कि इश्यू पूर्व अनाज के सेम्पल का एनालिसिस नहीं किया जा रहा है। भण्डार गृह निगम के रजिस्टर, जिसमें उपरोक्त तीनों अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं, उसमें केवल स्टेक क्रमांक (जिससे कि माह में अनाज इश्यू हो रहा है) और गोडाउन में उपलब्ध स्कंध का उल्लेख रहता है। सेम्पल का एनालिसिस नहीं होता है। इश्यू के समय तीनों अधिकारी भी एक साथ उपस्थित नहीं रहते हैं। इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना चाहिए और सेम्पल एनालिसिस अनिवार्य किया जाना चाहिए। भण्डार गृह निगम के रजिस्टर के प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर एनालिसिस का परिणाम उल्लेख करने की व्यवस्था किया जाना चाहिए।	इस संबंध में संचालक, खाद्य द्वारा पत्र क्रमांक 6176 दिनांक 03/08/2019 से म.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन तथा पत्र क्रमांक 6430 दिनांक 16–08–2019 से म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु लिखा गया है, जानकारी अपेक्षित है।
15.	राज्य में कृषि उपज के भण्डारण के लिए उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन यह सुविधा समान रूप से सभी जिलों एवं विकासखण्डों में उपलब्ध नहीं है। रीवा, शहडोल, मुरैना एवं ग्वालियर जैसे संभागों के कतिपय विकासखण्डों में भण्डारण की सुविधा का विस्तार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में विकासखण्डवार स्थिति का आंकलन कर राज्य भण्डार गृह निगम को गोदाम निर्माण की कार्यवाही करना चाहिए, ताकि दूरस्थ विकासखण्डों में अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।	प्रदाय केन्द्रों के पास क्रमशः लालबर्रा, अजयगढ़, जैसीनगर, चंदेरी एवं विजयपुर में कुल 73400 मैटन के गोदामों का निर्माण किया जाना स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार पूर्व निर्मित कम्ब कैप पर गोदामों का निर्माण 74000 मैटन (8 स्थानों पर) स्वीकृत हुआ है। निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 49 भण्डारगृह शाखाओं पर सी.सी. रोड का निर्माण तथा 113 शाखाओं पर बी.टी. रोड के निर्माण का प्रस्ताव नाबार्ड में स्वीकृत हुआ है।
16.	जिन पुराने गोडाउन के फर्श एवं दीवाल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जहां सीलन के कारण अनाज खराब होने का डर है, ऐसे गोडाउन में बोरी रखने के लिए प्लास्टिक की पन्नी बिछाई जा रही है। यह व्यवस्था अनाज की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे गोडाउन में अनाज की बोरी रखने के लिए लकड़ी, प्लास्टिक या लोहे के क्रेट प्रदाय किया जाना उचित होगा।	

	ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश गोडाउन की पहुंच मार्ग एवं आंतरिक सड़कें कच्ची एवं जर्जर हालत में है। वर्षा के समय भारी वाहन से अनाज का परिवहन में अत्यधिक कठिनाई आती है। अतः गोडाउन के अधोसंरचना में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। गोडाउन में मिलावट एवं चोरी आदि घटनाओं को रोकने के लिए सी.सी.टी.वी. लगाए जाए। इसी प्रकार प्रत्येक गोडाउन में अग्निशमन यंत्र भी लगाए जाए।	
17.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए शासन द्वारा आदेश प्रसारित किए गए हैं। दुकान आवंटन में महिला संस्था एवं महिला स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता देने का उल्लेख है। आयोग ने पाया कि आदिवासी बाहुल्य एवं पिछड़े जिलों, जैसे सिंगरौली, धार, अनूपपुर, बैतूल आदि के कई विकासखण्डों में विज्ञापन के बाद भी महिला संस्था/ स्व सहायता समूहों से आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। परिस्थितिवश स्थानीय सहकारी समितियों को एक से अधिक दुकानों के संचालन का दायित्व दिया जा रहा है। सहकारी समितियों द्वारा आवर्ती व्यय बचाने के लिए एक विक्रेता से अनेक दुकानों का संचालन करवाया जा रहा है। फलस्वरूप ऐसे स्थानों पर दुकान सप्ताह में छः दिन नहीं खुल पा रही हैं, जिसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। आयोग की अनुशंसा है कि ऐसे स्थानों पर महिला स्व सहायता समूहों एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूहों को वित्तीय सहायता एवं दुकान चलाने के लिए आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए उनका कौशल विकास किया जाए।	वर्तमान में प्रावधान अनुसार प्रत्येक जनपद पंचायतों की दुकान विहीन पंचायतों में न्यूनतम एक तिहाई दुकानें महिला संस्थाओं द्वारा संचालित करने के निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान में 2591 उचित मूल्य की दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में खोली गयी है, जिसमें 2117 दुकान महिला स्व सहायता समूहों को दे दी गयी है। अभियान चलाकर शेष पंचायतों में उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की कार्यवाही मार्च, 2021 तक करायी जाएगी।
18.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा नहीं मिलने की दशा में भारत सरकार द्वारा जारी नियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। पूरक पोषण आहार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मध्यान्ह भोजन के मामले में भारत सरकार द्वारा क्रमशः दि. 20 फरवरी, 2017, दि. 21 जनवरी, 2015 तथा दि. 30 सितम्बर, 2015 को नियम जारी किए गए हैं। आयोग का सुझाव है कि इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन से अपेक्षित नियम एवं प्रक्रिया का निर्धारण शीघ्र कर दिया जाए, ताकि त्रुटिकर्ता व्यक्ति/संस्था से खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली हो सके।	खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। प्रक्रिया निर्धारण एवं बजट संबंधी प्रावधान हेतु कार्यवाही की जा रही है।
19.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 33 एवं धारा 34 के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन बिना युक्तियुक्त कारण के नहीं करने के मामले में दोषी लोक सेवक से रूपये पांच हजार से अनधिक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है। इसके लिए राज्य शासन से नियम एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत कार्यवाही न करने पर वसूली के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण संबंधी कार्यवाही विचाराधीन है।

20.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग द्वारा समय–समय पर विभाग एवं जिलों को भेजे गए सुझाव एवं निर्देश पर अनुवृत्ति कार्यवाही का प्रतिवेदन भेजने के लिए खाद्य विभाग, महिला, बाल विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर एक–एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल आफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए।	नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है।

dz-	vuq'kalk,a	'kklu }kjk dh xbZ dk;Zokgh
1.	DGRO के रुप में अपर कलेक्टर/ संयुक्त कलेक्टर स्तर का अधिकारी पृथक से नियुक्त किया जावे जिसे आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध कराया जा सके।	● प्रत्येक जिले में कलेक्टर अथवा शासन के अनुमोदन से अपर कलेक्टर DGRO के रुप में अधिकृत किये जाने का प्रावधान है। अधिकांश जिलों में कलेक्टर को ही DGRO के रुप में Designate किया गया है। ● विभागीय कैडर रिव्यू में DGRO हेतु क.आ.अधि. की पदस्थापना के प्रावधान के संबंध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
2.	DGRO की स्थापना तथा उसके पते की जानकारी का प्रचार – प्रसार कराया जावे।	मंत्रालयीन परिपत्र क्रमांक एफ 7–12 (3–3)/2018/29–1, दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा DGRO का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त में कार्यालय कलेक्टर में DGRO का प्रचार प्रसार किया गया है।
3.	DGRO को प्राप्त शिकायतों के पंजीयन एवं निराकरण की ऑनलाईन व्यवस्था की जावे।	DGRO से प्राप्त शिकायतों को सीएम हेल्पलाईन अंतर्गत पृथक चार श्रेणियों में दर्ज कराने हेतु संचालक, सीएम हेल्पलाईन को पत्र भेजा गया है।
4.	DGRO की स्थापना तथा उसके पते की जानकारी का प्रचार – प्रसार कराया जावे।	मंत्रालयीन परिपत्र क्रमांक एफ 7–12 (3–3)/2018/29–1, दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा DGRO का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। समस्त जिला शिकायत निवारण अधिकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय कार्यालय, राजस्व कार्यालय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन से जुड़े मुख्य विभाग यथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जाति विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय तथा उचित मूल्य दुकान, शासकीय विद्यालय, आंगनवाड़ी एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में DGRO का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
5.	DGRO को प्राप्त शिकायतों के पंजीयन एवं निराकरण की ऑनलाईन व्यवस्था की जावे।	DGRO को प्राप्त शिकायतों के पंजीयन एवं निराकरण की ऑनलाईन व्यवस्था के संबंध में संचालक, सीएम हेल्पलाईन को लिखा गया है।
6.	अनुशंसा – नियम 4 में अपील का प्रावधान किया जावे।	इस संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। कार्यवाही प्रचलित है।
7.	धारा 15 (4) अंतर्गत DGRO की नियुक्ति, स्टाफ एवं वेतन भत्ते की व्यवस्था।	इस संबंध में स्वतंत्र DGRO नियुक्ति हेतु आवश्यक बजट की मांग का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना प्रक्रियाधीन है।
8.	आयोग को जुर्माने से प्राप्त राशि को शासन में जमा कराने का प्रावधान –	NFSA 2013 की धारा 33 एवं 34 अंतर्गत DGRO द्वारा जुर्माना वसूल करने के संबंध में शासन के वित्त विभाग की टीप, राशियॉं जमा कराने हेतु प्राप्तियॉं मद, में लेखा शीर्ष उपलब्ध है। जुर्माने की राशि विभागीय प्राप्ति शीर्ष 0408–Food Storage & Warehousing 800-other Receipts में जमा करायी जा सकती है।

[kk| vk;kx dh i= d- 133] fn- 18-02-2020 }kjk 'kklu dks Hksth xbZ vuq'kalk,a

d-	o"kZ 2019&20	[kk| foHkkx
	lefdr vuq'kalk,a	'kklu }kjk ikyu
1.	निर्धन परिवारों के लिए पूर्व से प्रचलित खाद्य सुरक्षा योजनाएं शासन की कल्याणकारी दृष्टिकोण पर आधारित थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रवर्तन का मूल उद्देश्य इस दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए पोषण सुरक्षा को अधिकार मूलक बनाना था। सस्ते दाम पर अनाज, महिलाओं, बच्चों और विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य रक्षा के लिए सहायता राशि आदि अब हितग्राही के अधिकार में शामिल हो गये हैं। अधिकार से वंचित किए जाने पर सक्षम फोरम में शिकायत करना, निर्णय से असंतुष्ट होने पर उसके विरूद्ध अपील करना, शिकायत सही पाए जाने पर दोषी व्यक्ति से खाद्य सुरक्षा भत्ता (जुर्माना) की वसूली करना आदि विधिक प्रावधान उक्त अधिनियम की विशेषताएं हैं, जो नागरिकों के हितरक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। अधिनियम के सही क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि हितग्राही, निगरानी समिति एवं विभागीय अधिकारियों को इन प्रावधानों के बारे में उचित प्रशिक्षण दिया जाये। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा प्रशिक्षण एवं योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए वित्तीय प्रावधान नहीं किये जाने के कारण इस महत्वपूर्ण गतिविधि का संचालन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण कानून में की गई अपेक्षा के अनुसार अपने आपको ढालने में अधिकारियों एवं निगरानी समिति को अधिक समय लग रहा है। आयोग अनुशंसा करता है कि प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार के लिए उचित वित्तीय प्रावधान विभागीय बजट में किया जाये।	वर्तमान में प्रदेश स्तर पर सत्यापन अभियान उपरांत माह सितंबर, 2020 से नवीन हितग्राहियों को जोड़े जाने की कार्यवाही सतत् रुप से जारी है। माह सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि में कुल 28.81 लाख नवीन हितग्राहियों को जोड़ा जाकर लाभान्वित किया जा चुका है। मृत्यु/दुहरे/बोगस /अपात्र चिन्हांकित अपात्र लगभग 95 लाख हितग्राहियों को पोर्टल से अस्थाई रुप से स्थगित किया गया है। इनमें से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले परिवार को पुनः नवीन आवेदन कर जोड़े जाने की सुविधा भी की गयी है। सत्यापन अभियान में प्रदेश के कुल 11740426 परिवारों में से 1073307 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में प्रदेश स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कार्य घर–घर जाकर किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में कुल 11740426 परिवारों में से 1073307 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। जिलों में ग्राम पंचायत/वार्ड/ स्थानीय निकाय खाद्य कार्यालय के अमले को हितग्राहियों का चिन्हांकन/ सत्यापन एवं स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं। जिलों द्वारा स्वीकृति उपरांत भारत सरकार के निर्देशानुसार हितग्राहियों को आधार सीडिंग एवं डि– डुप्लीकेशन कर एनआईसी के माध्यम से पात्रता पर्ची एवं राशन आवंटन आन –लाईन जारी किया जाता है। पात्र को जोड़ने एवं अपात्र को हटाने का अधिकार स्थानीय निकाय जिला स्तर पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्रता श्रेणी के वैध दस्तावेज के आधार पर स्थानीय निकाय (पंचायत/वार्ड) कार्यालय में आवेदन कर सत्यापन करने की सुविधा दी गयी है।

2	योजना को लेकर जनप्रतिनिधि एवं आम हितग्राही की प्रमुख शिकायत पात्र परिवारों की राशन पर्ची नहीं निकलने से है। आयोग भी मानता है कि योजना से संबंधित प्रमुख शिकायत यही है। राज्य में कहीं पर भी सूचीबद्ध हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने जैसी स्थिति नहीं है। कुछ स्थानों पर नेटवर्क एवं सर्वर की समस्या के कारण भले ही राशन वितरण में किंचित देरी हो रही हो, लेकिन कहीं से भी यह शिकायत नहीं है कि सूची में भाामिल व्यक्ति को राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तौल एवं कीमत को लेकर भी शिकायत नहीं के बराबर है। योजना को लेकर एक मात्र शिकायत/असंतोष छूटे हुए पात्र परिवारों के खाद्य सुरक्षा को लेकर है। सूची में कई अपात्र परिवार भाामिल हो जाने के कारण निर्धारित सीमा से अधिक जनसंख्या योजना का लाभ ले रही है। दूसरी ओर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कई परिवार, पात्रता होने के बाद भी लाभ से वंचित हैं। इन परिवारों की पात्रता पर्ची जारी नहीं हो रही है, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। योजना लागू होने के बाद से सम्पन्न परिवारों की जांच कर उन्हें सूची से हटाने का कार्य किसी भी जिले में नहीं हुआ है। इसके कारण समस्या ने विकट रूप ले लिया है। इसका सीधा असर छूटे हुए पात्र परिवारों की पोषण सुरक्षा पर पड़ रहा है। कुछ माह पूर्व खाद्य विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर डोर टू डोर सर्वेक्षण कर अपात्र परिवारों की पहचान के लिए निर्देश जारी किये गये थे। ये निर्देश वास्तव में प्रशंसनीय और लंबे समय से अपेक्षित थे। सर्वे का कार्य माह दिसम्बर 2019 तक पूरा किया जाना था लेकिन कतिपय कारणों के चलते अभी तक उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है। इस कार्य में जितना अधिक विलंब होगा, छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभ लेने के लिए उतना अधिक समय प्रतीक्षा करनी होगी। आयोग का सुझाव है कि एक विशेष मुहिम चलाकर सर्वेक्षण का कार्य दो माह में पूरा किया जाये, ताकि अपात्र परिवारों को पृथक कर छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभ उपलब्ध कराया जा सके।	
3	खाद्य सुरक्षा योजनाओं की सतत् पर्यवेक्षण के लिए जिला, विकासखण्ड एवं उचित मूल्य स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वर्ष जिन 24 जिलों का भ्रमण किया गया, उनमें से भ्रमण दिनांक को 16 जिलों में जिला स्तरीय समिति एवं 10 जिलों में विकास खण्ड स्तरीय निगरानी समिति का गठन नहीं होना पाया गया। त्रिस्तरीय निगरानी समिति में से उ.मू.दु. स्तरीय समिति के पुनर्गठन की स्थिति सबसे असंतोषप्रद है। उ.मू.दु. स्तरीय निगरानी समिति जो जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों की निगरानी करती है, की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।	प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिला एवं विकास खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। सतर्कता समिति की बैठकों की जानकारी http://mpsc.mp.nic.in/pdsallot/Analysis-Report/ report link PDS.aspx पर अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया है। सतर्कता समिति गठन हेतु शेष जिलों को शीघ्र गठन करने एवं समस्त जिलों को बैठकों का आयोजन कर कार्यवाही विवरण अपलोड करने हेतु निर्देश दिये गये है। साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग में भी इसकी समीक्षा की जा रही है।

	दुकान का नियमित खुलना, राशन का वितरण, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, आंगनवाड़ी में नाश्ता और भोजन का प्रदाय आदि का धरातल पर करीबी से निगरानी पंचायत स्तरीय निगरानी समिति ही कर सकती है। आयोग की अनुशंसा पर सभी कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए खाद्य विभाग द्वारा एकीकृत निगरानी समिति के गठन का आदेश क्रमशः दिनांक 15.02.2018 एवं 07.06.2018 को जारी किये गये थे। आयोग ने पाया कि विलंब से सही, जिला एवं खण्ड स्तर पर समितियों का गठन एवं बैठकें अब प्रारम्भ कर दी गई है। किन्तु पंचायत/वार्ड/उ.मू.दु. स्तरीय निगरानी समितियों का पुनर्गठन एवं प्रशिक्षण अभी तक नहीं हो पाया है। vk;kx dk l>ko g fd ipk;r@ okM Lrjh; fuxjkuh lfefr dk iuxBu ,o if'k{k.k nk ekg d Hkhrj i.k fd;k tk; ,o bu lfefr;k dk fd;k'khy cuk;k tk;A	सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी दुकान पर प्रदर्शित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। सतर्कता समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु 320 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण माह दिसंबर, 2019 से माह जनवरी, 2020 तक चार चरणों में आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में किया गया। कोविड–19 के कारण मैदानी स्तर पर ग्रामीण उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों का आनलाईन प्रशिक्षण वेविनार के माध्यम से दिनांक 18.12.2020 को कराया गया। सतर्कता समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु 300 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण माह दिसंबर, 2019 से माह जनवरी,2020 तक चार चरणों में आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में किया गया। प्रशिक्षण वेविनार के माध्यम से दिनांक 18.12.2020 को सतर्कता समितियों के सदस्यों के साथ साथ उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को भी प्रशिक्षण दिया गया। कतिपय उपभोक्ताओं के अंगूठा घिस जाने से Biometric Authentication न हो पाने की स्थिति में परिवार/सदस्य/उनके नामित व्यक्ति के माध्यम से समग्र के आधार पर/ वितरण पंजी से वितरण कराने के निर्देश दिये गये है। 3.3 उचित मूल्य दुकान पर सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं उनके मोबाईल नंबर दुकान पर प्रदर्शित कराने हेतु निर्देश जारी किये गये है। सदस्यों को एसएमएसके माध्यम से जानकारी दिये जाने की व्यवस्था साफटवेयर मे की गयी है। सतर्कता समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण आनलाईन अपलोड किया जा रहा है जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
4.	उचित मूल्य दुकानों में स्वतंत्र विक्रेता नहीं होना राशन वितरण के लिए बाधक बना हुआ है। एक विक्रेता के पास दो से तीन दुकान का दायित्व होने के कारण ऐसी दुकानें सप्ताह में छह दिन नहीं खुलती हैं। उदाहरण स्वरुप देवास, मंदसौर, बैतूल, सिवनी, खण्डवा, छिंदवाड़ा, खरगोन एवं बालाघाट जिलों में क्रमशः 42%, 72%, 69%, 57%, 49%, 57%, 75%, एवं 55% दुकानें छह दिन नहीं खुल पा रही हैं। हितग्राहियों को इसका खामियाज़ा दुकान के बार–बार चक्कर लगाकर भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जिन पंचायतों में दुकान नहीं होने के कारण अन्य पंचायत में राशन के लिये जाना पड़ता हे या जहां नेटवर्क/सर्वर की समस्या रहती है, वहां के हितग्राहियों की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। आयोग के अनुरोध पर विक्रेताओं की संविदा नियुक्ति के लिए भर्ती नियम जारी किये गये थे। नियुक्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भी आमंत्रित किये गये थे लेकिन मान. न्यायालय के स्टे के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई।	प्रकरण न्यांयालय में विचाराधीन है।

	vk;kx dk l>ko g fd fu;fDRk ij yxh jkd dk gVkdj fodrkvk dh fu;fDRk ;Fkk 'kh?k ikjEHk dju dh vko';drk gA	
5	प्रत्येक पंचायत में राशन दुकान खोलने के शासन निर्णय से निश्चित रूप से ग्रामीण हितग्राहियों को सुलभता से राशन प्राप्त हो पायेगा। प्रत्येक जिले में इस दिशा में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, जो कि प्रशंसनीय है। दुकानविहीन पंचायतों में शीघ्रता से दुकान खोलने के लिए निम्न दो बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक हैं: 1. वर्तमान में दुकान आवंटन के लिए आवेदन पत्र केवल निर्धारित टाईम स्लाट्स में प्राप्त किये जा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में महिला स्व सहायता समूह/महिला सहकारी समितियां गठित नहीं है। इस कारण से अपेक्षित मात्रा में आवेदन प्राप्त होने में कठिनाई आ रही है। कुछ जिलों में देखने को मिला कि जब तक किसी समूह को आवेदन पत्र भरने के लिए तैयार कर लिया जाता है, तब तक टाईम स्लॉट समाप्त हो जाता है। vk;kx dk l>ko g fd vkonu i= ikIr dju d fy, fun'k e ifjorlu dj le;&lhek d cEku dk lekIr fd;k tkuk pkfg,A ndku vkoVu gk tku rd vkonu i= ikIr fd; tk ldr g] rkfd uoxfBr efgyk lfefr@leg vklkuh l vkonu tek dj ldA 2. एक बाधा यह भी है कि 200 कार्ड से कम कार्ड वाली दुकानों के लिए प्रति माह केवल रूपये 2000/— मानदेय देने का प्रावधान है। मात्र रूपये 2000/— की राशि से दुकान का किराया, अनाज के लिए अग्रिम भुगतान एवं विक्रेता का मानदेय आदि की भरपाई किया जाना कठिन है। ग्रामीण एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नवगठित महिला समूह वैसे भी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे में महिला समूह दुकान आवंटन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। vk;kx dh vu'klk g fd ekun; dh jkf'k c<kdj ifr ndku ifr ekg :- 8400@& fd;k tk,A	प्रत्येक पंचायत में राशन दुकान खोलने के लिए निर्णय लिया गया है।
6.	शहरी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि नवीन उचित मूल्य दुकान का खोलना एवं युक्तियुक्तकरण का कार्य बन्द है। कई शहरों में एक से अधिक वार्ड के लिए एक राशन दुकान है। बड़े शहरों में वार्ड में रहने वाले हितग्राहियों की संख्या के अनुपात में दुकानों की संख्या कम है। फलस्वरूप अनाज के लिए लम्बी कतार लगाना पड़ रहा है एवं हितग्राहियों को घण्टों इंतजार करना पड़ रहा है। दुकानों के लिए optimum कार्ड संख्या निर्धारित कर प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक दुकान खोलने की	

<table>
<tr><td></td><td>आवश्यकता है। कतिपय सहकारी भण्डार द्वारा दुकान आवंटन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के कारण पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से नवीन दुकान खोलना संभव नहीं हो पा रहा है।
vk;kx dk l|>ko g| fd [kk| foHkkx d Lrj l ofj"B vfËkdkjh dk iHkkjh vfËkdkjh fu;|Dr dj] LV gVku d fy, ek- mPp U;k;ky; e vkonu i= nkf[ky fd;k tkuk pkfg,A</td><td>शहरी क्षेत्र में वर्तमान में संचालित उचित मूल्य दुकानों को यथावत चलते रहने का निर्देश मान. उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। उक्त प्रकरण में जवाब फाईल कर शीघ्र सुनवाई हेतु मान. उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया है।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>शिवपुरी एवं श्योपुर जिलों के सहरिया जनजाति के कई परिवारों का राशन कार्ड बिना जांच के निरस्त किये जाने की शिकायत है। इन परिवारों के पास पूर्व में अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड था एवं उन्हें नियमित राशन प्राप्त हो रहा था। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के समय हुई जांच में बिना किसी ठोस आधार के उनके कार्ड निरस्त कर दिये गये।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के मामले में प्रदेश शासन द्वारा इनकम टैक्स देने वाले परिवार एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को छोड़कर शेष सभी परिवारों को सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है। निर्धन आदिवासी परिवार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। आयोग का सुझाव है कि इन जिलों में सहरिया आदिवासी बाहुल्य गांव को केन्द्र बनाकर इन प्रकरणों की पुनः जांच की जाए और जो आदिवासी परिवार पात्र पाए जाते हैं, उनका नाम दोबारा हितग्राही सूची में शामिल किया जाए।</td><td>जॉच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>गरीब परिवारों के लिए दालें ही प्रोटीन का प्रमुख एवं सबसे सस्ता स्त्रोत है। कुपोषण दूर करने में भी यह बहुत हद तक सहायक होती है। गेहूं एवं चावल जैसे अनाज के माध्यम से कार्बोहाईड्रेट की सुरक्षा प्राप्त होती है, जबकि पोषण सुरक्षा के लिए प्रोटिनयुक्त खाद्यान्न का भी प्रदाय किया जाना आवश्यक है। आयोग ने इस संबंध में पूर्व में भी राज्य शासन को अपनी अनुशंसा भेजी थी। शासन द्वारा फरवरी, 2019 से रू. 27/– प्रति किलोग्राम की दर पर चने की दाल का वितरण किया जा रहा था, लेकिन आठ माह के बाद दिसम्बर, 2019 से दाल का प्रदाय बन्द कर दिया गया है।
vk;kx dk l|>ko g| fd nky dk ink; fujrj tkjh j[kk tk,A</td><td>कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य दुकान से दाल का विक्रय शुरू कराया गया।</td></tr>
</table>

9.	राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं हटाने का कार्य जिला स्तर पर नहीं हो पा रहा है। एन.आई.सी. के माध्यम से संचालित केन्द्रीयकृत व्यवस्था एवं तकनीकी जटिलता के कारण कुछ हितग्राहियों को बिना कारण के राशन से वंचित होना पड़ रहा है। आयोग ने भ्रमण के दौरान पाया कि कई अन्त्योदय/बी.पी.एल. परिवार के मुखिया (पति) की मृत्यु के बाद जब कार्ड में पत्नी/अन्य आश्रितों के नाम मुखिया के रूप में दर्ज करने का प्रयास किया गया, तब राशन कार्ड अपने आप बन्द हो गया और राशन पर्ची जनरेट नहीं हुई। अन्य एक मामले में माता–पिता की दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुत्री के नाम पर राशन पर्ची जनरेट नहीं हो पाई। इन मामलों में हितग्राहियों को कई महिनों तक राशन से वंचित रहना पड़ा और उनकी खाद्य सुरक्षा जोखिम भरी रही। बच्चों के जन्म होने के बाद उनका नाम पर राशन पर्ची निकलने का कार्य नहीं हो पा रहा है। आयोग ने पाया कि कलेक्टर एवं आपूर्ति अधिकारी की पूरी संवेदना होने के बाद भी वे ऐसे प्रकरणों में हितग्राहियों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र के परे है। वे केवल संशोधन का प्रस्ताव बनाकर खाद्य संचालनालय को भेज सकते हैं। संचालनालय स्तर से ही एन.आई.सी. के साथ पहल कर संशोधन किया जा सकता है। यह स्थिति अवांछनीय है। यह भी विचारणीय है कि यदि जिला प्रशासन के संज्ञान में यह बात लाई जाती है कि किसी अत्यन्त निर्धन परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं है और उसके भोजन पाने का कोई अन्य जरिया नहीं है, उस स्थिति में भी कलेक्टर और आपूर्ति अधिकारी परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं कर सकते हैं। ज़ायज़ प्रकरणों में भी कलेक्टर/आपूर्ति अधिकारी के स्तर पर सूची में नाम जोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। vr% vk;kx iu% viuh io vu'kl k dk nkgjkuk pkgrk g fd tUe] eR;] fookg ,o iyk;u vkfn dh fLFkfr e jk'ku dkM e uke tkMu vkj gVku dk vf/kdkj dk ftyk dyDVl dk iR;k;kftr fd;k tk,A vk;kx ;g Hkh vu'kl k djrk g fd fdUgh dkj.kk l ik=rk lph e 'kkfey ugh gk ik,] t:jren ifjokjk dh lgk;rk d fy, iR;d ftys e dN ek=k e vukt j[ku dh 0;oLFkk dh tk,A	हितग्राही के परिवार में जन्म/ मृत्यु/विवाह के कारण सदस्यों में कमी/वृद्धि तथा स्थाई रुप से अन्यत्र पलायन/विस्थापन आदि के कारण समग्र आईडी में सदस्यों का संशोधन का अधिकार स्थानीय निकाय को दिया गया है। छः माह से अधिक समय से राशन न लेने वाले परिवारों को एनआईसी के स्तर से पात्रता से विमुक्त किया जाता है एवं पात्र हितग्राही द्वारा पुनः आवेदन करने पर जोड़ा जा सकता है। एक वार्ड से दूसरे वार्ड के विस्थापन के मामले में राशन कार्ड का निकटस्थ राशन दुकान में संलग्नीकरण का अधिकार राशन मित्र पोर्टल पर खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दिया गया है। स्थानीय निकाय से समग्र आईडी में नाम जोड़ने हटाने के आधार पर संशोधित पात्रता पर्ची हेतु कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लागइन से स्वीकृति दी जाती है। इस प्रकार परिवार में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर पहले स्थानीय निकाय द्वारा समग्र आईडी अपडेट करने के उपरांत खाद्य विभाग द्वारा ऐसे संशोधन की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है।
10.	हकदारी मूलक कानून होने के कारण दोनों पहलूओं, यानि कि हितग्राही का अधिकार एवं अधिकार का हनन के लिये दण्ड का प्रावधान अधिसूचित होना चाहिए। वर्तमान में अधिकार के बारे में विस्तृत नियम एवं निर्देश प्रसारित किया गया है। लेकिन खाद्य सुरक्षा के उल्लंघन के लिये जुर्माना वसूली की प्रक्रिया अधिसूचित नहीं हो पायी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा	नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

	अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत पोषण सुरक्षा नहीं देने के लिये दोषी संस्था या व्यक्ति से खाद्य सुरक्षा भत्ते की वसूली करने का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 33 एवं 34 के तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए दिये गये निर्देश की अवहेलना के मामले में शासकीय सेवक से जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है। vk;ksx dh vuq'kalk gS fd bu nksuksa izko/kkuksa ds fdz;kUo;u ds fy;s 'kklu Lrj ls fu;e ,oa izfdz;k dk fu/kkj.k 'kh?kzkfr'kh?kz fd;k tk,A	

c- efgyk ,oa cky fodkl foHkkx & iwjd iks"k.k vkgkj dk;Zdze &

[kk| vk;ksx ds i= dzekad 130] fnukad 16-2-18 }kjk 'kklu dks Hksth x;h vuq'kalk,a &

dz-	o"kZ 2017&18	efgyk ,oa cky fodkl foHkkx
	lesfdr vuq'kalk,a	'kklu }kjk ikyu
1.	dojst dh leL;k& निरीक्षण में पाया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत 3–6 वर्ष के बच्चों में से औसतन 50 प्रतिशत ही केन्द्र में आ रहे हैं, जो कि चिन्ताजनक है। इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने एवं लोगों को प्रेरित करने में पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता दिखाई नहीं देती है। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के लिए अन्यथा चिन्तित रहने वाले पालक भी कई ग्रामों में कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहते है। रही–सही कसर जगह–जगह पर संचालित निजी विद्यालयों ने पूरा कर लिया है। प्रायवेट स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा की लालच में पालक पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी की बजाये निजी स्कूल में भेज रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य की देखभाल तो दूर की बात है, बच्चों को भोजन तक की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बहुधा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, केन्द्र में आए बच्चों को मात्र पोषण आहार वितरण करने तक अपने आपको सीमित रखती है। महिला बाल विकास विभाग के अधीन युवा एवं उच्च शिक्षित महिला पर्यवेक्षकों का एक मजबूत केडर उपलब्ध है। पर्यवेक्षक, आंगवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से पालक एवं स्थानीय समुदाय के साथ संवाद कर सकते हैं। 1.1 पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई जाना चाहिए। प्रमुख घटकों जैसे– गर्भवती माताओं का टीकाकरण, एनेमिया नियंत्रण, इन्स्टीच्यूशनल डेलीवरी, बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच, कुपोषण, साफ पेयजल आदि को शामिल कर सौ अंक की स्केल पर हर माह पंचायतों का श्रेणीकरण किया जाना चाहिए और वर्ष के अन्त में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली पंचायतों को राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित एवं पुरस्कृत करने से उनकी सक्रियता बढ़ सकती है। 1.2 निजी विद्यालय के खुलने के समय आंगनवाड़ी के समय के बाद निर्धारित करने या कम से कम आंगनवाड़ी खुलने के दो घण्टे के बाद रखने के लिए यदि निर्देश जारी किया जाता है, तो बच्चों को नाश्ता मिल सकता है। ऐसे बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिए टिफिन कैरियर की व्यवस्था स्थानीय सहायता से की जा सकती है। कुल मिलाकर प्रयास यह होना चाहिए कि निजी विद्यालय में जा रहे छः से कम उम्र के बच्चों को भोजन एवं नाश्ता मिल जाये, ताकि हितग्राहियों का कवरेज यथार्थ रूप से बढ़े और कुपोषण पर अंकुश लग सके।	01. प्रदेश के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को समय–समय पर आयोजित विभागीय वीड़ियो कान्फ्रेन्स एवं समीक्षा बैठकों में आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में संचालनालय स्तर से निम्नानुसार कार्यवाहियां की गई हैः– 1/ आंगनवाडी केन्द्र को आदर्श आंगनवाडी केन्द्र के रूप में विकसित कर इन केन्द्रों पर आधारभूत एवं बाल सुलभ संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आवंटन जारी किया गया है। 2/ आंगनबाड़ी केन्द्र से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में शाला पूर्व शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक शिशु शिक्षा एवं देखभाल (ECCE) नीति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं अभ्यास पुस्तिका का पायलट किया जाकर (ECCE) को सुदृढ़ करने के प्रयास किया जा रहा है। 1.1. अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्रों पर गर्भवती माताओं का टीकाकरण, एनीमिया नियंत्रण, इन्स्टीटयूशनल डेलीवरी, बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच, कुपोषण, साफ पेयजल के लिए उत्कृष्ट भागीदारी करने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कार देने के लिए जिला कार्य योजना में प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं। 1.2. आंगनबाड़ी केन्द्रों के खुलने का समय सामान्यतः प्रातः 8 से 12 रहता है, आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में संचालनालय द्वारा समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग से समन्वय कर समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु शाला पूर्व शिक्षा के लिये संचालित निजी विद्यालयों के नियमन की गाईड लाईन उपलब्ध नही है, विभाग द्वारा प्रदेश में प्रारंभिक शिशु शिक्षा एवं देखभाल (ECCE) नीति विकसित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस नीति के लागू होने पर आयोग की अनुशंसानुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रारंभिक शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जावेगा।

2.	Vd gke jk'ku& 2.1 केन्द्रीयकृत व्यवस्था को समाप्त कर स्थानीय स्तर पर महिला स्व सहायता के माध्यम से टेक होम राशन प्रदाय करने के लिए प्रदेश शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लेकिन नवीन व्यवस्था के लिए नियम एवं निर्देश को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अभी भी पुरानी व्यवस्था प्रचलन में है। आयोग का सुझाव है कि नई व्यवस्था के लिए नियम को आगामी तीन माह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाए, ताकि स्थानीय महिला समूह के माध्यम से व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। 2.2 वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा परियोजना मुख्यालय से टेक होम राशन का परिवहन केन्द्र तक किया जा रहा है, जोकि उचित नहीं है। राशन सामग्री के परिवहन की भांति, द्वार–प्रदाय योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र तक टेक होम राशन पहुंचाकर देने के लिए नई नीति में शर्त शामिल किया जाना उचित होगा। 2.3 गर्म भोजन एवं नाश्ता के सैम्पल को लम्बे समय तक सुरक्षित रखना या अन्य किसी प्रदेश की प्रयोगशाला में भेजकर परीक्षण कराना संभव नहीं है। सुझाव है कि आंगनवाड़ी केन्द्र में सांझा चूल्हा/स्व सहायता समूह द्वारा दिए जा रहे गर्म भोजन, टेक होम राशन एवं मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए संभाग स्तर पर, चरणबद्ध तरीके से खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना किया जाना चाहिए, ताकि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित पोषण मानक का परीक्षण एवं सत्यापन किया जा सके।	02.1 राज्य मंत्रि–परिषद् के निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों पर टेकहोम राशन प्रदाय का कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश के 07 स्थानों पर स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों से एवं एमपी एग्रो के बाडी संयंत्र से किया जाना है। इस हेतु राज्य मंत्रि–परिषद् के निर्णय अनुसार इन संयंत्रों के अल्पकालीन निविदा के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। 2.2. टेकहोम राशन प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत परियोजना स्तर तक टेकहोम राशन का परिवहन प्रदायकर्त्ता द्वारा किया जाता है, तत्पश्चात् परियोजना कार्यालय से आंगनवाडी केन्द्र तक टेकहोम राशन का परिवहन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परिवहन कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर निष्पादित किया जाता है। आंगनवाडी केन्द्रवार एवं रैसिपीवार टेकहोम राशन की मात्रा अलग–अलग होती है तथा परियोजना इकाई द्वारा आंगनवाडी केन्द्रवार टेकहोम राशन प्रदाय व्यवस्था का प्रबंधन होने से प्रदाय मात्रा एवं प्राप्ति के संबंध में समुचित नियंत्रण बना रहता है। अतः टेकहोम राशन प्रदायकर्त्ता (संस्था, फेडरेशन ऑफ एसएचजी, फर्म) इत्यादि से आंगनवाडी केन्द्रों तक परिवहन कार्य कराया जाना संभव नही हो सकेगा। 2.3 भारत सरकार के निर्देशानुसार गर्म भोजन एवं नाश्ते के सैंपल पका हुआ खाद्य पदार्थ होने से प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक नहीं है। आयोग की सुझाव अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रदाय होने वाले गर्म ताजा भोजन की गुणवत्ता परीक्षण के लिए संभागवार प्रयोगशाला स्थापित करने की कार्यवाही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से की जानी होगी। इस हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से समन्वय किया जावेगा।
3.	[kk| lj{kk dk fy, nky dh mi;kfxrk & कुपोषण का मुकाबला केवल गेहूं एवं चावल जैसे कार्बोहाईड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों से नहीं की जा सकती। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की दाल जातीय फसलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। दाल से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सस्ते दर पर प्रोटिन उपलब्ध हो सकता है, जो कुपोषण दूर करने के लिए असरकारक हो सकती है। सुझाव है कि गेहूं एवं चावल के अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों से रियायती दर पर दाल वितरण करने की योजना बनाई जाना उचित होगा।	प्रदेश में खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के माध्यम से दाल (होल मूंग/चना) वितरण की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है, जिसके तहत् 27 रुपए प्रति किलो होल चना एवं 24 रूपये प्रति किलो होल मूंग, अधिकतम 4 किलो प्रति परिवार प्रतिमाह के मान से वितरण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

4.	l[kk ,o ikf"Vd uk'rk & आंगनवाड़ी में नाश्ता और भोजन नियमित दिया जा रहा है, लेकिन कई जिलों में भोजन एवं नाश्ता अरूचिकर होने की शिकायत आयोग को मिली है। नाश्ता और भोजन के संबंध में दो प्रकार की शिकायतें हैं। पहला, यह कि कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता और भोजन एक साथ प्रदाय किया जा रहा है। बच्चे दोनों एक साथ नहीं खा सकते। फलस्वरूप एक भोजन खाया जाता है और दूसरा नष्ट हो जाता है। दूसरा, यह कि जहां पर नाश्ता व भोजन पृथक–पृथक दिया जाता है, उनमें से अधिकांश जगह पर नाश्ता एवं भोजन में एक समान खिचड़ी या चावल दाल रहती है। एक प्रकार के खाद्य पदार्थ को दिन में दो बार बच्चे रूचि के साथ नहीं खा सकते हैं। 4.1 नाश्ता एवं भोजन को हर हाल में अलग–अलग समय पर देने की व्यवस्था की जाये। सुझाव है कि आंगनवाड़ी केन्द्र में पौष्टिक, सूखा एवं रूचिकर नाश्ता देने की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि नाश्ता कम से कम एक सप्ताह तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। ऐसा होने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाश्ते के मामले में स्वतंत्र रहेगी और बच्चे केन्द्र में आते ही बिना सप्लाई का इंतजार किए उन्हें नाश्ता खिला सकती हैं। इस प्रकार से बच्चों को नाश्ते के बाद दोपहर के भोजन के लिए भी काफी अन्तराल मिल जाएगा। जिन जिलों में मौसमी फल जैसे केला, संतरा, पपीता आदि का उत्पादन होता है, उन जिलों में ऐसे फल भी स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में दिया जा सकता है। 4.2 सेन्ट्रलाईज्ड किचन से नाश्ता और भोजन एक साथ सप्लाई होने की शिकायत हैं। नाश्ता एवं भोजन की अलग–अलग व्यवस्था लागू होने तक सेन्ट्रलाईज्ड किचन का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए। किचन में लगे सी.सी.टी.वी. फुटेज का परीक्षण परियोजना अधिकारी एवं जिला महिला बाल विकास अधिकारी को स्वयं करना चाहिए और देखना चाहिए कि नाश्ता और भोजन एक साथ निकल रहा है या अलग–अलग समय में ।	4.1 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से संचालित पोषण आहार व्यवस्था के नवीन निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोग के सुझाव अनुसार इन निर्देशों में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं थर्डमील के लिये पृथक–पृथक रैसिपीज के सुझाव जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराये जावेंगे। बुरहानपुर जिले में स्थानीय मौसमी फल कैला आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरण करने का पायलट किया गया है। 4.2 प्रदेश के कुछ बडे शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार की व्यवस्था के लिये जिला कलेक्टर द्वारा 1 या 01 से अधिक स्व सहायता समूह का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से आंगनवाडी केन्द्रों पर नाश्ते एवं भोजन की सप्लाई की जाती है। सामान्यतः विभागीय अमले द्वारा इन स्व सहायता समूहों के किचन शेड का नियमित निरीक्षण किया जाता है तथा पूरक पोषण आहार प्रदाय में प्राप्त शिकायतों पर जिला प्रशासन एवं विभागीय अमले द्वारा इन स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित किचन शेड का निरीक्षण किया जाता है। आयोग के सुझाव अनुसार इन किचन शेड में सीसीटीवी कैमरा लगाने के एवं समय समय पर सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
5.	xHkkoLFkk d egRoi.k ekgk e ikf"Vd Hkkstu& गर्भवती एवं धात्री माताओं एवं तीन से कम उम्र के बच्चों के लिए मुख्यतः प्रीमिक्स सामग्री दी जा रही है, जिससे आटा, बेसन लड्डू, बाल आहार, हलुआ और खिचड़ी आदि बनाई जाती है। प्रीमिक्स में आटा, दाल, घी/तेल, नमक, हल्दी, शक्कर/गुड़ आदि को इकट्ठा मिला देने के कारण बंद पैकेट से कुछ दिनों के बाद तेज गंध निकलने की शिकायत मिलती है। इसके कारण वह रूचिकर नहीं रह जाता है। आयोग का इस संबंध में दो सुझाव है। पहला सुझाव है कि प्रीमिक्स में शामिल प्रत्येक सामग्री को अलग–अलग पाउच में रखा जाए और ऐसे पाउच्स को एक बड़े पैकेट में पैक कर दिया जाए। घर में बड़े पैक को खोलकर अलग–अलग सामग्री के इस्तेमाल से व्यंजन तैयार किया जा सकता है, जोकि रूचिकर होगा और गंध आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। यह भी देखने को मिला कि	भारत सरकार एवं श्ै।प के निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रदेश में गर्भवती/धात्री महिलाओं/03 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे टेकहोम राशन में आवश्यक विटामिन्स एवं मिनरल्स मिक्स किये जाकर रैसिपीज (प्रिमिक्स) तैयार कर आंगनवाडी केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। गर्भवती/धात्री महिलाओं को सप्ताह में 01 बार आंगनवाडी केन्द्र से टेकहोम राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिसे हितग्राही द्वारा 01 सप्ताह की अवधि में उपयोग करना होता है। विभाग का यह प्रयास रहता है कि आंगनवाडी केन्द्र पर लगभग 60–70 दिन की शेल्फ लाईफयुक्त टी.एच. आर. हितग्राहियों के वितरण के लिये मासिक रूप से उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग हितग्राही द्वारा

	गर्भावस्था के सभी महिनों में एक प्रकार की पोषण आहार देने की व्यवस्था है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। टेक होम राशन के अलावा मातृत्व कल्याण योजना के अन्तर्गत भी गर्भवती माताओं के सुपोषण के लिए सहायता देने का प्रावधान है। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही राशि एवं पोषण आहार का सदुपयोग होना चाहिए। सुझाव है कि गर्भावस्था के महत्वपूर्ण महिनों में माता एवं गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए उपयुक्त रेसिपी विकसित किया जाए। रेसिपी के प्रचार–प्रसार के लिए सचित्र निर्देशिका/पाम्पलेटस् तैयार किया जा सकता है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर को इस संबंध में प्रशिक्षित किया जा सकता है।	प्राप्ति के 01 सप्ताह के अंदर करना चाहिये। चूंकि विभागीय निर्णय अनुसार प्रदेश में वितरित किये जा रहे टीएचआर में समस्त आवश्यक खाद्य सामग्री एवं विटामिन्स एवं मिनरल्स के प्रिमिक्स के रूप में साप्ताहिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तैयार किया गया है। जिसे उत्पादन दिनांक से अधिक दिन पश्चात् खोलने से कई दिनों तक पैक बंद रहने के कारण स्वाभाविक रूप से कभी–कभी तेज गंध की शिकायत रहती है, परंतु इससे टी.एच.आर. के पौष्टिकता एवं गुणवत्ता प्रभावित नही होती है। चूंकि गर्भवती/धात्री महिलाओं/03 वर्ष तक के बच्चों के लिये टी.एच.आर.प्रदाय हेतु सीमित राशि उपलब्ध एवं यह भारत सरकार के गेहूं आधारित पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर आधारित है। अतः प्रिमिक्स में उपयोग किये गये खाद्य सामग्री एवं विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि को अलग–अलग पाऊच में रखने से अधिक व्यय होगा। जिसकी पूर्ति प्रति हितग्राही निर्धारित राशि से किया जाना संभव नही हो सकेगा।
6.	fd'kkjh ckfydkvk dh n[kHkkYk& यह स्वयंसिद्ध सत्य है कि आज की किशोरी बालिका कल की माता है। इसलिये किशोरी बालिका के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण एवं प्रजनन संबंधी ज्ञान जितना मजबूत होगा, गर्भवती माताओं एवं नवजातों में पाई जाने वाली बीमारियां, जैसे अनेमिया, कुपोषण, प्रसव समय माता की मृत्यु, बाल मृत्यु एवं कम वजन के बच्चों के पैदा होना आदि में उतनी अधिक सुधार देखने को मिलेगा। राज्य में किशोरी शक्ति एवं सबला योजना के पोषकीय एवं गैर पोषकीय घटकों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं की देखभाल के उपाए किए जा रहे हैं। आयोग का सुझाव है कि योजना को और मजबूत किया जाए। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं पोषण में ठोस निवेश किए बिना प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकती है। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की मानिटरिंग के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में अनिवार्यतः एक रजिस्टर का संधारण किया जाए, जिसमें किशोरी बालिकाओं के नाम, पालक का नाम, उम्र, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी महत्पूर्ण घटकों की स्थिति, स्वास्थ्य जांच के दिवस एवं उपचार आदि का विवरण संधारित किया जाए। वर्ष में कम से कम चार बार किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य का परीक्षण चिकित्सकों के दल द्वारा करने की व्यवस्था की जाए।	(1) भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार 01 अप्रैल 2018 से प्रदेश के समस्त जिलों में किशोरी बालिका योजना (SAG) लागू की गई है। इस योजना के तहत् 11–14 वर्ष तक की समस्त शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। (2) लालिमा योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन स्तर की जांच की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर किशोरी बालिकाओं को आईएफएस संपूर्ण उपलब्ध कराया जा रहा है। (3) चौथे मंगलवार को लालिमा दिवस का आयोजन– स्व आंकलन किट के माध्यम से खून की कमी की जांच एवं आयरन की दवाओं का अनुपूरण।

7.	'kgjh {k= e vkxuokMh dUnk dk ;fDr;Drdj.k & शहरी क्षेत्र में कई ऐसे स्थानों पर आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं, जहां कि आज सम्पन्न व्यक्तियों के लिए आलीशान कालोनियां बन गई है। ऐसे कालोनी के बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्र में नहीं आते हैं और ना ही उनका परिवार बच्चों के पोषण, टीकाकरण, अनौपचारिक शिक्षा आदि के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र को आदर्श स्थान मानते हैं। ऐसे केन्द्रों को शहर की तंग एवं गरीब बस्तियों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। रिलोकेशन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजन किया जा सकता है। पूर्व में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका को नवीन स्थान पर काम करने के विकल्प देने के लिए नियम में संशोधन किया जा सकता है।	शहरी क्षेत्रों के विकसित/संपन्न क्षेत्रों में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों को शहर की तंग एवं गरीब बस्तियों में स्थानांतरित किये जाने का निर्णय विचाराधीन है।
8.	xHkhj dikf"kr cPpk dk mipkj ,o ic/ku & वर्तमान में चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों (SAM-Severe Acute Malnutrition) का पोषण प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एन.आर.सी.) में किया जाता है, जहां पर चिकित्सकों की देखरेख से उनका इलाज होता है। लेकिन गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों का उपचार एवं पोषण प्रबंधन के लिए कोई स्थाई, दृश्यमान, सामुदायिक पोषण प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे बच्चों का प्रबंधन केवल रेडी टू ईट थैराप्यूटिक फूड के माध्यम से किया जाता है। गैर चिकित्सकीय SAM बच्चों के कुपोषण के पीछे भी उनके खराब स्वास्थ्य एक प्रमुख कारण होता है। ऐसे बच्चों को भी चिकित्सक एवं पोषण विशेषज्ञों की सलाह मिलनी चाहिए, ताकि उनकी स्थिति में सुधार आ सके। आयोग का सुझाव है कि जहां पर एन.आर.सी. में बेड खाली रहते हैं, उन जगहों पर गैर चिकित्सकीय SAM बच्चों को भर्ती किया जाना चाहिए। जहां पर एन.आर.सी. के बेड खाली नहीं रहते हैं, वहां पर आंगनवाड़ी के समूह बनाकर ऐसे शिशुओं का परीक्षण नियमित अन्तराल में शिशु विशेषज्ञों से कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।	चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित (SAM-Severe Acute Malnutrition) का पोषण प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एन.आर.सी.) में किया जाता है। अतः गैर चिकित्सकीय SAM बच्चों को जिन एनआरसी में बेड खाली रह रहे है, वहां भर्ती कर उपचारित करने का कार्य पर निर्णय स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया जाना है।
9.	n/k ink; ;ktuk& बच्चों के स्वास्थ्यवर्धन के लिए राज्य शासन द्वारा अपने संसाधन से 15 जुलाई, 2015 से आंगनवाड़ी में प्रति बच्चा 100 मि.ली. के मान से सप्ताह के तीन दिन (सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) सुगंधित मीठा दूध का प्रदाय किया जा रहा है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सराहनीय है और कुपोषण निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग ने पाया कि मांग संकलित करने से लेकर दुग्ध प्रदाय करने तक प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। कई आंगनवाड़ी केन्द्र में 15 दिन से लेकर एक माह तक दुग्ध पावडर पहुंच नहीं पाया है। चर्चा में पाया गया कि परियोजना स्तर पर हर माह मांग इकट्ठा की जाती है। परियोजना से जिला पंचायत को जानकारी भेजी जाती है। जिले से जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के मध्यान्ह भोजन प्रकोष्ठ को भेजी जाती है, जहां से म.प्र. दुग्ध संघ को प्रदाय आदेश दिया जाता है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाडी केन्द्रों पर सप्ताह में 03 दिन फ्लेवर्ड मिल्क तैयार करने के लिये दुग्ध पावडर उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः इस विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

	आयोग का सुझाव है कि मध्यान्ह भोजन के लिए किए जा रहे ऑनलाईन आवंटन की भांति पिछले माह की उपस्थिति के आधार पर दूध पाउडर की मात्रा की गणना की जाए और परियोजना स्तर से सीधे ग्रामीण विकास विभाग एवं दुग्ध संघ को ऑनलाईन मांग भेजने की व्यवस्था लागू की जाए।	
10.	**vkxuokMh dUn e lfo/kk&** आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों के बैठने के लिए दरी अच्छी हालत में उपलब्ध नहीं मिली। कुछ केन्द्रों में पोषण आहार की बोरियों को सिलकर बैठने की व्यवस्था किया जाना पाया गया। पिछले पांच वर्ष से दरी का प्रदाय नहीं हुआ है। जिन केन्द्रों में पानी का फिल्टर प्रदाय किया गया है, उनमें से अधिकांश फिल्टर के कैंडिल पुराने हो चुके हैं, जिसे बदला जाना चाहिए। बच्चों के भोजन के लिए दिए गए चम्मच, गिलास और प्लेट खराब हो जाने से या गुम जाने से कम हो गए हैं, जिसकी भरपाई की जाना चाहिए। कई आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन पुराने होने के कारण जर्जर हो चुके हैं। कुछ केन्द्रों के फर्श क्षतिग्रस्त है। आयोग का सुझाव है कि प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की जाए। आंगनवाड़ी केन्द्र के सामान की सूची (इन्वेंट्री) बनाई जाए और आवश्यकता के अनुसार खराब हुई सामग्री की भरपाई की व्यवस्था की जाए। क्षेत्र के माननीय सांसद एवं माननीय विधायकों के विकास निधि से भी केन्द्र में फर्नीचर, बैठने के लिए दरी, बिजली एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है। पुराने एवं क्षतिग्रस्त भवनों के सुधार एवं मरम्मत का कार्य जनपद पंचायतों द्वारा समय सीमा में करने के लिए शासन आदेश जारी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।	संचालनालय द्वारा भारत सरकार से प्रदेश में विगत समय स्वीकृत 4305 आंगनवाडी केन्द्रों एवं 600 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों के लिये क्रमशः राशि रूपये 10000 एवं 7000 दरी एवं आवश्यक संसाधन क्रय हेतु राशि की मांग की गई है। भारत सरकार से आबंटन प्राप्त होने पर इस संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी।
11	**ekrRo dY;k.k ;ktuk ¼i/kkue=h ekr onuk ;ktuk½ &** पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत टेक होम राशन का लाभ हेतु प्रदेश के 1470000 गर्भवती एवं धात्री माताओं का पंजीयन किया गया, जबकि प्रधान मंत्री मातृवंदन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 2017 तक प्रदेश में केवल 67183 गर्भवती माताओं का ऑनलाईन पंजीयन हुआ है। इस बात का निश्चय नहीं हो पाया है कि मातृत्व कल्याण योजना का संचालन महिला बाल विकास विभाग करेगी या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। संभवतः इसी कारण से गर्भवती माताओं के ऑनलाईन पंजीयन का कार्य में गति नहीं आ सकी है। आयोग अनुशंसा करता है कि कार्यक्रम के संचालन के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाए एवं आगामी तीन माह के भीतर ऑनलाईन पंजीयन का कार्य पूर्ण कर सहायता राशि का वितरण हितग्राहियों के खाते में किया जाए।	01 अप्रैल 2018 से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ही प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में 590426 गर्भवती/धात्री महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत लाभान्वित किये गये है ।

[kk| vk;kx d i= dekd 72] fnukd 13-01-19 }kjk 'kklu dk Hkth x;h vu'klk, &

d-	o"k 2018&19	efgyk ,o cky fodkl foHkkx
	lefdr vu'klk,	'kklu }kjk ikyu
1.	आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की कम उपस्थिति इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधक है। आयोग ने पाया कि प्रायः आंगनवाड़ी में 3–6 साल के बच्चों की उपस्थिति दर्ज संख्या के 30–50 प्रतिशत तक रहती है। पंचायत एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग के अभाव, गांव में खुले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के आकर्षण एवं कुछ स्थानों पर गांव/वार्ड से दूर आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण आदि के कारण बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हो रही है। निजी स्कूल में दाखिला ले रहे गरीब परिवार के बच्चों को जहां एक ओर नाश्ता, भोजन एवं दूध नहीं मिल पाता है, वहीं दूसरी ओर उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती है। आयोग का सुझाव है स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई जाना चाहिए। आंगनवाड़ी में बच्चे एवं माताओं की उपस्थिति, गर्भवती माताओं एवं बच्चों का टीकाकरण, बाल मृत्यु दर कम करना, कुपोषण निवारण, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच, एनेमिया नियंत्रण, स्वच्छ पेयजल आदि घटकों पर पंचायतों की उपलब्धि का आंकलन किया जाना चाहिए और हर वर्ष ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली पंचायतों को राज्य एवं जिला स्तर पर पुरस्कृत करना चाहिए। इससे स्थानीय निकाओं की सक्रियता एवं भागीदारी में वृद्धि होगी। महिला बाल विकास विभाग के अमला के प्रशिक्षण में भी यथोचित परिवर्तन किया जाना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन एवं पालकों के साथ संवाद स्थापित कर आंगनवाड़ी की सेवा को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है, उसके बारे में अमला को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। गांव के निजी विद्यालयों में जा रहे गरीब परिवार के बच्चों को नाश्ता और भोजन देने के लिए स्थानीय सहयोग से टिफिन कैरियर की व्यवस्था की जा सकती है। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग के निरीक्षण के समय 30 से 40 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति मिलती है, उसे ठीक कराया जावे। आंगनवाड़ी में पंचायत की कोई भागीदारी नहीं है। स्वच्छता के अनुसार कौन सी आंगनवाडी कमजोर है उस पर ध्यान दिया जावे। एक–एक सुपरवाईजर को 01 या 02 आंगनवाडी केन्द्र देवें ताकि वह उस केन्द्र में सुधार करावे एवं उपस्थिति सुधारने का प्रयास करेगा।	संचालनालय के पत्र क्रमांक 3165 दिनांक 29.03.19 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में संचालनालय स्तर से निम्नानुसार कार्यवाहियॉं की जा रही हैः– 1. आंगनवाड़ी केन्द्रों कें बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं आकर्षक वातावरण उपलब्ध कराने के लिये विगत वर्ष में प्रदेश में 4000 आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र के रुप में विकसित कर इन केन्द्रों पर आधारभूत एवं बाल सुलभ संसाधन उपलब्ध कराये गये है। 2. आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन में उत्कृष्ट भागीदारी करने वाले ग्राम पंचायतों/पंचायत प्रतिनिधियों/विभाग के मैदानी अमले को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीनदयाल अन्त्योदय पुरुस्कार योजना का प्रारुप तैयार किया गया है। इन पुरस्कारों को लागू करने की कार्यवाही अटल बाल मिशन अंतर्गत उपलब्ध आवंटन की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में की जाना प्रस्तावित है। 3. प्रदेश में प्रारंभिक शिशु शिक्षा एवं देखभाल नीति विकसित की जा रही है जिसके माध्यम से प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा के नियमन संबंधी दिशा निर्देश जारी किये जायेंगें।
2.	कम पढ़े–लिखे पालकों को उनके बच्चों की पोषण स्तर के बारे में जानकारी देने एवं उन्हें सजग करने के लिए बच्चों के नाम के आगे सुपोषण के लिए हरा, मध्यम स्तर के कुपोषण के लिए पीला और अति कुपोषित बच्चों के लिए लाल रंग से स्माईली बनाकर प्रदर्शित किया जा सकता है।	संचालनालय के पत्र क्रमांक 3165 दिनांक 29.03.19 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। 1. प्रदेश में वर्ष में 04 बार सुपोषण अभियान का

		आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 03–04 आंगनवाड़ी केन्द्रों का क्लस्टर बनाकर अति कम वजन के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन हेतु समुदाय स्तर पर सुपोषण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान विलेज मैपिंग एवं गृह भेट द्वारा अति कुपोषित बच्चों के परिवार को आवश्यक परामर्श दिया जाता है तथा आंगनवाड़ी क्षेत्र के घरों में सुपोषण के लिये हरा, मध्यम स्तर के कुपोषण के लिये पीला और अति कुपोषित बच्चों के लिए लाल रंग से स्माइली बनाये जाते हैं।
3.	बच्चों के वजन सही–सही रिकार्ड करने के लिए सल्टर स्केल एवं इलेक्ट्रानिक मशीन उपलब्ध कराई गई है। भ्रमण के समय पाया गया कि कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों में वजन मशीन खराब पड़ी है। आयोग का सुझाव है कि वर्ष में एक बार वजन मशीन का अच्छी हालत में होने का सत्यापन और आडिट परियोजना स्तर से किया जाए, ताकि वजन मशीन सही हालत में उपलब्ध रहे।	संचालनालय के पत्र क्रमांक 3165 दिनांक 29.03.19 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में संचालनालय स्तर से पूर्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैः– 1. विगत वर्षो में जिलों को साल्टर स्केल के सुधार एवं सत्यापन के लिये निर्देश जारी किए गए है।
4.	बच्चों के वजन को सही तरीके से रिकार्ड करना और हर माह वजन में हो रही वृद्धि या कमी को ग्रोथ चार्ट पर सटीक रूप से अंकित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूर्व से कम पढ़ी–लिखी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदस्थ हैं, वहां पर यह कार्य सही ढंग से निष्पादित नहीं हो पा रहा है। आयोग का सुझाव है कि ऐसे कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को चिन्हित कर उन्हें ग्रोथ चार्ट तैयार करने के लिए पुनः प्रशिक्षित किया जाए।	संचालनालय के पत्र क्रमांक 3165 दिनांक 29.03.19 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने के निदेश दिये गये। इस संबंध में संचालनालय स्तर से पूर्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैः– 1. पोषण अभियान अंतर्गत ILA(Incremental Learning Approach) के तहत फरवरी 2019 में प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वृद्धि पर निगरानी एवं ग्रोथ चार्ट भरने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।
5.	आयोग के ध्यान में यह बात भी आई है कि आंगनवाड़ियों में पिछले लगभग पांच वर्षों से बच्चों के बैठने के लिए दरी प्रदाय नहीं की गई है। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों की फर्श क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन केन्द्रों पर बिना दरी के बैठना बच्चों के स्वास्थ्य के कदापि उचित नहीं है। हमारा सुझाव है कि प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों में दरी प्रदाय की जाए। साथ ही जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन लेने के लिए थाली, गिलास एवं चम्मच की कमी है, उसकी भी पूर्ति की जाए।	संचालनालय के पत्र क्रमांक 3165 दिनांक 29.03.19 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में संचालनालय स्तर से पूर्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैः– 1. संचालनालय द्वारा भारत सरकार से प्रदेश में विगत समय स्वीकृत 4305 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 600 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये क्रमशः राशि रुपये 10000 एवं 7000 दरी एवं आवश्यक संशाधन क्रय हेतु राशि की मांग की गयी है। 2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकृत एपीआईपी में प्रत्येक 05 वर्ष में 01 बार 20 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये आवश्यक संशाधन क्रय करने संबंधी आवंटन स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर इस संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी।

		3. अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिये चम्मच प्रदाय हेतु वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना में स्वच्छता किट अंतर्गत राशि उपलब्ध करायी गयी है।
6.	यद्यपि आंगनवाड़ी में बच्चों को नाश्ता, भोजन एवं थर्ड मील नहीं मिलने बाबत कोई गंभीर शिकायत आयोग को प्राप्त नहीं हुई हैय फिर भी यह पाया गया कि लगभग पचास प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता और भोजन एक साथ दिया जा रहा है। इसके कारण बच्चों को जो पौष्टिक तत्व दिन के अलग–अलग समय पर कुछ अन्तराल के बाद मिलना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। आयोग का सुझाव है कि नाश्ता एवं भोजन के व्यंजन को पृथक किया जाए। केन्द्र पर सूखा एवं पौष्टिक नाश्ता देने की व्यवस्था अनिवार्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूखा नाश्ता कम से कम एक सप्ताह तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था हो जाने से बच्चे केन्द्र में पहुंचते ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बिना किसी सप्लाई का इंतजार किए उन्हें नाश्ता खिला सकती है। इस प्रकार से बच्चों को ना ते के बाद दोपहर के भोजन के बीच काफी अन्तराल मिल जाएगा। यह उपाय कुपोषण निवारण के लिए उपयुक्त भी होगा। आज की स्थिति में दोपहर को दिया जा रहा भोजन में से कुछ भोजन बचाकर उसे अति कुपोषित बच्चों को थर्ड मील के रूप में दिया जा रहा है। एक व्यंजन को दिन में दो–दो बार खाने में बच्चे रूचि नहीं लेते हैं। इसलिये थर्ड मील में भी पृथक व्यंजन देने के बारे में विचार किया जाना चाहिए जो कि रूचिकर और स्वास्थ्यवर्धक हो।	संचालनालय के पत्र क्रमांक 3165 दिनांक 29.03.19 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने के निदेश दिये गये। इस संबंध में संचालनालय स्तर से पूर्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:– 1. महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्र. 2101–2103 दिनांक 12.09.2018 द्वारा प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित पोषण आहार व्यवस्था के नवीन निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों के तहत सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं थर्ड मील के लिये पृथक–पृथक रैसिपीज सुझाई जाकर जिला कलेक्टर को तदानुसार पूरक पोषण आहार के निर्देश दिये गये है। 2. आयोग की अनुशंसानुसार बड़वानी जिले में कलेक्टर द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सूखा नाश्ता वितरण कराया जा रहा है।
7.	गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए प्री–मिक्स सामग्री को टेक होम राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, म.प्र. भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं असंगठित संबल योजना आदि के माध्यम से भी गर्भवती माताओं की देखभाल एवं पौष्टिक आहार के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आयोग का सुझाव है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि, टेक होम राशन तथा गांव में सुलभता से मिलने वाले अनाज आदि के उपयोग से गर्भवती माता एवं शिशु के पोषण के लिए उपयुक्त रेसिपी विकसित की जाए। महिला बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्र में उपलब्ध अनाज आदि को ध्यान में रखते हुए पोषणविदों से परामर्श कर विभिन्न प्रकार के रेसिपी की सूची तैयार की जा सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर एवं आशा कार्यकर्ता, गृह भेंट एवं अन्य कार्यक्रम के दौरान रेसिपी के प्रचार–प्रसार गर्भवती एवं धात्री माताओं के बीच कर सकते हैं।	संचालनालय के पत्र क्रमांक 3165 दिनांक 29.03.19 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस संबंध में संचालनालय स्तर से पूर्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:– 1. अटल बाल मिशन अंतर्गत पोषण संवेदनशील कृषि विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला /विचार–विमर्श के पश्चात प्रत्येक विकासखण्ड में 01 गांव को न्यूट्री स्मार्ट विलेज के रुप में चिन्हित किया जाकर इस ग्राम में स्थानीय उपलब्ध अनाज/सब्जी/फल इत्यादि को परिवार के एवं विशेषकर गर्भवती/धात्री माताओं एवं अति कुपोषित बच्चों के दैनिक आहार में शामिल करने की पहल की गयी है। 2. गर्भवती/धात्री महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत प्रदत्त राशि से पौष्टिक संपूरक आहार दैनिक भोजन में शामिल करने के लिए सलाह देने संबंधी निर्देश मैदानी अमले को दिए गए हैं।

8.	आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ''दाल'' का सेवन, प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे सस्ता माध्यम होता है। केवल गेहूं एवं चावल जैसे कार्बोहाईड्रेट जैसे खाद्य पदार्थ से कुपोषण से निज़ात नहीं पाया जा सकता है। आयोग का सुझाव है कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सस्ती दर पर दाल का प्रदाय भी उचित मूल्य दुकान से किया जाए। शासन द्वारा वर्तमान में केवल श्योपुर जिले के कराहल एवं खण्डवा जिले के खालवा ब्लाक के अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए दस रूपये प्रति किलोग्राम की दर से एक किलोग्राम प्रति हितग्राही के मान से दाल वितरण करने के प्रबंध किए गए है। सुझाव है कि दाल का वितरण सभी अनुसूचित जाति बहुल विकासखण्डों के हितग्राहियों को किये जाने की व्यवस्था किया जाना चाहिए।	प्रदेश में खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के माध्यम से दाल (होल मूंग/चना) वितरण की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है जिसके तहत 27 रुपये प्रति किलो चना एवं 24 रुपये प्रति किलो मूंग, अधिकतम 4 किलो प्रति परिवार प्रति माह के मान से वितरण की व्यवस्था है। 2. अटल बाल मिशन अंतर्गत श्योपुर जिले के कराहल एवं खंडवा जिले के खालवा ब्लाक के अनुसूचित जनजाति के परिवारों के अतिरिक्त शिवपुरी जिले की पोहरी एवं श्योपुर जिले की करहाल बाल विकास परियोजनाओं में निवासरत अति कम वजन के बच्चों के परिवारों के साथ–साथ कम वजन के बच्चों के परिवारों को समुचित पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत दाल, डबल फोर्टिफाईल नमक एवं सोयाबड़ी प्रदाय करने हेतु प्रणाली विकसित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
9.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची III में खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपबंधों में किशोरी बालिकाओं का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में उपयुक्त सहायता देने का उल्लेख है। आयोग ने अपने भ्रमण में पाया कि यद्यपि किशोरी शक्ति एवं सबला योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, फिर भी किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार प्रदाय करने की योजना सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में लागू नहीं है। इस मामले में और सजगता बरतने की आवश्यकता है। हमारा सुझाव है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की मानिटरिंग के लिए एक रजिस्टर का संधारण किया जाए। रजिस्टर में बालिका का नाम, पालक का नाम, उम्र, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य जांच की तिथि, हीमोग्लोबिन का स्तर, अन्य बीमारी एवं पोषण आहार प्राप्त करने की स्थिति का विवरण समाहित किया जाए। वर्ष में किए गए स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने की व्यवस्था की जाए। जरूरतमंद किशोरी बालिकाओं को सभी आंगनवाड़ी केन्द्र पर पोषण आहार देने की प्रबंध किया जाना उचित होगा।	संचालनालय के पत्र क्रमांक 3165 दिनांक 29.03.19 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही करने के निदेश दिये गये। इस संबंध में संचालनालय स्तर से पूर्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:– 1. भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार 01 अप्रैल 2018 से प्रदेश के समस्त जिलो में किशोरी बालिका योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत 11–14 वर्ष तक की समस्त शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 2. लालिमा योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन स्तर की जांच की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर किशोरी बालिकाओं को आईएफएस संपूरण उपलब्ध कराया जा रहा है। 3. चौथे मंगलवार को लालिमा दिवस का आयोजन – स्व आंकलन किट के माध्यम से खून की कमी की जांच एवं आयरन की दवाओं का अनुपूरण।

[kk| vk;kx dh i= dekd 133] fn- 18-02-2020 }kjk 'kklu dks Hksth x;h vuq'kalk,¡ %&

<table>
<tr><td rowspan="2">dz-</td><td>o"kZ 2019&20</td><td>efgyk ,oa cky fodkl foHkkx</td></tr>
<tr><td>lefdr vuq'kalk,¡</td><td>'kklu }kjk ikyu</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>कुपोषण दूर करने के लिए नाश्ता एवं दोपहर के भोजन में गुणात्मक सुधार किया जाने का सुझाव है। कई वर्षों से नाश्ते में नमकीन थुली या मीठी थुली दी जा रही है। इसके अतिरिक्त आयोग ने भ्रमण में पाया कि ग्रामीण क्षेत्र में कई आंगनवाड़ियों में नाश्ता और दोपहर के भोजन एक साथ दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में यथा शीघ्र परिवर्तन किया जाना चाहिए।
vk;kx dk l|>ko gS fd uedhu@ehBh Fkqyh ds txg :fpdj ikSf"Vd uk'rk] tSls fd exQYyh@puk dh fpDdh] QkfVQkbM eqjeqjk] jktxhjk ds yMMw vkfn] ftls fd nks lIrkg rd vkxuokMh esa fcuk [kjkch ds j[kk tk ldrk g] dks nus dh 0;oLFkk dh tk,A l[k uk'rs ls cPpksa dks tgka ,d vksj Ik;kIr ek=k esa ikSVhu ,oa dSyksjh feysxh] ogha nlljh vksj uk'rk vkSj HkkstU ds chp nks ls rhu ?k.Vs dk vUrjky jgsxk tks Hkkstu xzg.k ds fy, mi;qDr lkfcr gksxkA iks"k.kfon ,oa f'k'kq jksx fo'ks"kKksa ls ppkZ dj LFkkuh; Lrj ij miyC/k vukt vkfn ls ikSf"Vd ,oa Lokfn"V l[kk uk'rk dh jsflih cuk;h tk ldrh gSA</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>विभागीय जानकारी के अनुसार प्रदेश में अति कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 1,12,000 है, जबकि मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों की संख्या करीबन 10,50,000 है। मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों के उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि कालांतर में ये भी अति कुपोषित की श्रेणी में ना आ जाए। पालकों को इस संबंध में उचित परामर्श देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि कुपोषित बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में हम सुधार करें और उसकी पौष्टिकता बढ़ाए। विभागीय जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी में दर्ज कुल 67,75,000 बच्चों में से केवल 16 प्रतिशत बच्चे मध्यम कुपोषित एवं लगभग 2 प्रतिशत बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में दर्ज हैं। उक्त जानकारी को बिना आलोचना के मान भी लिया जाए, तो मध्यम एवं अति कुपोषित बच्चों का संख्या अपेक्षाकृत रूप से कम है, जिनके स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बेहतर उपाय किये जा सकते है। संख्या कम होने से, इस पर ज्यादा वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ेगा।
vk;kx dk l|>ko gS fd ftu ifjokjksa esa v.Mk dk lsou gksrk g] mu ifjokjksa ds vfr dqikf"kr ,oa e/;e dqikf"kr cPpksa dks uk'rs esa mcyk gqvk v.Mk fn;k tk ldrk gSA ftu ifjokjksa esa v.Mk dk lsou ugha fd;k tkrk g] mu ifjokjksa ds dqikf"kr cPpksa dks n/k] dsyk ;k Qy vkfn fn;k tk,A</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>अति कुपोषित बच्चों के लिये थर्ड मील देने का प्रावधान है। वर्तमान में दोपहर का बचा हुआ भोजन थर्ड मील के रूप में दिया जा रहा है। थर्ड मील अमूमन दोपहर तीन बजे से लेकर चार बजे के बीच दिया जाता है। यह विचारणीय है कि इस प्रकार का भोजन परोसे जाने तक ठण्डा हो जाता है। इसके अलावा उसमें मुख्यतः कार्बोहाईड्रेट के तत्व रहता है। कुपोषण निवारण के लिए ऐसा भोजन कारगर साबित नहीं हो पा रहा है।
vk;kx dk l|>ko gS fd FkMZ ehy ds fy, Hkh ikSf"Vd l[kk [kk| inkFkZ ;k ikSf"Vd xeZ Hkkstu cukdj fn;k tk;sA Lo lgk;rk lewgksa ds</td><td></td></tr>
</table>

	ek/;e l Hkkstu cuk;k tk ldrk gSA vfrdqikf"kr cPpk dh l[;k 0&05 o"k rd d me d cPpk dh l[;k dk nk ifr'kr l vf/kd ugh gSA blfy; FkMZ ehy dh x.koRrk e l/kkj dju l vf/kd foRrh; Hkkj ogu ugh djuk iMxkA	
4.	अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान करने वाली माताओं एवं बच्चों को आंगनवाड़ियों के माध्यम से पोषाहार सहायता प्रदाय करने की बात कही गई है। बच्चों के मामले में आंगनवाड़ी में ना ता एवं गर्म भोजन प्राप्त करने के लिए आयु का बंधन रखा गया है। अनुसूची 2 के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को केवल टेकहोम राशन की पात्रता है। इन्हें नाश्ता एवं गर्म भोजन देने का प्रावधान नहीं है। केवल 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन देने का उल्लेख है। वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह माना गया है कि जन्म के बाद के एक हजार दिवस (लगभग तीन वर्ष) बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से जब बच्चे को गर्म भोजन और नाश्ता की हकदारी बनती है, तब तक शारीरिक विकास का क्रिटिकल पीरीयड लगभग समाप्त की ओर होता है। अतः गर्म भोजन प्राप्त करने के लिए रखी गयी आयु का बंधन पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो आंगनवाड़ी के आसपास रहते हैं और पालकों के साथ आंगनवाड़ी में आ सकते हैं, उन्हें टेकहोम राशन के बजाये नाश्ता एवं गर्म भोजन दिया जा सकता है। जो बच्चे, कम आयु एवं अधिक दूरी के कारण आंगनवाड़ी में नहीं आ सकते हैं, उन्हें ही टेकहोम राशन दिया जाए। आंगनवाड़ी में आने से बच्चों को नाश्ता के साथ–साथ दोपहर का भोजन मिलेगा। उनमें से जो कमजोर एवं कुपोषित बच्चे होंगे, उन्हें थर्ड मील भी मिलेगा। साथ ही, आंगनवाड़ी के अन्य बच्चों के साथ बैठने से पारस्परिक प्रभाव एवं खेलकूद आदि गतिविधियों से उनका मानसिक विकास भी होगा।	
5	टेकहोम राशन में बच्चों एवं माताओं को सप्ताह में पांच दिन के लिए प्रीमिक्स खाद्य पदार्थ के पैकेटस् प्रदाय किए जा रहे हैं। पांच दिन के आहार में गेहूं,सोया बर्फी, (प्रीमिक्स), आटा बेसन लड्डू (प्रीमिक्स), हलुआ (प्रीमिक्स), बाल आहार (प्रीमिक्स) एवं खिचड़ी (प्रीमिक्स) भाामिल हैं। प्रत्येक प्रीमिक्स व्यंजन में 10–15 प्रतिशत तक तेल रहता है। इनमें से खिचड़ी और सोया बर्फी के लिए यथास्थिति, अनाज, दाल या आटा में नमक / शक्कर एवं मसाले के अतिरिक्त रिफाईण्ड वेजिटेबल आईल को अच्छे से मिलाकर प्रीमिक्स तैयार किया जाता है और उसे एयरटाईट पैकेट में बंदकर प्रदाय किया जाता है। पैकेट का उपयोग तीन माह तक किया जा सकता है। तेल का मिश्रण होने के कारण एवं अधिक समय तक बन्द रहने के कारण पैकेट के खोलने पर दुर्गंध आने लगती है, जिसे हितग्राही खाने के लिए पसंद नहीं करते हैं। कुछ हितग्राहियों द्वारा पहले प्रीमिक्स को गर्म पानी में भिगोकर मसाला एवं तेल जैसे उपयोगी तत्वों को निकाल दिया जाता है। शेष बचे अनाज से खिचड़ी आदि बनाई जाती है। इस प्रकार से तेल और मसाले में किया गया व्यय बेकार हो जाता है। vk;kx u iol e Hkh l>ko fn;k Fkk fd rsy dk feDl dju d ctk; ml ,d NkVs ikmp e j[kdj ihfeDl d idV e j[k fn;k tk;A blls ihfeDl f[kpMh ,o cQh vkfn [kku ;kX; ,o :fpdj gk tk;xkA	

6.	अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में चार बार फॉलोअप के लिए लाना होता है। पूर्व में फॉलोअप के लिए माताओं को सहायता राशि दी जा रही थी। इससे उनके श्रम की हानि एवं परिवहन की प्रतिपूर्ति हो जाती थी और वे बच्चों को एन.आर.सी. में बार–बार लाने में रूचि ले रही थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ताओं को तो अभी भी बच्चों को लाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, लेकिन पिछले एक वर्ष से माताओं को फालोअप के लिए आर्थिक सहायता देना बंद कर दी गयी है। फलस्वरूप फॉलोअप में कमी आई है। माताएं फालोअप में रूचि नहीं ले रही है और बच्चों को भेजने के लिए माताओं को प्रेरित करना भी अधिक कठिन हो गया है। स्पष्ट रूप से सहायता राशि नहीं देने का विपरीत असर फॉलोअप पर पड़ रहा है। आयोग अनुशंसा करता है कि मजदूरी एवं परिवहन राशि पूर्ववत् माताओं को दी जाये।	
7.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक उद्देश्य सभी पात्र स्त्रियों एवं बच्चों को निःशुल्क पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस दिशा में दो स्तर पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। पहला, आंगनवाड़ी विहीन गांव में मिनी आंगनवाड़ी अथवा आंगनवाड़ी खोली जाये। बाल विकास परियोजनाओं के सार्वभौमीकरण के मामले में प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है, फिर भी प्रदेश के कुछ गांव एवं मंजरा टोले आंगनवाड़ीविहीन हैं। आदिवासी क्षेत्र के मजरा एवं टोला को शामिल करने पर यह संख्या और अधिक होगी। आंगनवाड़ी विहीन गांव में पास के गांव से टेक होम राशन दिया जा रहा है, लेकिन 03 से 06 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को गर्म भोजन देना संभव नहीं हो पा रहा है। किशोरी बालिकाओं की देखभाल भी भलीभांति नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर यह व्यवस्था आंगनवाड़ी विहीन गांव के हितग्राहियों के लिए कारगर साबित नहीं हो रही है। vk;kx dk l>ko g fd T;knk l T;knk cPp ,o ekrkvk dk doj dju d fy, vkxuokMhfoghu xkok ,o etjk Vkyk e feuh vkxuokMh dUn [kkyuk vko';d gA हितग्राहियों के optimum कवरेज के रास्ते में दूसरी बड़ी बाधक आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की कम उपस्थिति है। 03–06 वर्ष के दर्ज बच्चों में से औसतन 60 प्रतिशत बच्चे आंगनवाड़ी में आ रहे हैं। 40 प्रतिशत बच्चे विभिन्न कारणों से आंगनवाड़ी में नहीं पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जगह–जगह अंग्रेजी माध्यम के प्रायवेट स्कूल खुल जाने से आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति पर विपरीत असर पड़ा है। पालकों एवं स्थानीय स्वायत्त संस्था के प्रतिनिधियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से भी उपस्थिति प्रभावित हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पंचायत प्रतिनिधि, पालक एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग के बिना बच्चों की उपस्थिति में आशानुरूप वृद्धि होना संभव नहीं है। vk;kx dk l>ko g fd mifLFkfr] dik"k.k] ,ufe;k] ekr ,o f'k'k eR;q nj vkfn lonu'khy lpdkd ij ftu ipk;rk dh fLFkfr T;knk [kjkc g] mu ipk;rk dh igpku dh tk; vkj ogk mifLFkfr ,o LokLF; lpdkdk e l/kkj yku d fy, vfËkdkjh ,o LFkkuh; fudk; d ifrfuf/k;k }kjk l;Dr :Ik l i;kl dju d fy, mUg ikRlkfgr fd;k tk,A iR;d ftyk e cMh l[;k e if'kf{kr vkxuokMh i;ok{kdk dk veyk ekStn gA ik;% lHkh Ik;ok{kd xzTk,V vFkok ikLV xzt,V gkdj mPp f'kf{kr gA ftyk Lrj ij i;ok{kd] lh-Mh-ih-vk- ,o fudk; ifrfuf/k;k d leUo; l vkxuokMh e mifLFkfr c<ku d fy, dk;l ;ktuk cukbl tkuk pkfg,A vPNk ifj.kke nu okyh ipk;rk ,o vf/kdkfj;k dk ijLdr Hkh fd;k tkuk pkfg,A bl l T;knk l T;knk fgrxkfg;k dk ik"k.k lj{kk d tky e ykuk lHko gk Ikk,xkA	

8.	आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, बैठने के लिए दरी एवं भोजन के लिए बर्तन आदि पोषण आहार कार्यक्रम का परिपूरक है एवं उसके अभिन्न अंग है। इन घटकों से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम को अधिक मजबूती मिलती है। आयोग ने पाया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्वच्छता के लिए बच्चों को हाथ धुलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। कुछ जिलों में कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी निधि से न्यूट्री कार्नर की स्थापना भी की गई है। यह कार्य वास्तविक रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन आंगनवाड़ी में नितांत जरूरी सामग्रियों का प्रदाय के लिए शासन स्तर से कार्यवाही की अपेक्षा है। अनेक जिलों में बच्चों को बैठने के लिए दरी उपलब्ध नहीं है। पिछले आठ वर्षों से दरी का प्रदाय नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण आहार की खाली बोरियों को सिलाईकर बच्चों को बिठाया जा रहा है। यह स्थिति स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुकूल नहीं है। आंगनवाड़ी में जो वॉटर फिल्टर प्रदाय किए गए थे, उनमें लगे टेराकोटा कैंडिल खराब हो रहे हैं, जिसे बदला जाना चाहिए। कई आंगनवाड़ियों में विद्युतीकरण नहीं होने से ग्रीष्मकाल में एवं उमस भरे मौसम में बच्चों को परेशानी होती है। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।	
9.	नवीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, पुराने भवनों की मरम्मत, साजसज्जा, विद्युतीकरण, बच्चों के लिए खिलौने और आंगनवाड़ी को बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए समय–समय पर धनराशि की आवश्यकता होती है। माननीय सांसद एवं विधायकों के साथ हुई चर्चा में यह बात सामने आयी है कि कई बार चाहते हुए भी नियम में प्रावधान नहीं होने के कारण, वे आंगनवाड़ी के लिए क्षेत्रीय विकास निधि से स्वीकृति नहीं दे सकते। vk;kx dk l>ko g fd ;fn lkln {k=h; fodkl ;ktuk ,o fo/kk;d {k=h; fodkl ;ktuk d micU/kk e l'kk/ku dj ,l dk;k d fy, 0;; dju dk micU/k tkM fn;k tkrk g] rk og fuf'pr :Ik l vkxuokMh dh fodkl e lgk;d fl) gkxkA	
10.	प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों का चयन, ऑनलाईन पंजीयन एवं समय पर किश्तों में सहायता राशि का वितरण का कार्य संतोषप्रद रूप से किया जा रहा है। चूंकि इस योजना के हितग्राही सभी गरीब परिवार तक फैले हुए हैं और चूंकि यह योजना सीधे तौर पर गरीब महिलाओं की सशक्तिकरण से संबंधित है। अतः राशि के सदुपयोग के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। ;ktuk dk vkj vf/kd cgrj ,o ifj.kkeeyd cuku d fy, fuEu fcUnvk ij dk;okgh dju dk l>ko fn;k tk jgk g%& igyk] ;ktuk dh leh{kk f=Lrjh; ipk;rh jkt lLFkkvk dh cBdk e dju dh 0;oLFkk gkA nljk] 'kklu }kjk egRoi.k voljk ij vkgr fo'k"k xke lHkk dh cBd e ;ktuk dh ppk dk 'kkfey fd;k tk,A rhljk] LFkkuh; Lrj ij feyu oky vukt] Qy ,o lCth vkfn l xHkorh ekrkvk d fy, ikf"Vd 0;tu dh jflih dh lph r;kj dh tk,A L=h jkx fo'k"kK ,o ik"k.kfon l ppk dj lph vklkuh l cukbZ tk ldrh gA exy fnol vkfn d le; jflihl dk in'ku fd;k tk ldrk gA jflihl d lfp= iEiyV cuk; tk ldr gA xg HkV d le; iEiyV d tfj; ekrkvk dk mfpr ijke'k fn;k tk ldrk gA	

11.	सागर एवं छिंदवाड़ा जिलों में पूर्व में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना लागू की गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता राशि कई हितग्राहियों को प्राप्त नहीं हो पाई है। छिंदवाड़ा जिले के 30047 एवं सागर जिले के 18964 हितग्राहियों को क्रमशः तेरह करोड़ इकतालीस लाख रूपये एवं चार करोड़ इकत्तर लाख पांच सौ रूपये की सहायता राशि दिया जाना शेष हैं। राशि का भुगतान नहीं होने से इन जिलों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में बाधक बन रही है।	

l- iapk;r ,o xzkeh.k fodkl foHkkx & e/;kUg Hkkstu ;kstuk &

[kk| vk;ksx dk i= dzekad 130] fnukad 16-2-18 }kjk 'kklu dks Hkksth x;h vuq'kalk,a &

dz-	o"kZ 2017&18	iapk;r ,o xzkeh.k fodkl foHkkx& e/;kUg Hkkstu
	lefdr vuq'kalk,a	'kklu }kjk ikyu
1.	कई शालाओं में खुले मैदान या जर्जर/खण्डहर मकानों में भोजन बनाया जा रहा है। प्रदेश के 7442 प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला किचन शेड विहीन है। इनमें से कुछ शालायें एक परिसर में स्थित हो सकती हैं, जहॉ पर एक से अधिक विद्यालयों के लिये एक किचन शेड पर्याप्त होगा, लेकिन शेष शालाओं के लिये नवीन किचन शेड का निर्माण अगामी दो वर्ष के भीतर किया जाना चाहिये। स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिये कि नवीन किचन शेड का निर्माण हो जाने तक शाला भवन के किसी अतिरिक्त कक्ष/अनुपयोगी कक्ष में भोजन बनाने की व्यवस्था की जाये, लेकिन किसी भी स्थिति में खुले में या अस्वस्थकर परिवेश में भोजन बनाया नहीं जाए।	किचनशेड विहीन शालाओं में किचनशेड बनाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिन शालाओं में किचिनशेड नहीं है, वहां पर अन्य कक्ष में मध्यान्ह भोजन बनाया जाता है।
2.	महिला स्व सहायता समूहों को दी गई आईडी के आधार पर पीओएस मशीन को एक्सेस करने पर कहीं–कहीं आवंटित मात्रा से कम मात्रा प्राप्त होना एवं आवंटित अनाज गेहूं या चावल है, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने की शिकायत मिली है। कार्यक्रम के साफ्टवेयर में फाईन ट्यूनिंग कर दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिये।	एन.आई.सी. के माध्यम से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल में आवश्यक सुधार किया जा रहा है।
3.	कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिये राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त शाला स्तर पर मदर रोस्टर द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश के हर जिला/विकासखण्ड में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, लेकिन आवश्यक संख्या में बैठक आयोजित नहीं हो रही है। विकासखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें खाद्यान का आवंटन, रसोइयों की स्थिति, विद्यालय का खुला रहने से लेकर स्व सहायता समूहों को कार्य आवंटन जैसे मामले पर चर्चा हो सके और समस्याओं का निराकरण तत्परता से किया जा सके। अतः जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय समितियों को क्रियाशील बनाया जाए।	जिला एवं जनपद पंचायतों को पुनः निर्देश दिए जाकर नियमित अनुश्रवण के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
4.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा शासित सभी योजनाओं के अंतिम छोर पर निरीक्षण के लिये तीनों विभागों की अलग–अलग निगरानी समिति के स्थान पर पंचायत प्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी, स्वयं सेवी संगठन एवं हितग्राहियों को लेकर एक सशक्त समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित हो सके।	संबंधित तीनों विभागों के समन्वय से अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

5.	सभी शालाओं में प्रधान अध्यापक को मध्यान्ह भोजन को चखने एवं स्वच्छ वातावरण में भोजन बनना सुनिश्चित करने के लिये अध्यापकों का रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिये जाने चाहिये।	तत्संबंध में मध्यान्ह भोजन अंतर्गत निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को भी इस संबंध में निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया जावेगा।
6.	भोजन ग्रहण करने के पहले एवं बाद में हाथ धुलाने की स्थाई व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। हाथ धोकर भोजन करना स्वास्थ्य रक्षा का अभिन्न अंग है। प्रत्येक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रकाशित हाथ धोने का सचित्र पाम्पलेट्स का प्रदर्शन किया जाना चाहिये। शिक्षक एवं छात्रों को इसके बारे में प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिये। प्रत्येक स्कूल में साबुन, बाल्टी एवं तौलिया की व्यवस्था होनी चाहिये।	सभी शालाओं में हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध है। इस संबंध में बच्चों तथा अध्यापको को जागरुक किया जा रहा है।
7.	मध्यान्ह भोजन के काम में लगी हुई महिला रसोइयों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। प्रदेश के लगभग 36 हजार विद्यालयों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग 80 हजार से ज्यादा विद्यालयों में लकड़ी से भोजन तैयार किया जा रहा है। गैस सिलेण्डर की रिफिलिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण जहां पर गैस कनेक्शन दिया गया है, वहां भी एक बार गैस जल जाने (खत्म होने) के बाद लकड़ी से भोजन तैयार करना पड़ता है। रसोइयों के स्वास्थ्य के लिए लकड़ी का धुंआ अत्यन्त हानिकारक है। फिर भी दिनभर की मेहनत के लिए उन्हें माह में केवल एक हजार रूपये का पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो कि अत्यन्त ही कम है। आयोग की अनुशंसा है कि रसोइयों का मासिक पारिश्रमिक कम से कम तीन हजार रूपये किया जाए।	माह अक्टूबर, 2018 से रसोईयों का पारिश्रमिक राशि रु. 2000/- कर दिया गया है। अनेक बार भारत सरकार को मानदेय में वृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा मानदेय में वृद्धि करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।
8.	गैस की रिफिलिंग, खाने बनाने के बर्तन, चम्मच, गिलास, टाटपट्टी, हाथ धोने के लिए साबुन, तौलिया आदि आवश्यक सामग्रियों के इन्वेंट्री बनाए जाए, ताकि ऑनलाईन मानिटरिंग किया जा सके एवं कमी की पूर्ति शीघ्रता से किया जाना संभव हो सके।	शालाओं द्वारा भोजन पकाने की राशि से गैस रिफिलिंग की जाती है तथा शेष कार्य हेतु एम.एम.ई. मद की राशि भी शाला को प्रदाय की जाती है।
9.	निराश्रित, वृद्ध एवं बेसहारा व्यक्तियों को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। निरीक्षण में यह पाया गया कि स्थानीय समुदाय एवं स्व सहायता समूह इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। इस संबंध में शिक्षक, स्व सहायता समूह एवं मदर्स कमेटी को सेंसिटाईज किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे बेसहारा लोगों को पोषण सुरक्षा मिल सके।	स्व सहायता समूह एवं मदर्स कमेटी को इस हेतु सेन्सेटाईज किया जावेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम सभाओं में भी इस विषय को रखा जाएगा।

[kk| vk;kx dk i= dzekad 72] fnukad 13-01-19 }kjk 'kklu dks Hksth x;h vuq'kalk,a &

dz-	o"kZ 2018&19	iapk;r ,oa xzkeh.k fodkl foHkkx& e/;kUg Hkkstu
	lefdr vuq'kalk,a	'kklu }kjk ikyu
1.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में किसी एक माह के लिए अनाज के अग्रिम उठाव पिछले माह की 25 तारीख तक हो जाता है, लेकिन सांझा चूल्हा एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का आवंटन संबंधित विभागों द्वारा विलम्ब से जारी होने के कारण इन योजनाओं के लिए खाद्यान्न का अग्रिम उठाव समय पर संभव नहीं हो पाता है। फलस्वरूप स्व सहायता समूहों को कई बार दो–तीन माह के लिए इकट्ठा खाद्यान्न प्राप्त होता है। अतः खाद्य, महिला बाल विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग को यथा संभव एक साथ अग्रिम आवंटन जारी करना चाहिए, ताकि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सभी योजनाओं के लिए अग्रिम उठाव समय पर किया जाना संभव हो सके।	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन आगामी माह के लिए एक माह पूर्व माह की 10 तारीख तक जारी कर दिया जाता है। ताकि नागरिक आपूर्ति निगम के खाद्यान्न परिवहन शिड्यूल के पूर्व संसूचित हो सके।
2.	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का स्वरूप वृहद है। यह कार्यक्रम समस्त शासकीय शालायें एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में संचालित हैं। प्रारंभ से ही कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिला स्तर पर नाम मात्र का अमला (जिसमें एक जिला समन्वयक, एक गुणवत्ता निरीक्षक एवं एक कम्प्यूटर आपरेटर) स्वीकृत हुआ था। आयोग ने भ्रमण के समय पाया कि कमोवेश सभी जिले, खासकर नवगठित जिलों में उक्त न्यूनतम स्टॉफ भी उपलब्ध नहीं है। सीधी जैसे जिले में तो कोई भी अमला पदस्थ नहीं है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस संबंध में रिव्यू कर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र करना चाहिए, जिससे कि योजना का क्रियान्वयन पर जिला स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा सके।	शासन निर्णयानुसार रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।
3.	प्रदेश के लगभग 7400 से भी ज्यादा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कीचन शेड नहीं हैं। इनमें से कई प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला एक परिसर में स्थित होने से एक कीचन शेड से दो शालाओं के लिए भोजन बनाया जा सकता है। आयोग का सुझाव है कि ग्रामीण विकास विभाग, प्राथमिकता के आधार पर कीचन शेड का निर्माण करने की व्यवस्था करें, ताकि खुले में या अस्वस्थ्यकर परिवेश में भोजन बनाया नहीं जाए।	किचिनशेड विहीन शालाओं हेतु भारत सरकार से 5300 किचिन शेडों की प्रथम किश्त प्राप्त होकर, जिलों को जारी कर दी गयी है। शेष किचिन शेडों हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।
4.	महिला रसोइयों को मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए पूर्व में प्रति माह मात्र एक हजार रूपये का मानदेय दिया जाता था। हाल ही में शासन द्वारा उक्त मानदेय में वृद्धि कर प्रतिमाह दो हजार रूपये देने का निर्णय लिया है, जोकि स्वागत योग्य है। दिन भर की मेहनत के लिए यह पारिश्रमिक भी कम है। रसोइयों द्वारा पानी भरना से लेकर, लकड़ी के चूल्हे से भोजन तैयार करना, गेहूं पिसवाना आदि काम किया जाता है। आयोग का सुझाव है कि महिला रसोइयों की मेहनत को देखते हुए उनके पारिश्रमिक को कम से कम तीन हजार रूपये करने पर विचार किया जाए।	इस संबंध में समय–समय पर भारत सरकार को रसोईयों का मानदेय बढ़ाए जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की गयी है। मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का पारिश्रमिक प्रति माह एक हजार रूपये से बढ़ाकर प्रतिमाह दो हजार रूपये कर दिया गया है।

5.	प्रदेश के लगभग 75000 से अधिक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए रसोई गैस उपलब्ध नहीं है। इन विद्यालयों में पारंपरिक तरीके से लकड़ी और कण्डे से भोजन बनाया जा रहा है, जोकि रसोइयों एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अतः चरणबद्ध तरीके से आगामी दो वर्ष के भीतर रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। जिन विद्यालयों में रसोई गैस दी गई है, वहां पर रि–फिलिंग की विश्वसनीय व्यवस्था की जाए, ताकि रि–फिलिंग नहीं हो पाने के कारण लकड़ी में भोजन बनाने की स्थिति उत्पन्न ना हो।	वर्तमान में 41069 शालाओं में रसोई गैस उपलब्ध करवा दी गयी है। शेष शालाओं में उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
6.	मध्यान्ह भोजन योजना सभी विद्यालयों में विस्तारित है और अनेक महिला स्व सहायता समूह भोजन बनाने का काम कर रही हैं। योजना के निरीक्षण के लिए नाम मात्र का स्टॉफ उपलब्ध होने के कारण मीनू अनुसार अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं बनने की शिकायत प्रायः सभी जिलों से प्राप्त हो रही है। आयोग का सुझाव है कि जहां एक ओर स्वीकृत स्टॉफ की पदस्थापना शीघ्रता से की जानी चाहिए, वहीं दूसरी ओर स्वसहायता समूह के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक माह विकासखण्ड स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करने की व्यवस्था की जाए। बैठकों में समूहों की तात्कालिक समस्या के निराकरण के साथ–साथ गुणवत्तायुक्त और मीनू के अनुसार भोजन बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिन विद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं मिलने की शिकायत है, उन प्रकरणों में समय रहते सुधारात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।	स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों के भर्ती की कार्यवाही शासन निर्णयानुसार की जावेगी।
7.	कार्पोरेट सोशल रेस्पान्सिबिलिटी के अन्तर्गत प्राप्त संसाधन का एक हिस्सा का व्यय किचन शेड का निर्माण, आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों में अति कुपोषित बच्चों एवं माताओं के उपचार एवं विद्यालयों में रसोई गैस उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए सुरक्षित रखा जाए।	सीएसआर अंतर्गत अलग–अलग जिलों में अभी तक छोटे स्तर पर प्रयास किए गए हैं, जो नाकाफी हैं। राज्य स्तर पर भी प्रयास किए जाएंगे।

[kk| vk;ksx ds i= dzekad 133] fn- 18-02-2020 }kjk 'kklu dks Hksth x;h vuq'kalk,a %&

dz-	o"kZ 2019&20	iapk;r ,oa xzkeh.k fodkl foHkkx& e/;kUg Hkkstu
	lfefr vuq'kalk,a	'kklu }kjk ikyu
1.	यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि सांझा चूल्हा एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सफलता में रसोइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनके कर्तव्यों में अनेकों कार्य शामिल हैं:– अनाज को बीनकर साफ करना, छात्रों की संख्या के अनुसार रोटियां बनाना, मीनू अनुसार भोजन तैयार करना, समय पर भोजन परोसना, हाथ धुलाने की व्यवस्था करना, पेयजल उपलब्ध कराना, जूठे बर्तनों को साफ करना आदि। जहां पर गैस सिलेण्डर नहीं होते हैं, वहां पर प्रतिदिन लकड़ी या कण्डे के धुंए का बिना परवाह किए उन्हें काम करना पड़ता है। सांझा चूल्हा में तो प्रतिदिन औसतन 200 से ज्यादा रोटियां बनाना पड़ती है। भले ही लोगों के मन में यह धारण क्यों न हो कि रसोइया मात्र कुछ घण्टे तक ही काम करते है, वास्तविकता यह है कि इन्हें प्रतिदिन लगभग चार से पांच घण्टे तक काम करना पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद भी रसोइया को पूर्व में मात्र एक हजार रूपये का पारिश्रमिक मिलता था। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व शासन द्वारा इसे बढ़ाकर प्रति माह दो हजार रूपये कर दिया गया। महंगाई के चलते एवं रसोइयों की मेहनत एवं धुंआ के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जोखिम को देखते हुए यह राशि भी अत्यन्त कम होना प्रतीत होता है। सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। vk;ksx dh vuq'kalk gS fd jlksb;ksa dk ikfjJfed de ls de pkj gtkj :Ik;s izfr ekg fd;k tkuk pkfg,A	मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का पारिश्रमिक प्रति माह एक हजार रूपये से बढ़ाकर प्रतिमाह दो हजार रूपये कर दिया गया है। समय–समय पर भारत सरकार को रसोईयों का मानदेय बढ़ाए जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।
2	प्रत्येक जिले में विद्यालयों के ऐसे बड़े परिसर हैं, जहां पर कई प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों होते है। साथ ही पास में आंगनवाड़ी केन्द्र भी होते हैं। ऐसे परिसरों में थोक में भोजन तैयार करने के लिए माह में पांच–छः से भी अधिक संख्या में गैस सिलेण्डर की आवश्यकता होती है। महिला स्व सहायता समूहों की शिकायत है कि उन्हें व्यावसायिक दर पर गैस सिलेण्डर खरीदना पड़ता है, जिसके कारण समूहों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जाती है। vk;ksx dh vuq'kalk gS fd fo|ky;ksa ,oa vkaxuokfM+;ksa esa Fkksd esa Hkkstu cukus ds fy, ?kjsyw mi;ksx ds fy, fu/kkZfjr fj;k;rh nj ij xSl flys.Mj miyC/k djk;k tk,A	

3	कुछ जिलों में उचित मूल्य दुकानों से अनाज लेने के लिए स्व सहायता समूहों की सही मैपिंग नहीं की गयी है। ग्राम पंचायतों में राशन दुकान होने के बाद भी त्रुटिवश उन गांव के स्व सहायता समूहों को अन्य पंचायतों की दुकान के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। इसके कारण समूहों को अनावश्यक रूप से परेशानी एवं परिवहन पर अधिक व्यय करना पड़ रहा हैं। vk;kx dk l>ko g fd iR;d ftyk e lehk dh tkdj =fVi.k efix dk l/kkjk tk,A	एन.आई.सी. के माध्यम से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल में आवश्यक सुधार किया जा रहा है।
4.	मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व सहायता समूहों की शिकायत मुख्यतः समय पर आवंटन एवं अनाज नहीं मिलना, रसोइयों का मानदेय प्राप्त नहीं होना एवं अनाज की गुणवत्ता सही नहीं होना जैसी समस्याओं से संबंधित रहती हैं। इसी प्रकार से अधिकारी एवं पालकों की चिन्ता भोजन की गुणवत्ता, निरन्तरता एवं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा फर्जी स्व सहायता समूह बनाने जैसी समस्याओं को लेकर रहती हैं। भोजन बनाने का कार्यादेश देने के बाद अधिकारी और स्व सहायता समूहों के बीच शायद ही कोई संवाद होता हो। केवल शिकायत प्राप्त होने पर समूह की जांच की जाती है। गांव में बनाए जा रहे भोजन संबंधी शिकायत जिला स्तर पर प्रकट होते–होते बहुत समय लग जाता है। vk;kx dk l>ko g fd de l de gj nk ekg e ,d ckj fodkl[k.M Lrj ij VkLd eutj@DokfyVh dVkyj ,o lh-b-vk- tuin ipk;r feydj Lo lgk;rk legk d ifrfuf/k;k d lkFk cBd djA cBd e legk d lkFk ppk dj leL;kvk dk 'kh?krk l fujkdj.k fd;k tk ldrk gA	

समीक्षा बैठक – जिला शाजापुर

जिला मंदसौर – समीक्षा बैठक

समीक्षा बैठक जिला – उज्जैन

नोटस् :–

नोटस् :–

मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल

सतपुड़ा भवन बी-विंग, अपर बेसमेंट, भोपाल **दूरभाष क्रमांक** 0755-2556761, 2556762

E-mail: foodcommission@mp.gov.in